रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/95 REGISTERED No. DL—33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 28, 1995 (कार्तिक 6, 1917)
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 1995 (KARTIKA 6, 1917)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 9 अक्तूबर 1995

सं. बैं प वि वि/बी सी/118/12.02.001/95-96—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 29 मार्च 1985 की अपनी अधिसूचना बैं प वि वि. सं. एल. ई. जी. बी. सी. 37सी. 233ए-85 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि 14 अक्तूबर 1995 को और से, उक्त अधिनियम की धारा 24 के प्रयोजन के लिए, भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके बाद 'प्रतिभूतियां कहा गया है') का मूल्यांकन निम्नलिखित विधि से किया जाएगा, अर्थात :

(क) 31 मार्च 1995 के दिन धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, जब तक वे निरन्तर धारिता में रहेंगी तथा बैंक के संविभाग में बनी रहेंगी, तब तक उसी मूल्यांकन प्रणाली को अपनाते हुए किया जाएगा जो उस तारीख को तुलन-पत्र के लिए अपनायी गयी हो। उक्त मूल्यांकन तुरंत बाद के सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेगा। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 1996 तक अभिगृहीत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, अंकित मूल्य अथवा अभिग्रहण की तारीख को लागत मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, पर किया जाएगा। जब तक ये प्रतिभूतियां बैंक के संविभाग में बनी रहेंगी, तब तक अथवा 31 मार्च, 1996 तक, इनमें से जो भी पहले हो, इन प्रतिभूतियों को उसी मूल्य पर दर्शाया जाएगा।

(ख) उसके बाद, प्रति वर्ष 31 मार्च के दिन धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, जब तक ये निरन्तर धारिता में रहेंगी तथा बैंक के संविभाग में बनी रहेंगी, तब तक उसी मूल्यांकन प्रणाली को अपनाते हुए किया जाएगा जो उस तारीख को तुलन-पत्र के लिए अपनायी गयी हो। उक्त मूल्यांकन तुरंत बाद के सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेगा। तथापि, आने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान अभिगृहीत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, अंकित मूल्य अथवा अभिग्रहण की तारीख के लागत मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, पर किया जाएगा। जब तक ये प्रतिभूतियां बैंक के संविभाग में बनी रहेंगी, तब तक अथवा वित्तीय वर्ष के अंत तक, इनमें से जो भी पहले हो, इन्हें उसी मूल्य पर दर्शाया जाएगा।

बी. के. पाल
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 7 अक्तूबर, 1995

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29 (1) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के निदेशक बोर्ड से परामर्श करके तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से श्री के० के० खण्डेलवाल को और दो वर्ष की अवधि दिनांक 4 अक्तूबर, 1995 से 3 अक्तूबर, 1997 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

पी० जी० काकोडकर,
अध्यक्ष,

इण्डियन ओवरसीज बैंक

कार्मिक प्रशासन विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मद्रास–600002, दिनांक 21 जुलाई, 1995

सं० का० प्र० वि०/177:—बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का पांचवां अधिनियम), की धारा 19 के जरिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से इण्डियन ओवरसीज बैंक का निदेशक मण्डल इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979 को परिशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम करता है।

2. संक्षिप्त शीर्ष व आरम्भ

1. इन विनियमों को इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी सेवा (संशोधन) विनियम, 1995 कहा जाए।

2. ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

3 इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979 में निम्नलिखित विनियम में संशोधन किया गया है।

विनियम 49(2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए।

कार्यग्रहण अवधि के दौरान अधिकारी स्थानान्तरण के स्थान पर लागू परिलब्धियों के लिए पात्र होगा।

के० वासुदेव भट्ट,
उप महा प्रबंधक
कार्मिक प्रशासन विभाग

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्तूबर 1995

सं० एन० 15/13/3/3/94-यो० एवं वि०:—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95 क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-9-1995 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1951 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ बिहार राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे। अर्थात् :—

क्रम सं०	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व थाना की संख्या	जिला
1.	मिठानपुर खाल्सा	410	मुजफ्फरपुर
2.	कनहौली विसुनदत्त	411	,,
3	हुरदुल लहुरी	480	,,
4.	कोहलुआ पैगम्बरपुर	482	,,
5.	अघरदाह सलेहपुर बुधन	342	,,
6.	बेला छपरा	281	,,
7.	कनहौली धनगेकवे	412	,,
8	छपरा लोधी	352	,,

एस० एन० तिवारी,
निदेशक (यो० एवं वि०)

सं० एन० 15/13/3/2/92-यो० एवं वि०:—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम-95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-9-1995 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा नियम–1951 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ बिहार राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे। अर्थात् :—

क्रम सं०	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व थाना की संख्या	जिला
1	2		4
	देवघर		
1.	महेश्वरा	250	देवघर
2.	मक्खन पहाड़	252	,,
3.	बरमसिया	254	,,
4.	मधुसदन छारेट	255	,,
5.	मवारी चक	256	,,
6.	बेला बगीचा	257	,,
7.	हिरना	269	,,
8	सुरतीलोना	270	,,
9.	बासमता	276	,,
10.	कल्याणपुर	398	,,
11.	कुरनवाहा	399	,,
12.	बरियार बोधी	400	,,
13.	टोराडिह	401	,,
14.	मारावात	402	,,
15.	कुण्डा	409	,,
16	नीलकण्ठपुर	415	,,
17.	शाहरजोर	416	,,
18.	जटही	418	,,
19.	करहनीबाद	584	,,
	जसीडिह		
20.	जसीडिह बाजार मोजा	119	,,

1	2	3	4
21.	बसुआडिह् मौजा	198	देवघर
22.	बाघमारा	199	,,
23.	रामचन्द्रपुर	202	,,
24.	सेमरिया	203	,,
25.	अमलडीह	263	,,
26.	नारायणपुर	262	,,
27.	फूटा बांध	027	,,
28.	गंगटी	209	,,
29.	छोटा मानिकपुर	116	,,
30.	बबलाडिह्	117	,,
31.	तालाघाट	208	,,
32.	रायडीह	122	,,

एस० एन० तिवारी,
निदेशक (यो० एवं वि०)

दिनांक 10 अक्तूबर, 1995

सं० एन० 15/13/3/4/94 यो० एवं वि०:—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम-95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-9-95 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1951 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ बिहार राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किय जायेंगे, अर्थात्:—

क्रम सं०	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व थाना की संख्या	जिला
1	2	3	4
1.	मिरचाई	328	कटिहार
2.	बहरिया	98	कटिहार
3.	दुर्गापुर	104	कटिहार
4.	बेलाना	83	कटिहार
5.	तिमरसारा	82	कटिहार
6.	सैकगंज	103	कटिहार
7.	बेगाना	102	कटिहार
8.	बालान	77	कटिहार
9.	मधुरा	162	कटिहार
10.	मालेली	79	कटिहार

एस० एन० तिवारी,
निदेशक (यो० एवं वि०)

दिनांक 11 अक्तूबर, 1995

सं० एन० 15/13/3/1/94-यो० एवं वि०:—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम-95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16-9-1995 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1951 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ बिहार राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जायेंगे, अर्थात्:—

क्रम सं०	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व थाना की संख्या	जिला
1	2	3	4
1.	मेहरपुर	97	बिहार शरीफ
2.	सिपाह	95	,,
3.	हुजूरपुर	98	,,
4.	रामपुर कमलाबाद	110	,,
5.	चक हुसैन	126	,,
6.	देवी सराय	127	,,
7	सलेमपुर	133	,,
8.	सोहडीह	140	,,
9.	बाबरबन्ना	141	,,

एस० एन० तिवारी,
निदेशक (यो० एवं वि०)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110015, दिनांक 5 अक्तूबर, 1995

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) टी०एन० (1148)/95/2044—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड न०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी० एन०/एम० एस०/31657	मै० राम कश्यप इन्वेस्टमेंट लि०, 53, विजय गार्डन, ग्रांफ ग्रीमवेज रोड, मद्रास-28. ।	1-1-1995
2.	टी० एन०/एम० एस०/31659	मै० शैरिफ सर्विसेज (प्रा०) लि०, नं० 14, राजारत्नम स्ट्रीट, कलपक्कम, मद्रास-600010 ।	1-10-1994

1	2	3	4
3.	टी० एन०/31662	मै० के० स्टीमशिप एजेंसीज (प्रा०) लि०, नं० 4, 2 लाइन बीच, मद्रास-600001 ।	1-11-1994
4.	टी० एन०/एम० एस०/31561	मै० श्री महागनपतिविलास नं० 8, सी० एम० ए० रोड, बस स्टैंड, वनियमबोडी एम० ए० ए० डि० ।	1-11-1994
5.	टी० एन०/एम० एस०/31562	मै० कडापनीकेमपट्टी मिल्क प्रोड्यूसर्स को-आप० सोसा० लि०, कडापनीकेमपट्टी विलेज मरियेमरी पोस्ट तिरूपतुर, टी० के० एम० ए० ए० डि० ।	1-5-1994
6.	टी० एन०/एम० एस०/31588	मै० एम० एम० एल० एन्टरप्राइजिज, 23, गांधी नगर अलवरथिरू नगर, मद्रास-87 ।	1-9-1994
7.	टी० एन०/एम० एस०/31652	मै० होटल नागुंजन, 38 पेड्डयी बेयार, टी० नगर, मद्रास-17 ।	1-1-1995
8.	टी० एन०/एम० एस०/31598	मै० जय हाइड्रोलिक्स (प्रा०) लि०, नं० सी-19 सी गविन्डी इंडस्ट्रीयल एरिया इस्टेट, मद्रास-32 ।	1-10-1994
9.	टी० एन०/एम० एस०/31591	मै० न्यू मार्डन कैफे नं० 2, तालुक आफिस रोड, लिटिल माउन्ट साईदापेट, मद्रास-600015 ।	1-9-1994
10.	टी० एन०/एम० एस०/31595	मै० नुम्बरई मिल्क प्रोड्यूसर्स को०-आ०-सोसा० लि०, नुम्बरेट पोस्ट, (वाया) एरकाट, एम० ए० ए० डि० ।	1-6-1994

अतः मैं, एच० डब्ल्यू० टी० स्येम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

एच० डब्ल्यू० टी० स्येम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) टी० एन० (1151)/95/2057—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा, कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी० एन०/31650	मै० एस० वी० इन्टरप्राइजिस, 53, ग्राउंड फ्लोर, फोर्थ एवेन्यू, अशोकनगर, मद्रास-83 ।	1-9-1994
2.	टी० एन०/31661	मै० राजा गारमेन्टस एण्ड टक्सटाईल, एक्सपोर्टस, 239, मिन्ट स्ट्रीट, मद्रास-31 ।	1-10-1994
3.	टी० एन०/29741	मै० श्री शनमूगा भवन, अरसमनई वसई, सिवगंगा-623560, पी० टी० टी० डि० ।	1-12-1994

1	2	3	4
4.	टी० एम०/29740	मै० क्यम 954 सम्बाकुलम पी० ए० सी० बी०, सम्बाकुलम (पी० ओ०) मूडूकूलाथूर (टी० के०) रामनाद डि० ।	1-3-1994
5.	टी० एम०/29739	मै० आर० एस० 833, पी० एम० टी० डि०, मैडिकल पब्लिक हैल्थ एण्ड फैमिली वैलफेयर डिपार्टमेंट स्टाफ कोपरेशन टी० एण्ड डी० सोसायटी लि० ।	1-12-1994
6.	टी० एम०/29725	मै० 915 मुदूकूलाथाने पी० ए० सी० बी० मूदूकूलथूर, (पी० ओ०) मूदूकूलथूर (टी० के०) रामनाद डि० ।	1-3-1994
7.	पी० सी०/573	मै० जे० के० लैदरस, नं० 9, वसन्थानगर, विलियानुर-605110 ।	1-11-1994
8.	पी० सी०/572	मै० एक्स-सर्विसमैन सिक्यूरिटी एण्ड डिटेक्टिव ब्यूरो, नं० 12, विलियानुर रोड, रेडियारपलायम, पाण्डिचेरी-605010 ।	1-7-1994
9.	पी० सी०/571	मै० 8 एम० आर० लैदर वर्क्स, सी-9 एण्ड 17, पिपडिक इंडस्ट्रीयल इस्टेट मेथूपलायम, पाण्डिचेरी-09 ।	1-11-1994
10.	टी० एम०/24590	मै० 277 मुनईवैटरी प्राइमरी एग्रीकल्चरल को०-ओप० बैंक, मुनईवेनटरी पी० ओ० इमेनेसवरम वाया पी० टी० टी० डि० ।	1-8-1991

अतः मैं, एच० डब्ल्यू० टी० स्येम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनाओं पर उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने वर्शायी गई है ।

एच० डब्ल्यू० टी० स्येम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) टी० एन० (1157)/95/2070-केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से सम्बन्धित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी० एम०/29105	मै० क्यू० 1266, पोट्टागवयाल प्राइमरी एग्री० को-आप० बैंक, पारामुकडई तालुक रामनाड डि० ।	1-3-1993
2.	टी० एम०/29103	मै० ए-1513 शिवागंगई को-आप० स्टोर लि०, 24, नार्थ राजा स्ट्रीट, स्पुआगंगोई-623560 ।	1-1-1993
3.	टी० एम०/29769	मै० एम० डी० (स्पे०) 21, गुदालूर को-आप० स्टोर्स लि०, गुदालूर-626518, मदुरई डि० ।	1-2-1995
4.	टी० एम०/29052	मै० एन० एन० 570 कोलाकंदन प्राइमरी एग्री० को-आप० बैंक, सिवागंगई ता० ।	1-12-199
5.	टी० एन०/29110	मै० एम० एन० 565, थिरूवेटरीयूर प्राइमरी एग्री० को-आप० बक, थिरूवेटरियूर तालुक, रामनाड डि० 623407 ।	1-3-1993
6.	टी० एम०/29053	मै० आर० एस० 766, मनामदुरई पंचायत यूनियन एम्प्लाइज व टीचर्स को-आप० थ्रिफट संघ लि०, मनामदुरई-623606 ।	1-1-1993

1	2	3	4
7.	टी० एन०/31680	मै० इन्टोरियल स्वीट्स बैकरी व कोल्ड ड्रिंक्स, 16, सी० एन० ए० रोड, बस स्टैंड, वेरीयमिबेडी, एन० ए० ए० डि० ।	1-1-1995
8.	टी० एन०/31670	मै० प्राइमल्स बेकरी, 3, अन्नामलाई मेस्ट्री स्ट्रीट, अमीजीकरई, मद्रास-600029.	1-8-1994
9.	टी० एन०/31669	मै० अडो इंडिया प्रा० लि०, ब्लाक-I, II, व 6 मोड्युलर एस० डी० एफ० बिल्डिंग, फेस-II, एम० ई० पी० जैड०, टमबारम, मद्रास-45.	1-1-1995
10.	टी० एन०/31690	मै० एलाइड हैल्थ केयर मीडिया प्रा० लि, 3, अरुमंगन स्ट्रीट, माउन्ट रोड, मद्रास-2.	1-12-1994

अतः मैं, एच० डब्ल्यू० टी० स्कीम, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

एच० डब्ल्यू० टी० स्कीम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) टी० एन० (1169)/95/2083--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1992 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी० एन०/29778	मै० चेलाम लाटी वर्क्स, 445, सिवाकासी विरूधुनगर रोड, थिरुथंगल -626130	1-2-95
2.	टी० एन०/29771	मै० श्री मीनाक्षी कम्पावर एजेंसी 2-बी/19, वर्कशाप रोड, मदुरई - 625001	1-12-94
3.	टी० एन०/32085	मै० टी० एन० डी० -207, परडियार कुपम मिल्क प्रोडयूसर्स को-आप० सोसा० लि० जिन्नासेलम पेरिडियनकुप्पम-606201, वी० आर० पी० डि० तमिलनाडु ।	1-4-93
4.	टी० एन०/32093	मै० नयनार पलयम मिल्क प्रोडयूसर्स को०-आप० सोसा० लि०, नयनारपलयम पोस्ट-606301, कलाकुरिची तालुक तमिलनाडु ।	1-4-93
5.	टी० एन०/31647	मै० वाइबरेशन इन्जीनियर्स व कन्सलटेंटस (प्रा०) लि० 3-डी०, III रा० फ्लोर, जे० वी० एस० टावर्स, 117, नेल्सन मेनीकम रोड, अमीजीकरई, मद्रास-29	1-10-94
6.	टी० एन०/31762	मै० सी० हाइड्रोपावर (इंडिया) प्रा० डी०-18, इंडस्ट्रियल एस्टेट अम्बातूर-मद्रास-600098	1-1-95
7.	टी० एन०/32089	मै० थनाराई मिल्क प्रोडयूसर्स को०-आप० सोसा० लि० , पेरडियारकुप्पम पोस्ट 606201, कलाकुरुचि ता० यू० आर० पी० डि०, तमिलनाडु	1-4-93

1	2	3	4
8.	टी० एन०/31716	मै० एस० एल० के० कान्ट्रैक्ट सर्विसेज कारगो, काम्पलेक्स, आई० ए० ए० आई० मीनामबक्कम, मद्रास–600027	1–1–95
9.	टी० एन०/31717	मै० टी० एम० सिक्योरिटी सर्विसेज नं० 221, वेलाचेरी रोड, सेलियूर मद्रास–600073	1–1–95
10.	टी० एन०/31771	मै० ऊषा सेल्स कारपोरेशन, 9, लयारवुड केन (नियर पोस्ट आफिस) महालिंगापुरम् मद्रास–600034	1–5–94

अतः मैं, एच० डब्ल्यू० टी० स्येम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

एच० डब्ल्यू० टी० स्येम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 10 अक्तूबर 1995

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) कर्ना० (976)/94/2096—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापना से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	कर्ना०/16529	मै० बेटज केमिकल्स (इंडिया) प्रा० लि० 47/डी०, बोमान्द्रा इंडस्ट्रियल एरिया, बोमान्द्रा, बंगलौर–562158	1–2–94
2.	कर्ना०/16758	मै० प्रेस्टीज फेशन्स, 119 5वां एवन्यू० 183, ब्रिगेड रोड, बंगलौर।	1–1–94
3.	कर्ना०/12708	मै० सन्तूर इंडस्ट्रीज, बोंडल, बंगलौर–575008	30–9–91
4.	कर्ना०/16159	मै० एटलान्टा पम्पस (प्रा०) लि० नं० 487 डी० 1 व डी 2, 4 फेस, पेम्नया इंड० इस्टेट, बंगलौर –560058	1–11–88

अतः मैं, एच० डब्ल्यू० टी० स्येम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

एच० डब्ल्यू० टी० स्येम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) गुज० (977)/94/2103—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	गुज०/24457	मै० गुजरात टुडे मैनेजड बाई लोकहित प्रकाशन सार्वजनिक ट्रस्ट 33/1 अपो० शालीमार सिनेमा शाहआलम, अहमदाबाद –380028	1–4–94
2.	गुज०/24363	मै० बागेश्री वृदावन, नियर कोबा सरक्वेज गांधीनगर गांधीनगर रोड अहमदाबाद –380028	1–4–93
3.	गुज०/24054	मै० सनगीर प्लास्टिकस प्रा० लि० ए–2213, 3 रा फेस, जी० आई० डी० सी० वापी	1–4–92
4	गुज०/19758	मै० मार्डन हाईड्रोलिस सी० 1–बी, 264/2, जी० आई० डी० सी० अम्बरगांव।	1–7–91

अतः मैं, एच० डब्ल्यू० टी० स्येम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूँ जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

एच० डब्ल्यू० टी० स्येम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० म० नि० आ० 1 (4) दिल्ली (1053)/94/2110—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	दिल्ली/16116	मै० सिरोही डिटेक्टिव व सिक्योरिटी एजेंसी प्रा० लि०, ए स०–508, स्कूल ब्लाक–2, शकरपुर–दिल्ली–2	1–7–94
2.	दिल्ली/15746	मै० स्मार्ट सिक्योरिटी व हाउस कीपिंग सर्विस, डब्ल्यू जैड–474, बसई दारापुर नई दिल्ली।	1–9–92
3.	दिल्ली/16095	मै० ए० आर० क्रेडिट इनफारमेशन सर्विसेज प्रा०, 103 इलाइट हाउस, 36 कैलाश कालोनी एक्स० कम्यूनिटी सेंटर, नई दिल्ली।	1–4–94
4.	दिल्ली/16204	मै० राजस्थान एजेंसी प्रा० लि० 4741/23, अंसारी रोड, दरिया गंज नई दिल्ली।	1–4–94
5.	दिल्ली/16275	मै० राज खोसला वर्क० लि० पहला तल, कृष्णा शापिंग प्लाजा, 19, अशोका रोड, नई दिल्ली।	1–10–94
6.	दिल्ली/16282	मै० स्काई लाइन बिल्डिर्स (इंडिया) ए–40, विकासपुरी, नई दिल्ली–18	5–2–94
7.	दिल्ली/16289	मै० शकुन एन्टरप्राइजिज, 7 सेठी भवन राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली–8	1–4–94
8.	दिल्ली/16293	मै० क्लोज एपेरलस, 9–2265, गली नं० 10 कैलाश नगर, दिल्ली–31 (शाखाओं सहित)	1–10–94
9.	दिल्ली/16339	मै० दलजीत इंजीनियरिंग वर्क्स 308/1, शहजादा बाग, रोहतक रोड, दिल्ली–35	1–10–94

अतः मैं, एच० डब्ल्यू० टी० स्येम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूँ जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

एच० डब्ल्यू० टी० स्येम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के०भ०नि० आ० 1(4) के०एम० (1100)/95/2122—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापना पर लागू किए जाएं :—

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	के एम/15827	मै० के० नारायणप्पा कान्ट्रेक्टर, नं० 35, फर्स्ट मैन रोड, बोवीपालया, महालक्ष्मी ले आउट बंगलौर-86	28-2-93
2.	के एन/15953	मै० साउदरन मैटेलाइजरस, नं० 13/29, मेरीयप्पा-भापालया, नियर उल्लास थियेटर यसवन्थपुर, बंगलौर-22	1-3-93
3.	के एम/ 16238	मै० रामू लेबर कान्ट्रेक्टर, नं० 35/बी, न्यू क्वार्टरस सैकेण्ड एस० सी०, यसवन्थपुर, बंगलौर-12	31-8-93
4.	के एम/18041	मै० रैसीडेन्सी बिजनेस सर्विस प्रा० लि०, नं० 366, 100 फीट रोड, इंदिरानगर, बंगलौर-8 (शाखा सहित)	1-4-94
5.	के एन/18040	मै० कर्नाटका मल्लादी बायोटिक्स लि०, नं० 539, चिनमया मिशन होस्पीटल रोड, इंदिरानगर, बंगलौर-38	1-4-93
6.	के एन/15523	मै० गान्धी इन्टरप्राईजिस, नं० 21, (35) छटा मेन के० एन० एक्सटेंशन, यसवन्थपुर, बंगलौर-22	1-3-93
7.	के एन/15546	मै० कर्नाटका क्लीनिंग कारपोरेशन, नं० 805/2, छटा क्रास, एज० एम० कालोनी, यसवन्थपुर, बंगलौर-22	1-3-93
8.	के एन/15826	मै० सुवर्णा इन्डस्ट्रीज, नं० 13/17, मैक्सीयाप्पाभापाल्या, अपो, उल्लास थियेटर, यसवन्थपुर, बंगलौर-22	1-3-93

अत: मैं, एच० डब्ल्यू० टी० स्येम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उन प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

एच० डब्ल्यू० टी० स्येम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के०भ० नि०आ० 1 (4) गुज० (1102)/95/2133—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं :—

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	गुज०/24890	मै० पोलीलिंक पोलीमर्स (इंडिया) लि०, ब्लाक नं० 229/230 विलेज वाल्टेसा, ता० ढोलका, डि० अहमदाबाद शाखाओं सहित (380006)	31-12-94

1	2	3	4
2.	गुज०/24846	मै० हरिहर फूड्स प्रा० लि०, ए/16, मोहन इस्टेट अपो० अनुपम सिनेमा, खोकरा, अहमदाबाद-380008	1-7-94
3.	गुज०/24816	मै० श्री चामुन्डा इंजीनियरिंग वर्क्स, 6, आशीर्वाद इंटरनेशनल इस्टेट, सरसपुर, अहमदाबाद 380014	31-3-94
4.	गुज०/24889	मै० प्रिटोमैक्स इंडस्ट्रीज, 54-55, जी० आई० डी० सी० बी०/एच० गोविन्द ग्लास, काडी-382715, महसाना।	1-10-94

अतः मैं, एच० डब्ल्यू० टी० स्यैम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूँ जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

एच० डब्ल्यू० टी० स्यम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) गुज० (1103)/95/2140—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जाए।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	गुज०/24784	मै० अबो सिक्योरिटी सर्विसेज, 703, हरे कृष्ण काम्पलेक्स, अपो० कोठावाला फ्लैट्स, प्रीतम नगर ढाल, आश्रम रोड, अहमदाबाद	1-3-94
2.	गुज०/24860	मै० अलपानी इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं० 81, जी० आई० डी० सी० फेस-II, वत्वा, अहमदाबाद-382445	1-3-94
3.	गुज०/24514	मै० त्रिवेणी, इण्डस्ट्रीज, ए-1, 7804, 7805, जी० आई० डी० सी० इस्टेट, अलकुनेश्वर-393002	1-2-94
4.	गुज०/20630	मै० मैनेजमेंट आफ इण्डस्ट्रीयल सिक्योरिटी सर्विसेज, ए-45, कार्तिक्य नगर, बी० एच० जालाराम नगर, हरी नगर, टैंक रोड, गोतरी, बड़ौदा।	5-6-94

अतः मैं, एच० डब्ल्यू० टी० स्यैम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एच० डब्ल्यू० टी० स्यैम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भा० नि० आ० 1(4)के० एन० (1118)/95/2148—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापना पर लागू किए जाएं।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	के एन/18140	मै० एक्सेटेर सिस्टम्स इण्डिया प्रा० लि०, 15-16, आठवां तल, वायुदूत चैम्बर्स, एम० जी० रोड, बंगलौर-560001	1-1-94

1	2	3	4
2.	के० एन/16897	मै० आर० सी० आई० रिसोर्ट कन्डोमिनीयमस इण्डिया प्रा० लि०, नं० 208, ब्रिगेड वार्डन, 19, चर्च स्ट्रीट, बंगलौर–560001 (शाखा सहित)	30–4–94
3.	के० एन/18131	मै० ब्राइडल्स इण्डिया प्रा० लि०: ब्लाक–II बेगूर होबली, होंगासानदरा, नं० 38/3, लक्ष्मी इण्डस्ट्रीयल काम्पलैक्स, बंगलौर–560068	1–10–94
4.	के० एन/16624	मै० अलफाटेक इंजीनियरिंग कान्ट्रेक्टरस, "एफ" दूसरा तल, कालरो चैम्बर्स, 45, आठवा मैन, 15वां क्रास मल्लेश्वरम, बंगलौर–55	28–2–94
5.	के० एन/16303	मै० मल्लार इन्टरप्राइजिस, नं० 17, प्लेटफार्म रोड, बंगलौर–560020	30–11–93
6.	के० एन/16630	मै० एच० बी० भागन्ना होरटीकल्चर कन्सलटेन्ट, नं० 429, आठवाँ क्रास, महालक्ष्मी लेआउट, बंगलौर–560086	31–3–94
7.	के० एन/16568	मै० चंतरा इन्टरप्राइजिस, नं० 863/2, पाईपलाईन रोड, यसवन्थपुर, बंगलौर–560022।	28–2–94
8.	के० एन/16726	मै० बिसडम सिक्योरिटी सर्विसेस, नं० 1911, दूसरा क्रास के० एन० एक्सटेन्शन, यशवन्थपुर, बंगलौर–560022	31–3–94
9.	के० एन/16269	मै० श्री एन० शिवरमैया कान्ट्रेक्टर, नं० 795, 5वां मैन, 11वां क्रास, दूसरी स्टेज, महालक्ष्मीपुरम, बंगलौर–560086	1–10–93
10.	के० एन/16542	मै० श्रुवगा इन्टरप्राइजिस, नं० 289, 12 वां "बी" क्रास, डब्ल्यू सी० रोड, राजाजीनगर, बंगलौर–560086	28–2–94
11.	के० एन/16541	मै० बंगलौर इंस्टीटयूट आफ मैनेजमेंट एण्ड सर्विसेस, 8वाँ क्रास, मल्लेश्वरम, बंगलौर–560003	31–12–93

अत: मैं, एच० डब्ल्यू० टी० स्येम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा–1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एच० डबल्यू० टी० स्येम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भा० नि० आ० 1(4) कर्ना०(1121)/95/2162—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जाएं :—

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	कर्ना०/16626	मै० सोरापल्ली मिल्क प्रोड्यूसर्स को–आप० सोसा० सोरापल्ली, चिन्तामनि तालुक, कोलार डि०	31–3–93
2.	कर्ना०/16889	मै० चिकबालापुर तालुक प्राइमरी एग्री० प्रोडयूस को–आप० मार्किटिंग सोसा० लि०, चिकबालापुर–562101	1–4–93
3.	कर्ना०/18093	मै० श्री सुब्रामनीस्वामी गोसोलिन स्टेशन एच० पी० डीलर्स, एम० बी० रोड, कोलार–563101	1–10–94
4.	कर्ना/16971	मै० दिव्या सिक्कम 322/ए, मैसूर रोड, बंगलौर–35	1–5–94

अत: मैं, एच० डब्ल्यू० टी० स्येम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एच० डब्ल्यू० टी० स्येम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) दिल्ली/1125/95/2169:—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	दिल्ली/16379	मै० फ्लोरिडा इलैक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज लि० बी–147, मायापुरी इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस–1, नई दिल्ली–110064	29–11–94

अतः मैं, एच० डब्ल्यू० टी० स्येम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

एच० डब्ल्यू० टी० स्येम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) कर्नाटक (1144)/95/2173:—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	कर्नाटक/16875	मै० लक्ष्मी एन्टरप्राइजिज लेबर कन्ट्रोलर ए० बी० यू० इंजीनियरिंग एन्टर-प्राइजिज प्रमिसिस, 100 फुट रोड, चौकसन्दरा, बंगलौर–57	1–3–94
2.	कर्नाटक/14358	मै० अमरकोन क्रियेशन्स 2893–ए, पहला तल, खाडे बाजार, बेलगाम–590002	1–2–91
3.	कर्नाटक/16929	मै० मनीकेयर फाइनेंस लि०, 309, ब्रिगेड गार्डन चर्च स्ट्रीट, बंगलौर–560001	1–11–93
4.	कर्नाटक/16930	लीलू बोलू एन्टरप्राइजिज, नं० 34/जी/1, सरपनटाइन स्ट्रीट, रिचमण्ड टाउन, बंगलौर–34	31–7–94

अतः मैं, एच० डब्ल्यू० टी० स्येम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एच० डब्ल्यू० टी० स्येम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० (4) डी० एल०(1149)/95/2180:—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना पर लागू किये जायें।

क्रम सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	डी एल/16460	मै० फायर फाइटर्स एसोसियेट्स बी०–7, कालका जी, नई दिल्ली–110019	1–7–94
2.	डी एल/16419	मै० लासा इंडिया, 268, दूसरा तल, सन्त नगर, नई दिल्ली–110065	1–5–94
3.	डी एल/16395	मै० एरो प्लास्ट प्रा० लि०, 64, राजस्थानी उद्योग नगर, अपो० जहांगीरपुरी, दिल्ली–110033	1–9–94
4.	डी एल/16476	म० यूलिवर्सल फिल्मस् आफ इण्डिया, बी० बी० डी०–8, कोम० सेंटर, दूसरा पूर्वी मार्ग, वसन्त विहार नई दिल्ली–110057 (शाखा सहित)	1–11–94

1	2	3	4
5.	डी० एल/16470	मै० भारत शैल लि०, एम–3, इन्टरनेशनल ट्रेड टावर नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 (शाखा सहित)	1–11–93
6.	डी० एल/16467	मै० एम० पी० आर० मार्केटिंग प्रा० लि०, सी०–2/8, मायापुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस–II नई दिल्ली–64	1–10–94
7.	डी० एल/16443	मै० एस० एम० कन्स्ट्रक्शनस, 1/6381 ईस्ट रोहतास नगर, गली नं० 4, शाहदरा, नई दिल्ली–32	1–10–94
8.	डी० एल/16438	मै० विन्डसर मेटल इण्डस्ट्रीज, 1–4, उद्योग नगर, रोहतक रोड, नई दिल्ली–110041	1–11–94
9.	डी० एल/16432	मै० रिणि सेल्स प्रा० लि०, 4279, गली शाहतारा जी० बी० रोड, दिल्ली–110006	1–12–94
10	डी० एल/16428	मै० वोकेशनस अबरोड प्रा० लि०, फ्लैटस नं० 1607, अम्बादीप बिल्डिंग, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001	1–7–94

अतः मैं, एच० डब्ल्यू० टी० स्येम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उस प्रभाबी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

एच० डब्ल्यू० टी० स्येम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

श्रम मन्त्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110015, दिनांक 26 सितम्बर 1995

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/2193—जहां मै. दि दिनप्लेट कम्पनी आफ इण्डिया लि.) पो. आ. गुलमूरी, जमशेद पुर-831003 (कोड सं. स. बी. आर-2) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, एच. डब्ल्यू. टी. स्येम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में उक्त स्थापना की लाईफ कवर स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. एस-35014 (259) 86-एस. एस. 2 दिनांक 26-11-86 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए, मैं, एच. डब्ल्यू. टी. स्येम उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं दिनांक 27-11-89, 27-11-92 से 26-11-92 और 26-11-95 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 26-11-95 भी शामिल है ।-

अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना के संबन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. लाईफ कवर स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, प्रभारी संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन लाईफ कवर स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की अभिदाता निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक लाईफ कवर स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों के उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक लाईफ कवर स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जो कि कर्मचारियों के लिए लाईफ कवर स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. लाईफ कवर स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब तक उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. लाईफ कवर स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी को उस लाईफ कवर स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी राशि से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

11. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एच. डब्ल्यू. टी. स्वेम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

सं. 3-95/जी.आर.—केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा-विभाग ने अपने पत्रांक एफ. सं. 3-4/94-यू. । दिनांक 21-10-94 के द्वारा निम्नलिखित विनियम को अनुमोदित कर दिया है :

1. विनियमावली, खंड-1 1989 ई. के पृष्ठ 54-पर दिए गए अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संकाय से संबंधित विनियम 3(डी) का विलोपन (कैंसीलेशन) :

3(डी) अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संकाय के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय के रासायनिक अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी विभाग तथा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में, जो विश्वविद्यालय से संबंद्ध हैं, कार्यरत प्राध्यापकों के लिए 10 वर्ष का अध्ययन अनुभव तथा अभियंताओं/शिल्प-वैज्ञानिकों के लिए 10 वर्ष का कार्य-अनुभव।

2. विनियमावली; खंड-1, 1989 ई. के पृष्ठ 60-61 पर दिए गए विनियम 2.1 में परिवर्धन

2.1 प्रत्येक स्नातक-स्तरीय अध्ययन बोर्ड (अंडर-ग्रेजूएट बोर्ड आफ स्टडीज) में.....सदस्य होंगे.....

(1) से (4)

(5) कुलपति के द्वारा नामित विषय का एक विशेषज्ञ

3. विनियमावली, खण्ड-1, 1989 ई. के पृष्ठ 65-66 पर दिया गया विनियम

4. निम्नलिखित विषयों की पाठ्यक्रम समितियों (बोर्ड आफ स्टडीज) और उनके संयोजकों को अभिषद् (सिंडीकेट) नामित करेगी :

I से XXXVII XXX XXX

XXXVIII स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा

XXXIV स्नातक स्तरीय शारीरिक शिक्षा

4. विनियमावली, खंड-1, 1989 ई. के पृष्ठ 65-66 पर दिए गए विनियम में परिवर्धन :

4. निम्नलिखित विषयों की पाठ्यक्रम-समितियों और उनके संयोजकों को अभिषद् नामित करेगी : करेगी :

I से XLV XXXX XXXX XXXX

XLVI स्लोवाक

5. विनियमावली, खंड-1, 1989 ई. के पृ. 141 और 143 पर दिए गए विनियम 12.2 (सी) तथा 12.4 (सी)

12.2 (सी) 12.4 (सी)

असाधारण अवकाश

सक्षम अधिकारी किसी भी कर्मचारी को स्वविवेकानुसार असाधारण अवकाश (अनुपस्थित रहने की छूट) दे सकता है, किन्तु यह अवकाश—

(अ) अवैतनिक हो;

(आ) एक बार में यह तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा

(इ) यह अर्जितनिक तो होगा ही, साथ ही निम्नलिखित मामलों को छोड़कर वेतनवृद्धि के लिए उसकी गणना नहीं की जाएगी :

(क) स्वास्थ्य-विषयक प्रमाणपत्र के आधार पर अवकाश लिए जाने पर

(ख) उन मामलों में, जहां कुलपति इस बात से संतुष्ट हों कि परिस्थितियां उस कर्मचारी के नियंत्रण से इतनी बाहर होंगी कि कर्मचारी सेवा आरम्भ करने या पुनः सेवा आरम्भ करने में असमर्थ हो जाए; कारण, नागरिक उपद्रव या प्राकृतिक आपदा हों । इसमें प्रतिबंध यह है कि कर्मचारी के पास अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश शेष न रहा हो ।

(ग) उच्चतर शिक्षा-प्राप्ति के लिए अवकाश लिया गया हो तथा

(घ) विश्वविद्यालय से बाहर अन्य किसी पद पर नियंत्रित किए जाने पर उसे स्वीकार करने के लिए उसे अवकाश दिया गया हो।

यह अवकाश एक संवाकाल में 5 वर्ष से अधिक समय का नहीं होगा।

6. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड-1, 1980 के पृष्ठ 53-55 पर संकायों के लिए अभिनिर्दिष्ट होने वाले सदस्यों के चुनाव से संबंधित विनियम :

3. सदस्य (फेलो), जिनको जो संकाय निर्दिष्ट कर दिए गए हैं, अपने-अपने संकायों में सदस्यों को अभिनिर्दिष्ट (नोड) कर सकते हैं। यह अभिनिर्दिष्ट विनियमों में दी गई प्रक्रिया के आधार पर होगा। उन व्यक्तियों को ही सदस्य अभिनिर्दिष्ट कर सकेंगे, जो विश्वविद्यालय के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में निवास करते हों और निम्नलिखित अर्हताओं को पूरा करते हों :

(अ) विधि, अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान औषध विज्ञान के अतिरिक्त अन्य संकायों के लिए .

कोई अध्यापक (अकादमिक परिषद में संबंधित अध्याय के विनियम 2 में दी गई परिभाषा के अनुरूप), जो विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय में कार्यरत हो और जो उस संकाय के अन्तर्गत आने वाले विषयों में से किसी भी विषय को कम से कम दस वर्ष पढ़ाता रहा हो और पी.एच.डी. की उपाधि-धारक अध्यापक उस विषय को कम से कम पांच वर्ष पढ़ाता रहा हो ।

अथवा

विश्वविद्यालय के अध्यापन-विभागों को कोई अध्यापक, उस संकाय में आने वाले किसी विषय को कम से कम दस वर्ष पढ़ाता रहा हो और यदि वह पी.एच.डी. की उपाधि धारक हो, तो कम से कम 5 वर्ष उस विषय को पढ़ाता रहा हो

अथवा

विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय से अथवा विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन-विभाग से सेवा निवृत्त कोई अध्यापक जो कम से कम 10 वर्ष उस संकाय के किसी विषय को पढ़ाता रहा हो और यदि वह पी.एच.डी. की उपाधि धारक हो तो कम से कम 5 वर्ष उस विषय को पढ़ाता रहा हो।

3(एफ)—शिक्षा संकाय के लिए :—

(1) किसी संबद्ध महाविद्यालय का स्नातक कक्षाओं को पढ़ाने वाले प्राध्यापक के लिए कम से कम दस वर्ष का अध्यापन-अनुभव तथा पी.एच.डी., की उपाधि धारक प्राध्यापक के लिए 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव,

अथवा

(2) स्नातक-स्तर की कक्षाओं को शिक्षा/शारीरिक शिक्षा का विषय पढ़ाने वाले सम्बद्ध महाविद्यालयों के पर्णकालिक के प्राध्यापक के लिए दस वर्ष का अध्यापन अनुभव तथा पी.एच.डी. की उपाधि धारक प्राध्यापक के लिए 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

(3) विश्वविद्यालय के शिक्षा-विभाग/शारीरिक शिक्षा-विभाग के प्राध्यापक के लिए दस वर्ष का अध्यापन-अनुभव तथा पी.एच.डी. की उपाधि-धारक प्राध्यापक के लिए 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

अथवा

(4) विश्वविद्यालय के शिक्षा-विभाग/शारीरिक शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त अथवा शिक्षा-महाविद्यालय अथवा संबद्ध महाविद्यालय से सेवानिवृत अध्यापक के लिए उसकी सेवा-निवृत्ति से पूर्व उस संकाय के अन्तर्गत आने वाले किसी विषय के अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव तथा पी.एच.डी. की उपाधि-धारक प्राध्यापक के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व 5 वर्ष के अध्यापन का अनुभव

टिप्पणी : शिक्षा संकाय में शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त वे अन्य सभी विषय परिगणित हैं, जो इस संकाय के अंतर्गत आते हैं।

7. विनियमावली, खंड-2, 1988 ई. के पृष्ठ 26 पर दिया गया विनियम संख्या 27.4

27.4 अपने पहले के परीक्षाफल को सुधारने के उद्देश्य से पुनर्परीक्षा देने वाले किसी भी परीक्षार्थी को उस प्रश्नपत्र/उन प्रश्न पत्रों को कुल योग का एक प्रतिशत कृपांक दिए जा सकते हैं, जैसी भी स्थिति हो; जिनमें वह वास्तव में पुनर्परीक्षा देता हो। ये कृपांक श्रेणी में सुधार के लिए तथा उन परीक्षाओं में अंकों के कुल योग के 55% प्राप्तांक बनाने के लिए भी दिए जाएंगे, जहां 55% प्राप्तांक बनाने के लिए सुधार की अनुमति का प्रावधान विनियमों में है।

किसी भी परीक्षार्थी को उतने न्यूनतम अंक से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे, जितने कि उच्चतर श्रेणी बनाने के लिए अपेक्षित होंगे।

8. सिंडीकेट/सीनेट/भारत सरकार के द्वारा अनुमोदन किए जाने की प्रत्याशा में विनियमावली, खंड-2, 1988 ई. के पृष्ठ 66 पर किए गए विनियम 3.1 (बी) (3) को सत्र 1992-93 से प्रभावी समझा जाए।

3.1 (बी) (3) नवम्बर-दिसम्बर में सम्पन्न होने वाली गृह-आन्तरिक परीक्षा (हाउस इक्जामिनेशन) में सभी विषयों के अंकों के कुलयोग के कम से कम 25% अंक प्राप्त कर लेने पर.....

व्याख्या :—

गृह/आन्तरिक परीक्षा में प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 होंगे। कोई भी महाविद्यालय उसके प्राचार्य के स्वविवेकानुसार फरवरी के तीसरे सप्ताह तक उन विद्यार्थियों के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित कर सकता है, जो ऊपर दी गई (3) शर्त को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। परीक्षा में सम्मिलित हो पाने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी भी विद्यार्थी को तीनों ऐच्छिक विषयों के कुल योग के 30% अंक प्राप्त करने होंगे। उन विद्यार्थियों के प्रवेश-फार्म 1 मार्च तक अपेक्षित शुल्क के साथ विश्वविद्यालय के कार्यालय में पहुंच जाएंगे, जो विशेष रूप से आयोजित परीक्षा में अपनी अर्हता प्राप्त करेंगे।

9 विनियमावली, खण्ड-2, 1988 ई. के पृष्ठ 83 पर दिए गए बी. एस. सी. गृह विज्ञान (उत्तीर्ण) परीक्षा (संशोधित) से संबंधित विनियम 3.1 (बी) (4)—

(1991 ई.) को प्रवेश से प्रभावी माना जाएगा)

3.1 (बी) (4)—दोनों गृहपरीक्षाओं के, जिनमें से पहली सितम्बर में तथा दूसरी नवम्बर में सम्पन्न होगी, सभी विषयों के अधिकतम अंकों में सम्मिलित कुल योग के कम से कम 25 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए जाने पर...

परीक्षा :—गृह परीक्षा में प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 100 अंक निर्धारित रहेंगे।

यह भी प्रावधान है कि किसी भी विद्यार्थी के भाग-1/भाग-2 की परीक्षा के उत्तीर्ण करने के लिए तीन वर्षों के अंदर ही भाग 2/भाग-3 की परीक्षा स्थिति के अनुरूप देनी होगी।

10. विनियमावली, खंड-2, 1988 ई. के पृष्ठ 107-110 पर दिए गए कलानिष्णात (एम.ए.) परीक्षा से संबंधित विनियम 3.1 में परिवर्धन

3.1 कोई भी व्यक्ति एम. ए. भाग-1 (प्रथम वर्ष) प्रवेश ले सकता है, जिसने इस विश्वविद्यालय की निम्नलिखित परीक्षाओं में से किस को उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा सन् 1948 से पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर से निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी को उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय की ऐसी परीक्षा, उत्तीर्ण कर रखी हो, जिसे इस विश्वविद्यालय ने अपनी संबंधित परीक्षा के समतुल्य स्वीकार कर लिया हो :—

(1) से (9)

प्रावधान किया जाता है कि—

(ए) से (1)

(एम) यदि किसी व्यक्ति ने आदि ग्रंथाचार्य/गुरुग्रंथाचार्य डिप्लोमा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तो वह भी हिन्दी, संस्कृत तथा पंजाबी विषयों में से किसी में भी एम. ए. भाग-1 के प्रवेश के लिए योग्यता सम्पन्न समझा जाएगा।

11. विनियमावली खंड-2, 1988 ई. के पृष्ठ 107-11 पर दिए गए कला निष्णात (एम.ए.) परीक्षा-विषयक (विनियम 3.1 में परिवर्धन तथा सिंडीकेट/सीनेट/भारत सरकार के द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में इसे 1991-92 के प्रवेश से प्रभावी समझी जाए।

3.1 यदि किसी व्यक्ति ने निम्नलिखित परीक्षाओं को इस विश्वविद्यालय से अथवा सन् 1948 ई. के पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय से लाहौर से अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी ऐसी परीक्षा को, जिसे संबंधित परीक्षा के समतुल्य इस विश्वविद्यालय ने स्वीकार कर लिया है, उत्तीर्ण कर लिया है, तो वह एम. ए भाग-1 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्य समझा जाएगा :—

(1) से (9) X X X

(10) उर्दू के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने उत्तीर्ण कर लिया हो

(अ) 50% अंक लेकर बी. ए./बी. एम. सी. की परीक्षा को

अथवा

(आ) ऐच्छिक विषय के रूप में उर्दू में 45% अंक लेकर बी. ए. की परीक्षा को

अथवा

(इ) बी. ए. की परीक्षा को 45% अंक लेकर उर्दू में उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा को

12. विनियमावली, खंड-2, 1988 ई. के पृष्ठ 135 पर दिया गया एम. एस. सी. (गृह-विज्ञान) (समस्तर पद्धति) से संबंधित विनियम 2 :-(1991 ई. के प्रवेश से प्रभावी समझा जाए)

2. जिस व्यक्ति ने पंजाब विश्वविद्यालय की बी. एस. सी परीक्षा गृहविज्ञान में 50% अंक लेकर उत्तीर्ण कर ली है अथवा इसके समकक्ष मान्यताप्राप्त अन्य किसी विश्वविद्यालय की ऐसी कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उसे ही एम. एस. सी. गृह-विज्ञान में प्रवेश मिलेगा ।

13. विनियमावली, खंड-2, 1988 ई. के पृष्ठ 151 पर दिए गए भौतिकी तथा रसायनविज्ञान से संबंधित विनियम 2 :—

2:- (सन् 1991 ई. के प्रवेश से प्रभावी होगा) रसायनविज्ञान :-

(अ) बी. एस. सी. (आयुर्विज्ञान/आयुर्विज्ञान-विवर्जित :—

जिन व्यक्तियों ने इस परीक्षा में कुल अंक 50% तथा रसायनविज्ञान में भी 50% अंक प्राप्त कर लिए हों । जिन विद्यार्थियों ने बी. एस.सी. (आयुर्विज्ञान समूह) की परीक्षा पास की होगी, उनको प्रथम और द्वितीय समस्तर में गणित का विषय पढ़ना होगा, तथा

जिन विद्यार्थियों ने बी. एस. सी. (आयुर्विज्ञान-विवर्जित) परीक्षा पास की होगी, उनके प्रथम और द्वितीय समस्तर में जीव विज्ञान का विषय पढ़ना होगा ।

भौतिकी

पंजाब विश्वविद्यालय की बी. एस.सी. परीक्षा कम से कम 50% अंक लेकर उत्तीर्ण की हो तथा भौतिकी, गणित के अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों में से कोई एक विषय और पढ़ा हो :—

जीव-रसायन (बायोकेमिस्ट्री), वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, जीव-भौतिकी (बायो-फिजिक्स) भूगर्भविज्ञान (जियोलोजी), सांख्यिकी, जंतुविज्ञान, वैद्युत-आणविक (इलैक्ट्रानिक्स) तथा जीवन विज्ञान (लाइफ सांइसेज), पर स्नातक पाठ्यक्रम समिति के निर्णय के अनुसार ।

14. विनियमावली, खण्ड-2, 1988 के पृष्ठ 208 पर दिए गए "डिप्लोमा इन आदिग्रंथ आचार्य" के नाम का "डिप्लोमा इन गुरुग्रंथ आचार्य", के रूप में परिवर्तन ।

15. जर्मन में कला-निष्णात (एम. ए.) की उपाधि के आरम्भ हो जाने (सत्र) 1992-93 से आरम्भ के कारण जर्मन में पर-स्नातक डिप्लोमा संबंधी का विलोपन ।

3-303GI/95

16. विनियमावली, खण्ड-2, 1988 ई. के पृष्ठ 270 पर दिए गए बी. एड. से संबंधित विनियम 5.1.

5.1 निम्नलिखित दो भागों में यह परीक्षा पूरी होगी :—

भाग-1 सैद्धांतिक प्रश्नपत्र

भाग-2 प्रयोग (पाठ्यचर्चा में दिए गए विवरणों के अनुरूप) यह भी प्रावधान किया जाता है कि :—

(1) अध्यापन के लिए चुने गए विषयों में से एक विषय वह अवश्य होगा, जिसे स्नातक स्तर पर पढ़ा जा चुका हो (बी. काम. तथा एम. काम. कर चुके विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र, अथवा गणित अथवा अंग्रेजी विषय को अध्यापन के लिए चुनने का अधिकार होगा ।

(2) जिन विद्यार्थियों ने बी. ए. में ललित कला (फाइन आर्ट्स) अथवा संगीत अथवा नृत्य को पढ़ा हो अथवा जो बी. ए. के साथ-साथ आरेखन और चित्रकला में डिप्लोमा कर चुके हों अथवा जो किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कला तथा शिल्प के अध्यापक का पाठ्यक्रम पढ़ कर आए हों, वे अध्यापन के विषय के रूप में कला, संगीत तथा नृत्य का विषय ले सकते हैं ।

(3) जिन विद्यार्थी ने बी. ए. अथवा एम. ए. अथवा एम. एस. सी. के स्तर पर निम्नलिखित विषयों में से कोई एक विषय पढ़ा हो, वह अध्यापन के विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान को ले सकता है :—

इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन अथवा वाणिज्य ।

17. विनियमावली, खण्ड-2, 1988 ई. के पृष्ठ 274 पर दिए गए एम. एड. से संबंधित तथा एम. एड. निर्देशन तथा सलाह (गाइडेंस) तथा (काउंसेलिंग) तथा एम. एड. (शैक्षिक प्रौद्योगिकी) से संबंधित विनियम 5.1 :—

5.1 सभी प्रश्न पत्रों, लघु शोध प्रबंध भी इसमें सम्मिलित हैं, में परीक्षा का भाषिक माध्यम अंग्रेजी या **हिन्दी या पंजाबी होगा ।**

5.1 लघु शोध प्रबंध, वैयक्तिक सलाह तथा सामूहिक सलाह आख्या सहित सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा का भाषिक माध्यम अंग्रेजी या हिन्दी या पंजाबी होगा ।

5.1 लघु शोध प्रबंध, परियोजना आख्या (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) सहित सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा का भाषिक माध्यम अंग्रेजी या हिन्दी या पंजाबी होगा ।

18. विनियमावली, खण्ड-3 1988 ई. में दिए गए अंतर राष्ट्रीय व्यापार निष्णात (मास्टर इन इन्टरनेशनल बिजनेस) अर्थात एम-आई बी से संबंधित विनियम :—

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निष्णात (मास्टर इन इन्टरनेशनल बिजनेस) अर्थात एम-आई-बी की उपाधि से संबंधित पाठ्यक्रम की कालावधि दो शैक्षणिक स्तरों की होगी । प्रत्येक स्तर को दो समस्तरों में विभाजित

किया जाएगा। सामान्यतया पहले और तीसरे समस्तर की परीक्षा दिसम्बर के महीने में; तथा दूसरे और चौथे समस्तर की परीक्षा अप्रैल/मई में आयोजित की जाएगी; अथवा उन तिथियों में ये परीक्षाएं आयोजित होंगी, जिनको सिंडीकेट निश्चित करेगी।

2.1 प्रत्येक विद्यार्थी समय-समय पर सिंडीकेट द्वारा निश्चित किए हुए परीक्षा शुल्क के साथ-साथ अन्य शुल्क जैसे शिक्षा शुल्क आदि देगा।

2.2 वाणिज्य तथा व्यापार-प्रबंधन विभाग का अध्यक्ष परीक्षा के आरम्भ होने से कम से कम 5 सप्ताह पूर्व परीक्षा-नियंत्रक को उन विद्यार्थियों की सूची भेजेगा जो विनियम की शर्तों पर पूरे उतरे हों और परीक्षा में बैठने के योग्य हों।

2.3 पांच रुपए के विलम्ब-शुल्क के साथ तथा विलम्ब-शुल्क के बिना प्रवेश के प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने की तिथियों का निश्चय सिंडीकेट करेगी।

3. प्रथम समस्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कम से कम अर्हताएं निम्नलिखित होंगी :—

(1) किसी भी अनुशासन में कम से कम 50% प्राप्तांक के साथ किसी भी ऐसे विश्वविद्यालय की स्नातक-उपाधि, जिसे इस विश्वविद्यालय की सिंडीकेट ने अपनी स्नातक-उपाधियों के समकक्ष स्वीकार कर लिया हो। यह भी प्रावधान किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आधुनिक भारतीय भाषाओं (हिन्दी/उर्दू/पंजाबी/गुरुमुखी लिपि) तथा/अथवा प्राचीन भाषाओं (संस्कृत/फारसी/अरबी) अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय की इसी प्रकार की उपाधि प्राप्त की हो, जिसे सिंडीकेट ने मान्यता प्रदान कर दी हो, तो उसके 50% कुल प्राप्तांकों की गणना करते समय उस भाषा के सभी प्रश्नपत्रों के अंकों के कुलयोग से ऐच्छिक प्रश्नपत्र अंग्रेजी तथा अन्य ऐच्छिक विषय के प्राप्तांकों को अलग कर दिया जाएगा।

(2) (अ) भारत अथवा इंग्लैंड के चार्टर्ड लेखाकार संस्थान के द्वारा आयोजित (आ) भारत अथवा इंग्लैंड के वर्क्स लेखाकार संस्थान द्वारा आयोजित तथा (इ) भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित पूर्ण परीक्षा की उत्तीर्णता

(3) डिप्लोमा की परीक्षा 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर लेने के उपरांत यदि किसी ने 50% प्राप्तांकों के साथ ए. एम. आई. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथा पांच वर्षों के अध्यापन/शोध का अनुभव भी प्राप्त कर लिया हो।

4. समय-समय पर निर्धारित हुए पाठ्यक्रमों में दिए गए विषयों की परीक्षा प्रत्येक अभ्यर्थी को देनी होगी।

आन्तरिक मूल्यांकन के निमित्त 50% अंक प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए नियत रहेंगे। विचारगोष्ठी (सेमीनार) परियोजना (प्रोजेक्ट) तथा मौखिक परीक्षा इसमें सम्मिलित नहीं मानी जाएगी।

विचारगोष्ठी परियोजना तथा कार्यशाला का मूल्यांकन 100% के आधार पर होगा। मौखिक परीक्षा बाह्य आन्तरिक परीक्षक सम्मिलित रूप से लेंगे। विभागाध्यक्ष समय-समय पर ली गई परीक्षाओं, लिखित नियत कार्य (एसाइनमेन्ट), समस्या पर विचारणा (केस डिस्कशन), सिंडीकेट सत्रों, कार्य क्षेत्रीय यात्राओं आदि के अंक परीक्षा-नियंत्रक के पास परीक्षा आरंभ होने से कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेज देगा।

5. विभागाध्यक्ष आवश्यकता होने पर जांच के लिए उस प्रलेख तथा विवरण को परीक्षा परिणाम घोषित होने से छः महीने तक सुरक्षित रखेगा जिसके आधार पर आतंरिक मूल्यांकन के अंक दिए गए हैं। परीक्षा आरंभ होने से कम से कम 10 दिनपूर्व विभागाध्यक्ष के पास परियोजना की आख्याएं (प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स) जमा करनी होंगी। उक्त तिथि के बाद वे स्वीकार नहीं की जाएंगी।

6.1 प्रथम समस्तर परीक्षा में वे ही व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे :—

(1) जो परीक्षा से पूर्व पहले समस्तर में विभाग के विधिवत विद्यार्थी रहे हों, तथा

(2) जिन्होंने 65% से कम कक्षा में उपस्थित न रहे हों और विचार गोष्ठियों, समस्या विमर्शों, सिंडीकेट सत्रों, कार्यक्षेत्रीय यात्राओं परियोजना कार्यों में भाग न लिया हो। इसमें दस प्रतिशत की कमी को विभागाध्यक्ष कृपापूर्वक क्षमा कर सकता है।

6.2 दूसरे, तीसरे और चौथे समस्तर की परीक्षा में वे ही विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे :—

(अ) जो दूसरे, तीसरे और चौथे समस्तर की परीक्षा के पूर्व के संबंधित सत्र में विभाग के विधिवत् विद्यार्थी रहे हों, तथा

(आ) जिन्होंने विचारगोष्ठियों, समस्या-विमर्श, सिंडीकेट सत्रों, कार्यक्षेत्रीय यात्राओं, परियोजनाओं कार्यों आदि में तथा प्रत्येक प्रश्नपत्र में कम से कम 66% कक्षा में उपस्थित रहे हों। इसमें 10% की कमी को विभागाध्यक्ष कृपापूर्वक क्षमा कर सकता है तथा

(इ) जिन्होंने क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे समस्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है अथवा जो विनियम-9 के अधीन पुनः परीक्षायोग्य माने जा सकते हों।

7. परीक्षा और अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी।

8.1 प्रत्येक समस्तर की परीक्षा के उत्तीर्णांक निम्नलिखित रूप में होंगे :—

(1) आन्तरिक मूल्यांकन में अलग से तथा उसको सम्मिलित करते हुए भी विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रत्येक प्रश्नपत्र में 35 प्रतिशत प्राप्तांक

(2) विचारगोष्ठी, परियोजना तथा मौखिक परीक्षा में 35% प्राप्तांक

(3) उपर्युक्त (1) तथा (2) को संयुक्त करते हुए 50% प्राप्तांक 8.2 प्रत्येक समस्तर में विश्वविद्यालय परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के एक प्रतिशत की दर से कृपांक दिए जाएंगे । विद्यार्थी के लिए लाभप्रद रूप में कृपांक स्थिति के अनुरूप कुल प्राप्तांकों पर अथवा अलग-अलग प्रश्नपत्रों के प्राप्तांकों पर दिए जा सकते हैं । कृपांक केवल परीक्षा को उत्तीर्ण करने अथवा उच्चतर श्रेणी को प्राप्त करने के लिए दिए जाएंगे, परीक्षा को विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण करने के लिए नहीं ।

9 (अ) यदि कोई परीक्षा पहली और तीसरे समस्तर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन वह उस समस्तर में निर्धारित कम से कम 50% प्रश्न पत्रों में आंतरिक मूल्यांकन में अलग से तथा संयुक्त रूप में भी 35% अंक प्राप्त कर लेता है, उसे अनुमति होगी कि वह क्रमशः दूसरे और चौथे समस्तर की पढ़ाई जारी रखे लेकिन उसी आगामी अप्रैल-मई की परीक्षा में उन प्रश्न पत्रों को उत्तीर्ण करना होगा, जिनमें वह दिसम्बर की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका था, साथ ही वह उसे दूसरे और चौथे समस्तर की परीक्षा भी स्थिति के अनुरूप उत्तीर्ण करनी होगी ।

पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी को प्रत्येक समस्तर की संबंधित परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए 25 रु. के हिसाब से प्रवेश शुल्क देना होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50 रु. होगी । यह उस समस्तर की परीक्षा के शुल्क के अतिरिक्त होगा, जिसमें वह सम्मिलित होने जा रहा होगा । दूसरे प्रयास में भी पहले और तीसरे समस्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण न कर पाने पर स्थिति के अनुरूप दूसरे और चौथे समस्तर की परीक्षा का परिणाम निरस्त कर दिया जाएगा और उसे पाठ्यवृत्त से निकाल दिया जाएगा ।

(आ) यदि कोई परीक्षार्थी दूसरे समस्तर में उत्तीर्ण रह जाता है लेकिन उस समस्तर में उसे आंतरिक परीक्षा में अलग से तथा सम्मिलित रूप में भी निर्धारित प्रश्न पत्रों के 50% प्रश्न पत्रों में कम से कम 35% अंक मिल जाते हैं, उसे तीसरे समस्तर में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति होगी, लेकिन उसे उन प्रश्नपत्रों की पुनः विशेष परीक्षा देनी होगी और उनको उत्तीर्ण करना होगा, जिनमें वह अप्रैल की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह गया था । यह विशेष परीक्षा अगस्त में होगी लेकिन अप्रैल की परीक्षा का परिणाम घोषित होने के कम से कम छः महीने के पश्चात् ही यह परीक्षा होगी । यदि वह इस विशेष परीक्षा में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो, उसे पाठ्यवृत्त से निकाल दिया जायेगा ।

(इ) यदि कोई अभ्यर्थी चौथे समस्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है लेकिन वह आंतरिक मूल्यांकन में भी 35% अंक पाता है और सम्मिलित रूप में भी निर्धारित प्रश्न-पत्रों में 50% प्रश्नपत्रों में 35% अंक प्राप्त करता है तो वह उन सभी प्रश्न-पत्रों की पुनः विशेष परीक्षा दे सकेगा, जिनमें वह अप्रैल में उत्तीर्ण नहीं कर सका था और वह वि परीक्षा अगस्त में होगी, लेकिन अप्रैल की परी परिणाम घोषित होने के कम से कम छः सप्ताह पश्चात् व्याख्या: इस विनियम के अधीन पांच प पत्रों के 50% का अभिप्राय दो प्रश्न पत्र होंगे सा सात प्रश्न-पत्रों का अभिप्राय तीन प्रश्न-पत्र होंगे

(ई) यदि कोई अभ्यर्थी चौथे समस्तर को अगस्त विशेष परीक्षा में भी उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, उसे एक अवसर और मिलेगा । वह दिसंबर अ अप्रैल की परीक्षा में अगले वर्ष सम्मिलित हो सकें और उन्हीं प्रश्न पत्रों की परीक्षा देगा, जिनको उत्तीर्ण नहीं कर सका था और विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाया था ।

यदि कोई परीक्षार्थी दूसरे अवसर का उपयो करने के पश्चात् भी चौथे समस्तर को उत्तीर्ण न कर पाता है, जिसका प्रावधान ऊपर किया ग है, तो उसे इस पाठ्यवृत्त से निकाल दिया जायेगा ।

(उ) यदि किसी परीक्षार्थी को 100% आंतरिक मूल्यां वाले प्रश्न-पत्र में पुनः परीक्षा देनी पड़ती है तो उसे उस प्रश्न-पत्र को उत्तीर्ण करने का एक अ अवसर मिलेगा तथा उसे कक्षा में पुनः उपस्थित की आवश्यकता नहीं रहेगी । उसके नियत का (वर्क एसायनमेंट) का निर्धारण विभागाध करेगा ।

10. यदि कोई परीक्षार्थी पहले, दूसरे, तीसरे या चौ समस्तर में अनुत्तीर्ण रहता है और उसका मामला विनियम की अधीन पुनः परीक्षा के लिए अनुपयुक्त रहता है, तो उसे में कक्षाओं में उपस्थित रहे बिना ही आगामी नियतकालीन पर में बैठने का एक और अवसर मिल सकता है, लेकिन उसे सम परीक्षा देनी होगी ।

यदि कोई व्यक्ति दूसरे अवसर में भी उस समस्तर परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसे पाठ्यवृत्त (को छोड़ना पड़ेगा ।]

11. यदि कोई अभ्यर्थी दूसरे समस्तर को उत्तीर्ण कर पश्चात् अपना अध्ययन अधूरा छोड़ देता है, तो उसे दूसरा स स्तर उत्तीर्ण करने के दो वर्षों के अन्दर ही तीसरे समस्तर पुनः अध्ययन आरंभ करने की छूट होगी ।

12. परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने वाले परीक्षार्थी के आंतरि मूल्यांकन के अंक अगली परीक्षा में जोड़े जाएंगे ।

परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने वाले परीक्षार्थी को अगली त आने वाली परीक्षा में पूर्व छात्र के रूप में बैठने की छूट होगी ।

13. परीक्षा नियंत्रक परीक्षा समाप्ति के बाद यथा सं शीघ्रातिशीघ्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के न की घोषणा प्रकाशित करेगा ।

14. सफल परीक्षार्थियों का वर्गीकरण अधोलिखित रूप होगा :—

(1) सभी समस्तरों की परीक्षाओं में **प्रथम श्रे**

संयुक्त रूप से 75% तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी

विशेष योग्यता के

(2) सभी समस्तरों की परीक्षा में संयुक्त रूप से 60% से अधिक तथा 75% से कम अंक प्राप्तकर्ता — प्रथम श्रेणी

(3) सभी समस्तरों की परीक्षाओं में संयुक्त रूप से 60% से कम अंक प्राप्तकर्ता — द्वितीय श्रेणी

19. विनियमावली, खण्ड-2, 1988 ई. के पृष्ठ सं. 431-432, 440 तथा 441 पर दिए गए एम. डी। एस. एस. से संबंधित विनियम 6.1 तथा 6.3 तथा जिसे सिंडीकेट/सीनेट/भारत सरकार के अनुमोदन की प्रत्याशा में 1993 के प्रवेश से प्रभावी समझा जाए :

6.1 अभ्यर्थी को कुल सचिव (रजिस्ट्रार) को पंजीकरण के 1 महीने के अंदर ही अपने शोध प्रबंध के विषय के अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदन-पत्रों पर आयुर्विज्ञान संकाय एक वर्ष में चार बार निम्नलिखित तिथियों पर विचार करेगी :—

(अ) पहली जनवरी से पन्द्रह जनवरी तक

(आ) पहली अप्रैल से पन्द्रह अप्रैल तक

(इ) पहली जुलाई से पन्द्रह जुलाई तक

(ई) पहली अक्टूबर से पन्द्रह अक्टूबर तक

कुल सचिव के पास भेजने से पूर्व इस आवेदन-पत्र को उस कालेज/संस्थान के प्रमुख व्यक्ति से विधिवत् प्रमाणित कराना होगा जहां कि अभ्यर्थी अध्ययन कर रहा है।

विभागाध्यक्ष/कालेज-प्राचार्य/संस्थान का प्रमुख व्यक्ति यह प्रमाणित करेगा कि अभ्यर्थी को निर्देशन की समस्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शोध प्रबंध का विषय औषधि विज्ञान तथा उसके अनुप्रयोग से संबंधित होगा।

उपर्युक्त नियत तिथियों के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन-पत्र को अनुवर्ती तिथियों पर प्राप्त हुआ समझा जाएगा। उदाहरणार्थ यदि कोई आवेदन पत्र 1 जनवरी को प्राप्त होता है, तो उसे 1 अप्रैल, की तिथि आयुर्विज्ञान संकाय द्वारा विचारार्थ लिया जाएगा।

यदि कोई अभ्यर्थी सुनिश्चित समय पर शोध प्रबंध के विषय का अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहता है, तो जो समय की छूट प्राप्त की जा सकती है।

1. एक महीने तक की छूट—आयुर्विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता द्वारा

2. तीन महीने तक की छूट

—कुलपति के द्वारा

यदि कोई अभ्यर्थी नौ महीने तथा तीन महीनों की छूट वाली अवधि के अंदर जैसा कि विनियम के अधीन प्रावधान किया गया है, आवेदन नहीं करता है तथा एक वर्ष के उपरान्त आवेदन करता है, तो उसका प्रशिक्षणकाल छः महीने बढ़ा दिया जाएगा।

6.3 शोध प्रबंध—इस विनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही होगा और परीक्षा आरम्भ होने से कम से कम छः महीने पहले उसे जमा करा दिया जाएगा। तथापि परीक्षा का अंतिम परिणाम शोध प्रबंध की स्वीकृति के बाद ही घोषित किया जाएगा।

शोध प्रबंध में अभ्यर्थी की अपनी खोज अनुभव स्थापित होगी। इसमें प्रकाशनों, संदर्भों को सटीक तथा पूर्ण रूप से उद्धृत किया जाएगा। इसका स्तर अनिवार्यतः उत्कृष्ट होना चाहिए। उसकी प्रस्तुति सर्वथा स्तरीय एवं संतोषप्रद होगी। इसके अंत में संक्षेप में निष्कर्ष दिए गए होंगे, जिन पर अभ्यर्थी पहुंचा होगा। शोध प्रबंध (कागज) आकार 11" × 8½") के दोनों ओर हाशिया (1½) छोड़कर टंकित किया हुआ हो। इसकी जिल्द कपड़े की चढ़ाई हुई होगी तथा उसके ऊपर शोध प्रबंध का शीर्षक तथा अभ्यर्थी का नाम अंकित होगा।

20. बी.एफ.ए. पाठ्यक्रम (4 वर्ष) से संबंधित विनियमावली, खंड-2 1988 ई. के पृष्ठ 530-531 पर दिया गया विनियम 1.1, 2.4 तथा 2.5

1.1 बी. एफ. ए. (चित्रकला), बी. एफ. ए. (अनुप्रायोगिक कलाएं) बी.एफ.ए. (मूर्तिकला), बी. एफ. ए. (आरेखण तथा मुद्रण) का पाठ्यक्रम चार वर्ष का होगा। चारों वर्षों की वार्षिक परीक्षाएं पंजाब विश्वविद्यालय आयोजित करेगा। ये परीक्षाएं वर्ष में एक बार अप्रैल के महीने में अथवा सिंडीकेट द्वारा नियत तिथि पर होंगी।

2.4 एक सत्र के कार्य पर दिए जाने वाले कुल अंकों के 35% अंक सम्बद्ध विषय का अध्यापक देगा। इनका विभाजन इस प्रकार होगा :—

अ. प्रक्रिया	30%
आ. उत्पाद	30%
इ. मनोवृत्ति	15%
ई. समझ	25%

2.5 सत्र-कार्य के शेष 65% अंक जमा की गई फाइल (पोर्टफोलियो) पर मौखिक परीक्षा के उपरान्त दिए जाएंगे, जो एक समिति लेगी। इस समिति के सदस्य संबद्ध विषय का अध्यापक, प्राचार्य तथा बाहर का विषय-विशेषज्ञ ये तीन लोग होंगे।

21. बी. ए./बी. एस. सी. (सामान्य तथा विशेष योग्यता) परीक्षा (नवीन पद्धति) के विनियम 27.2 के प्रावधान में परिवर्द्धन, जिसे सिंडीकेट/सीनेट/भारत सरकार के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रभावी समझा जाए :

27.2 पूरक परीक्षा के लिए योग्य घोषित अभ्यर्थी को उपरी अगली कक्षा में प्रवेश लेने की अस्थायी छूट होगी। यदि वह दो अवसरों का उपयोग करने के बाद भी पूरक परीक्षा में इस विषय को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उपरी अगली कक्षा का उसका परीक्षा-परिणाम निरस्त समझा जाएगा। पूरक परीक्षा वाले विषय में वह नियमित छात्र अथवा पूर्व छात्र के रूप में परीक्षा दे सकता है। यह भी प्रावधान किया जाता है कि यदि कोई परीक्षार्थी बी.ए./बी.एस. सी. भाग-2 की परीक्षा में दो निरन्तरित अवसरों में भी पूरक परीक्षा वाले विषय को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है लेकिन बी. ए./बी. एस. सी. भाग-3 की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है, तो उसे दो और अतिरिक्त अवसर पहले वाले दो अवसरों के तुरंत बाद मिलेंगे, जिनका वह उपयोग कर चुका होगा। यदि इन अतिरिक्त दो अवसरों में भी वह

अनुत्तीर्ण रहता है, तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और बी.ए./बी.एस.सी. भाग-3 का उसका परीक्षा-परिणाम स्वतः निरस्त माना जाएगा।

22. पंजाबी में एम. ए. (विशेष योग्यता) से सम्बद्ध विनियम, जिसे 1992-93 के शैक्षणिक सत्र से प्रभावी समझा जाए :

1. पंजाबी में एम. ए. (विशेष योग्यता) भाग-1 में वह व्यक्ति प्रवेश ले सकता है, जिसने :

इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य बंध विश्वविद्यालय से पंजाबी में बी.ए. (विशेष योग्यता) की उपाधि प्राप्त की हो;

अथवा

बी. ए. में द्वितीय श्रेणी प्राप्त की हो तथा पंजाबी विषय (ऐच्छिक) में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों ।

अथवा

बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और पंजाबी (ऐच्छिक) विषय में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों ।

जिस व्यक्ति ने पंजाबी विषय एम. ए. (विशेष योग्यता) भाग-1 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होगी, उसे ही एम. ए. (विशेष योग्यता) भाग-2 में प्रवेश मिल सकेगा ।

2. प्रत्येक वर्ष परीक्षा में छः प्रश्नपत्र होंगे । इनमें से चार प्रश्न-पत्र वे ही होंगे, जो एम.ए. (पंजाबी) में होते हैं । शेष दो प्रश्नपत्रों की पाठ्यचर्या अलग से निर्धारित की जाएगी । प्रत्येक प्रश्नपत्र 3 घंटों का होगा और पूर्णांक 100 होंगे ।

3. विशेष योग्यता के साथ एम. ए. (पंजाबी) को उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक होगा :

(अ) एम. ए. 1 तथा एम. ए. भाग-2 में निर्धारित उत्तीर्णांक

(आ) विशेष योग्यता वाले अतिरिक्त प्रश्नपत्रों में 40% प्राप्तांक और दोनों वर्षों के प्राप्तांकों का कुल योग 50%

4. दोनों वर्षों की परीक्षा देने पर ही विशेष योग्यता का परीक्षा-परिणाम घोषित किया जाएगा ।

5. शेष शर्तें वे ही रहेंगी, जो एम. ए. में सामान्य रूप से हैं ।

23. स्वास्थ्य-शिक्षा, शारीरिक शिक्षा क्रीडाएं विषय में बी. एस. सी. (त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) से संबंधित विनियम 2.1 (बी)

2.1 (बी) 24 श्रेयांकों में से 4 श्रेयांकों के लिए प्रत्येक विद्यार्थी अंग्रेजी और पंजाबी की पाठ्यचर्या पढ़ेगा । निम्नलिखित रूप से 2 श्रेयांक पहले वर्ष में और शेष 2 श्रेयांक दूसरे वर्ष के लिए नियत रहेंगे :—

प्रथम वर्ष (1992-93)

सामान्य अंग्रेजी—2 श्रेयांक (बी. एस. सी. सामान्य पाठ्यक्रम वाली पाठ्यचर्या ही रहेगी)

द्वितीय वर्ष (1993-94)

(1) पंजाबी-1 (अनिवार्य) पंजाब का इतिहास तथा संस्कृति-1 1 श्रेयांक

"बी. एस. सी. सामान्य पाठ्यक्रम वाली पाठ्यचर्या ही रहेगी"

(2) पंजाबी-2 (अनिवार्य)/पंजाब का इतिहास तथा संस्कृति-2 1 श्रेयांक

"बी. एस. सी. सामान्य पाठ्यक्रम वाली पाठ्यचर्या ही रहेगी"

विशेष :—निम्नलिखित कोटियों के विद्यार्थी पंजाबी (अनिवार्य) के स्थान पर पंजाब का इतिहास तथा संस्कृति विषय पढ़ सकते हैं :

(1) पंजाब के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों के विद्यार्थी, प्रतिरक्षा सेनाओं के व्यक्ति और उनके बच्चे/उनसे संरक्षित व्यक्ति, ऐसे सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी और उनके बच्चे/उनसे संरक्षित व्यक्ति, जो विद्यार्थी के प्रवेश के अविलम्ब पहले 10 वर्षों तक पंजाब से बाहर रहे हों ।

(2) वे सभी विद्यार्थी, जिनकी पढ़ाई अभी बीच में ही हो और जिन्होंने दसवीं कक्षा तक बी.एस.सी. के पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय पंजाबी पढ़ी ही नहीं हो, पंजाबी के स्थान पर पंजाब का इतिहास तथा संस्कृति पढ़ सकते हैं । यह सुविधा उन्हें 1992-93 के प्रवेश से दो वर्षों तक ही मिलेगी ।

(3) भारत के अनिवासी के आप्रवासी जनों (एन. आर. आई.) तथा अनिवासी उत्प्रवासी जनों (एन. आर. ई.) तथा विदेशी विद्यार्थियों के लिए भी यह सुविधा रहेगी ।

24. विनियमावली, खंड-2, 1980 ई. के अनुसार बी. काम./परीक्षा से संबंधित विनियम 11.2 जिसे सिंडीकेट/सीनेट/भारत सरकार के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रभावी समझा जाए :

11.2 यदि किसी अभ्यर्थी ने सभी विषयों के अंकों के कुल योग के 35% अंक प्राप्त किए हों और वह एक विषय में अनुत्तीर्ण रह गया हो तथा उसे उस विषय में 20% से कम अंक मिले हों, तो उसे उस विषय में आगामी दो परीक्षाओं में बिना अंतराल के सम्मिलित होने की अनुमति होगी और यदि वह इनमें से किसी भी परीक्षा में उस विषय को उत्तीर्ण कर लेता

है, तो यह समझा जाएगा कि उसने वह विषय उत्तीर्ण कर लिया है ।

जिस विद्यार्थी को यह सुविधा मिलेगी, वह अगली उच्चतर कक्षा में प्रवेश का अधिकारी अस्थायी रूप से होगा । यदि वह इस विषय को पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो वह उस विषय में फिर से वार्षिक परीक्षा में अन्य विषयों के साथ उस विषय की भी परीक्षा देगा । यदि वह दूसरे प्रयास में भी उस विषय को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसका स्थिति के अनुसार दूसरे या तीसरे वर्ष का परीक्षा-परिणाम निरस्त कर दिया जाएगा । अगले वर्ष उस विषय में नियमित या पूर्व छात्र के रूप में परीक्षा दे सकेगा ।

यह प्रावधान किया जाता है कि यदि कोई अभ्यर्थी बी. काम. भाग-2 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण विषय को दो निरन्तरित प्रयासों में भी उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तथा बी.काम. भाग-3 की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है, तो उसे उपयोग किए गए दूसरे प्रयास के तुरन्त बाद दो अवसर और मिलेंगे । यदि वह इन दो अतिरिक्त प्रयासों के बाद भी उस विषय में अनुत्तीर्ण रह जाता है, तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और बी.काम. भाग-3 का उसका परीक्षा-परिणाम स्वत: निरस्त समझा जाएगा ।

25. विनियमावली, खंड-2, 1988 ई. के अधीन बी. काम. परीक्षा (नवीन पद्धति) से संबंधित विनियम 15 :

15. यदि किसी अभ्यर्थी ने अन्य विश्वविद्यालय से बी. काम. प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथा जिसको बी.काम. अंतिम वर्ष की परीक्षा इस विश्वविद्यालय की बी.काम. परीक्षा के समतुल्य स्वीकार कर ली गई हो, उसे बी.काम. भाग 2/भाग 3 की कक्षा में प्रवेश लेने की अनुमति होगी, यदि उन विषयों/पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण कर लेता है, जिन्हें उसने पढ़ा न हो, यदि ऐसी स्थिति हो। वह आगामी तीन निरन्तरित परीक्षाओं में उन्हें उत्तीर्ण कर सकेगा। यदि वह उन तीन निरन्तरित परीक्षाओं में उन्हें उत्तीर्ण कर पाएगा/पाएगी, तो उसका स्थिति-अनुरूप बी.काम. दूसरा वर्ष/तीसरा वर्ष का परीक्षा-परिणाम स्वत: निरस्त समझा जाएगा ।

26. बी. फार्म, पाठ्यक्रम को समाप्त करने के लिए अल्पकालिक विनियम को लागू करना तथा इसे सिंडीकेट/सीनेट/भारत सरकार के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रभावी माना जाए :

"जिन अभ्यार्थियों को 1986 ई. से पूर्व इस विश्वविद्यालय बी. फार्म. (पुरानी पद्धति) के पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था और जिन्हें अभी भी बी. फार्म. भाग-2/भाग-3 क्रमश: उत्तीर्ण करना है, वे इन परीक्षाओं में अर्थात् बी. फार्म 2/3 में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में पुराने विनियम के अधीन 1995 ई. की पूरक परीक्षा होने तक, जबकि पुरानी पद्धति समाप्त हो जाएगी, बैठ सकते है ।

जो अभ्यर्थी सितम्बर 1995 ई. की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, वे नई पद्धति के अधीन चार वर्ष के बी.फार्म. पाठ्यक्रम भाग-2/भाग-3 के में क्रमश: प्रवेश ले सकते हैं ।

27. एम. एस. सी. (विशेष योग्यता) परीक्षा से संबंधित विनियमावली खंड-2, 1988 ई. के पृष्ठ 150 पर दिया गया विनियम 15 (बी) :

15. (बी) कार्य-परियोजना का मूल्यांकन बाह्य परीक्षक तथा आन्तरिक परीक्षक (निदेशक) के द्वारा किया जाएगा। तथापि, दोनों परीक्षक अलग-अलग अंक उस समय देंगे, जिस समय बाह्य परीक्षक, आन्तरिक परीक्षक तथा विभागाध्यक्ष एक समिति के रूप में मौखिक परीक्षा सम्पन्न करेंगे । यदि विभागाध्यक्ष ही कार्य-परियोजना के लिए आन्तरिक परीक्षक (निदेशक) होगा, तो विभाग के सर्वाधिक वरिष्ठ अध्यापक को समिति में सम्मिलित कर लिया जाएगा ।

आन्तरिक परीक्षक (निदेशक) की अनुपस्थिति में संबद्ध विभाग का नियंत्रण मंडल (बोर्ड आफ कन्ट्रोल) **उसके स्थान पर एक उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर देगा ।**

28. विनियमावली, खंड-2, 1988 ई. के अधीन बी. एस.-सी. (सामान्य) से संबंधित विनियम 4.1 :

4.1 यदि किसी व्यक्ति ने निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी परीक्षा को अंग्रेजी एक विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण किया है, तो वह बी. ए. अथवा बी. एस-सी. (सामान्य तथा विशेष योग्यता) भाग-1 के पाठ्यक्रम में इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्य समझा जाएगा :

यह भी प्रावधान किया जाता है कि :

(1) पंजाब विश्वविद्यालय की बी. ए./बी. एस-सी./बी.काम. भाग-1 (पुरानी पद्धति)/प्री-मेडीकल/प्री-इंजीनियरिंग/इन्टरमीडिएट कला/विज्ञान/कृषि परीक्षा;

(2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/कौंसिल की 10+2 3 पद्धति पर 10+2 की परीक्षा;

(3) उपर्युक्त (1) तथा (2) के समकक्ष तथा इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य परीक्षा ।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि :

(1) किसी व्यक्ति ने योग्यता-परीक्षा में, बी. एस-सी. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए, कम से कम 40% अंक अवश्य प्राप्त किए हों;

(2) बी. एस-सी. में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति ने योग्यता-परीक्षा में उसके द्वारा लिए गए तीन में से दो विज्ञान-विषय आवश्य उत्तीर्ण किए हों, जो भूगर्भ विज्ञान, भूगोल तथा नृतत्व विज्ञान के अतिरिक्त हों । यह तीसरा विषय विज्ञान-संकाय अथवा कला-संकाय उन प्रतिबंधों के अधीन लेगा, जो विनियम 2.2 (सी) में दी गई हैं ।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित विषय अध्ययनार्थ चुन सकता है :—

(1) बी. ए. के स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान, यदि उसने विज्ञान/वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित विषय के साथ +2 की परीक्षा उत्तीर्ण की है;

(2) जीव-रसायन, यदि किसी व्यक्ति ने निम्नलिखित विषय लेकर +2 की परीक्षा उत्तीर्ण की है :

(अ) भौतिकी

(आ) रसायन विज्ञान

(इ) गणित/जीवविज्ञान

29. अरबी में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम से संबंधित विनियम, जिसे सत्र 1993-94 से प्रभावी माना जाए :

1.1 अरबी में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक सत्र होगी ।

1.2 परीक्षा सामान्यतः मई के महीने में अथवा सिंडीकेट द्वारा नियत तिथियों पर वर्ष में एक बार होगी ।

1.3 परीक्षा के प्रारम्भ होने की तिथि तथा परीक्षा में प्रवेश के फार्मों को स्वीकार करने की अंतिम तिथि, विलम्ब शुल्क के बिना तथा 5 रुपयों के विलम्ब शुल्क के साथ, सिंडीकेट द्वारा नियत होने पर, परीक्षा नियंत्रक के द्वारा अधिसूचित की जाएगी ।

2. उस व्यक्ति को इसमें प्रवेश योग्य समझा जाएगा, जिसने निम्नलिखित में से किसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया होगा ।

(अ) देश के किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय/कौंसिल से मान्यताप्राप्त 10+2 की परीक्षा;

(आ) उपर्युक्त (अ) के समकक्ष तथा सिंडीकेट द्वारा समतुल्य मान्यताप्रदत्त किसी अन्य विश्वविद्यालय/बोर्ड कौंसिल की कोई भी परीक्षा ।

3.1 यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्त विनियम 2 में लिखित योग्यताएं हैं और अरबी विभाग के अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है, तो वह इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के योग्य समझा जाएगा :

(अ) अच्छा चरित्र होने का;

(आ) नियत परीक्षा से पूर्व के शैक्षिक सत्र में विभाग के विधिवत विद्यार्थी होने का; तथा

(इ) कक्षा में लिए गए प्रत्येक प्रश्न-पत्र के व्याख्यानों में 60% उपस्थिति ।

3.2 इन व्याख्यानों में उपस्थिति में कमी होने पर उसको क्षमा किया जा सकता है :

(1) विभागाध्यक्ष द्वारा 15 व्याख्यानों की किसी कमी को

(2) विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर विश्वविद्यालयीन शिक्षा के अधिष्ठाता के द्वारा 25 व्याख्यानों की कमी को ।

3.3 यदि कोई विद्यार्थी वांछित संख्या में व्याख्यानों में उपस्थित रहते हुए भी परीक्षा नहीं देता है, या परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो विभागाध्यक्ष की अनुमति पर उसे विभाग के पूर्व छात्र के रूप में पाठ्यक्रम पूरा करने के तीन वर्ष के अन्दर फिर से परीक्षा देने का अधिकार होगा ।

4. विद्यार्थी को परीक्षा-शुल्क के रूप में 30 रु. देने होंगे ।

5.1 सीनेट द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के अनुरूप परीक्षा होगी ।

5.2 परीक्षा का माध्यम अरबी भाषा होगी । प्रश्न-पत्र अरबी/अंग्रेजी भाषा में होगा ।

6. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम प्राप्तांक होंगे :

(अ) प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 33% अंक

(आ) कुल योग 40% अंक

(इ) मौखिक परीक्षा में 50% अंक

7.1 सफल परीक्षार्थियों का श्रेणी-विभाजन निम्नलिखित रूप में होगा :

(अ) 60% तथा उससे अधिक अंक प्राप्तिकर्ता—प्रथम श्रेणी;

(आ) 50% से अधिक तथा 60% से कम अंक प्राप्तिकर्ता—द्वितीय श्रेणी; तथा

(इ) 50% कम अंक प्राप्तिकर्ता—तृतीय श्रेणी ।

7.2 परीक्षा-नियंत्रक परीक्षा-समाप्ति के चार सप्ताह के बाद या यथासंभव शीघ्र परीक्षा-परिणाम घोषित करेगा ।

7.3 प्रत्येक सफल परीक्षार्थी को एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, जिसमें प्राप्तांकों के साथ-साथ श्रेणी भी अंकित होगी ।

30. बी.एस-सी. (विशेष योग्यता) तथा एम. एस-सी. (विशेष योग्यता) परीक्षा (वार्षिक पद्धति) से संबंधित विनियम, जिसे 1992-93 के सत्र से प्रभावी माना जाए :

नतत्व विज्ञान, जीव-रसायन, जीव-भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, रसायन, भू-गर्भ विज्ञान, गणित, सूक्ष्मजीव विज्ञान, भौतिकी तथा प्राणि विज्ञान में बी. एस-सी. (विशेष योग्यता) (वार्षिक पद्धति) से संबंधित तथा 1992-93 के प्रवेश से प्रभावी विनियम :

1. विश्वविद्यालय निम्नलिखित विषयों में बी.एस-सी. (विशेष योग्यता) की शिक्षा देगा :

(1) नतत्व विज्ञान

(2) जीव-रसायन

(3) जीव-भौतिकी

(4) वनस्पति विज्ञान

(5) रसायन विज्ञान

(6) भू-गर्भ विज्ञान

(7) गणित

(8) सूक्ष्म-जीवविज्ञान

(9) भौतिकी

(10) प्राणिविज्ञान

सिंडीकेट के पास किसी भी विषय को बढ़ाने या हटाने का अधिकार होगा । बी. एससी. (विशेष योग्यता) उपाधि का पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होगा । पहले वर्ष के अंत में भाग-1, दूसरे वर्ष के अंत में भाग-2 तथा तीसरे वर्ष के अंत में भाग-3 की परीक्षा वर्ष में एक बार होगी । यह परीक्षा सामान्यतः अप्रैल के महीने में या सिंडीकेट द्वारा नियत तिथियों पर होगी ।

2 वह व्यक्ति जिसने निम्नलिखित में से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की होगी, बी. एससी. (विशेष योग्यता) प्रथम वर्ष में प्रवेश के योग्य समझा जाएगा :—

(1) किसी भी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/कौंसिल द्वारा संचालित, 10 + 2 + 3 पद्धति के अधीन + 2 की परीक्षा जिसमें संबद्ध विषयों के नियंत्रण-मंडलों द्वारा निर्धारित विषय समूह लिए गए हों ।

(2) पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-मेडिकल/प्री-इन्जीनियरिंग/बी. एससी. भाग-1 (मेडिकल अथवा नान मेडिकल) परीक्षा (पुरानी पद्धति वाली) ।

(3) पुराने विनियम के अधीन पंजाब विश्वविद्यालय की त्रि-वर्षीय-उपाधि पाठ्यक्रम वाली बी. ए./बी. एससी. का प्रथम वर्ष ।

(4) उपर्युक्त (2) तथा (3) के समतुल्य कोई अन्य परीक्षा (सिंडीकेट) ने मान्यता दे दी हो ।

यह प्रावधान किया जाता है कि विद्यार्थी वे सभी शर्तें पूरी करता है, जिनकी व्यवस्था संबद्ध विषयों के नियंत्रण-समितियों (बोर्डस आफ कन्ट्रोल) ने की है ।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान किया जाता है कि योग्य विद्यार्थियों को तदर्थ प्रवेश-परीक्षा के आधार पर तैयार किए गए श्रेष्ठता क्रम के आधार पर ही प्रवेश मिलेगा ।

3. बी. एससी. (विशेष योग्यता) पाठ्यक्रम में प्रविष्ट प्रत्येक विद्यार्थी को प्रमुख विषय के विश्वविद्यालय-विभाग में विधिवत विद्यार्थी बनना होगा और सिंडीकेट के द्वारा नियत शुल्क को देना होगा । विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर शैक्षणिक मामलों का अधिष्ठाता किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा-शुल्क देने से निश्चित अवधि के लिए मुक्त कर सकता है ।

4.1 सिंडीकेट प्रत्येक वर्ष जनवरी की समाप्ति से पूर्व नियंत्रण-समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) उस विषय का विभागाध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा;

(2) उस विषय के प्रोफेसर तथा रीडर;

(3) विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के तद्विषयक प्राध्यापक (क्रमिक रूप में तथा वरिष्ठता-क्रम के आधार पर); तथा

(4) उस विषय-समूह में से प्रत्येक गौण विषय के विभाग से एक प्राध्यापक ।

4.2 अकादमिक कौंसिल के द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर नियंत्रण-समिति विद्यार्थियों को विषय-समूह या कक्षा में प्रवेश देने अथवा उससे निकालने में सक्षम होगी और उसके लिए विश्वविद्यालय-शिक्षा के अधिष्ठाता का अनुमोदन अवश्य लेना होगा ।

4.3 किसी दुर्व्यवहार के कारण नियंत्रण-समिति किसी भी विद्यार्थी को विशेष योग्यता के पाठ्यक्रम-समूह से निष्कासित कर सकता है ।

4.4 नियंत्रण-समिति पाठ्यचर्या तथा परीक्षकों की नियुक्ति सहित सभी मामलों की संस्तुति सिंडीकेट को करेगी ।

तथापि, पाठ्यचर्या-संबंधी संस्तुतियों को संबद्ध संकाय तथा अकादमिक कौंसिल के माध्यम से भेजा जाएगा ।

5. पाठ्यचर्या तथा पाठ्यवस्तु को सीनेट के द्वारा बी. एससी. (विशेष योग्यता) पाठ्यक्रम के लिए समय-समय पर अनुमोदित कराना होगा ।

5.1 विशेष योग्यता विषय-समूह के विद्यार्थी को पढ़ना होगा :—

(1) मुख्य विषय

(2) गौण विषय

(3) अंग्रेजी (प्रथम वर्ष में)
पंजाबी (दूसरे वर्ष में)

प्रत्येक नियंत्रण-समिति गौण विषयों की संख्या और उनके प्रकार तय कर सकती है और उसके लिए उसे अकादमिक कौंसिल का अनुमोदन लेना होगा ।

तत्त्व विज्ञान में विशेष योग्यता विषय-समूह

गौण विषय-जीव रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान भूगोल, मानवशास्त्र, प्राणिविज्ञान या वनस्पति विज्ञान व प्राणिविज्ञान, गणित, सूक्ष्म-जीव विज्ञान तथा जीव भौतिकी

जीव-रसायन विज्ञान

प्रथम वर्ष :

रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, व प्राणिविज्ञान, गणित, भौतिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा जीव भौतिकी

दूसरा वर्ष :

रसायन विज्ञान, जीव भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, मानव रचना तथा वनस्पति विज्ञान या प्राणिविज्ञान

जीव भौतिकी

प्रथम वर्ष :

वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान, गणित, भौतिकी तथा रसायन विज्ञान

दूसरा वर्ष :

जीव रसायन विज्ञान, भौतिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा गणित

वनस्पति विज्ञान

प्राणि विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, भूगर्भ-विज्ञान, जीव रसायन विज्ञान, जीव भौतिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा नृतत्व विज्ञान

रसायन विज्ञान

भौतिकी जीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, प्राणि विज्ञान तथा गणित

भूगर्भ विज्ञान

गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल,

वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, नृतत्व विज्ञान

गणित

भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, दर्शन, कम्प्यूटर-तकनीक तथा जीवन विज्ञान (लाईफ सांइन्सेज)

सूक्ष्म जीव विज्ञान

प्रथम वर्ष :

रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान-या-प्राणि विज्ञान,

गणित तथा भौतिकी

द्वितीय वर्ष :

जीव-भौतिकी जीव रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान तथा नृतत्व विज्ञान

भौतिकी

गणित, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, जीव भौतिकी, कम्प्यूटर तकनीक तथा भूगर्भ विज्ञान

प्राणि विज्ञान

वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, जीव-रसायन विज्ञान, जीव भौतिकी सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा नृतत्व विज्ञान ।

7. बी. एस-सी. आनर्स स्कूल का प्रत्येक अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के साथ अपना आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजेगा :—

(अ) अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र;

(आ) प्रत्येक पाठ्यक्रम में अलग-अलग कम से कम 56% व्याख्यानों तथा प्रयोगों में उपस्थित रहने का प्रमाणपत्र; तथा

(इ) पहले उत्तीर्ण की हुई परीक्षाओं के प्रमाणपत्र ।

नियंत्रण मंडल प्रत्येक पाठ्यक्रम में दिए गए व्याख्यानों तथा आयोजित प्रयोगों का, उपस्थिति कम रहने पर 10% अभाव व्याख्यानों तथा प्रयोगों में क्षमा कर सकता है ।

8.1 परीक्षा-नियंत्रक के पास आवेदन पत्र पहुंचने की सविलम्ब शुल्क तथा विलम्ब के बिना, अंतिम तिथि का अंतिम तिथि का निर्णय सिंडीकेट करेगी ।

8.2 प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा प्रत्येक वर्ष देय परीक्षा-शुल्क को सिंडीकेट तय करेगा ।

9.1 अकादमिक कौंसिल के द्वारा यथा अनमोदित रूप में प्रत्येक वर्ष के अंत में सैद्धांतिक/प्रयोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी ।

9.2 परीक्षा निम्नलिखित रूप में होगी :—

प्रथम वर्ष : आनर्स स्कूल

मुख्य विषय	400 अंक
गौण पाठ्य विषय	400 अंक
अंग्रेजी	200 अंक
प्रारंभिक आयुर्विज्ञान के लिए अतिरिक्त गौण विषय	200 अंक

द्वितीय वर्ष : आनर्स स्कूल

मुख्य विषय	600 अंक
गौण विषय	400 अंक
प्रारंभिक आयुर्विज्ञान के लिए अतिरिक्त गौण विषय	200 अंक
पंजाबी (केवल उत्तीर्ण होने के लिए, तथा इसके अंक श्रेणी-निर्धारण में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे	

तृतीय वर्ष : आनर्स स्कूल

मुख्य विषय	1000 अंक
(बी. एस-सी. आनर्स स्कूल के लिए कुल अंक)	
प्रारंभिक आयुर्विज्ञान के विषयों के अतिरिक्त विषयों के लिए	3000 अंक
प्रारम्भिक आयुर्विज्ञान के विषयों के लिए	3400 अंक

पाठ्यचर्या (सिलेबस) में प्रश्नपत्रों की संख्या-सैद्धांतिक और प्रायोगिक-तथा सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रश्नपत्रों के बीच अंकों

का वितरण किया जाएगा ।

10. सिंडीकेट के द्वारा अनुमोदित/निर्धारित पर परीक्षाएं उन्हीं विषयों में होंगी, जिनको पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष अध्ययन के लिए चुना गया होगा ।

11. निम्नलिखित शर्तों के आधार पर किसी विद्यार्थी को क्रमिक रूप से वार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने दिया जाएगा :—

(1) किसी भी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए उसके प्रत्येक सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक (मुख्य विषय, गौण विषय, अंग्रेजी तथा पंजाबी) प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त करने होंगे ।

(2) प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्नपत्र के पूर्णांक 75 होंगे, जिसकी वार्षिक परीक्षा अकादमिक सत्र के अंत में होगी । वार्षिक परीक्षा के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के महीने में एक आन्तरिक परीक्षा भी होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न-पत्र 25 अंकों का होगा। वार्षिक परीक्षा तथा दिसम्बर की आन्तरिक परीक्षा के प्राप्तांकों को मिलाकर किसी भी विद्यार्थी का अंतिम परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा ।

(3) यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में एक या इससे अधिक, लेकिन प्रश्नपत्रों के 33% से अधिक में नहीं, प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण रह जाता है तो उसे अगली उच्चतर कक्षा में प्रवेश तो दे दिया जाएगा, लेकिन उसे उन प्रश्नपत्रों की पुनःपरीक्षा देनी होगी। जिनको वह उत्तीर्ण नहीं कर पाया था । उसे इनको उत्तीर्ण करने के लिए निरन्तरित दो अवसर मिलेंगे और इनमें भी उत्तीर्ण न होने पर उसे फिर से उसी पिछली कक्षा में वापस जाना होगा । वार्षिक परीक्षा में जिन प्रश्नपत्रों में कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रह जाता है, उनकी परक परीक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा नियत की गई तिथियों पर अथवा सितम्बर/अक्तूबर के महीनों में होगी । यदि वह इस परक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए वार्षिक परीक्षा में एक और अवसर मिलेगा । यदि वह इन उपर्युक्त दोनों अवसरों पर अनुत्तीर्ण रह जाता है, तो उसे पिछली कक्षा में फिर से जाना होगा ।

(4) 33% से अधिक प्रश्नपत्रों में वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह जाने वाले विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और उसे पिछली कक्षा में फिर से प्रवेश लेना होगा ।

व्याख्या :—

उपर्युक्त नियमों के अधीन 4 या 5 प्रश्न पत्रों के 33% का अभिप्राय 2 प्रश्नपत्रों से होगा तथा 7 या 8 प्रश्नपत्रों के 33% का अभिप्राय 3 प्रश्नपत्रों से होगा ।

(5) श्रेणी के निर्धारण के लिए किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा तीनों वर्षों की परीक्षाओं में सभी विषयों मुख्य, गौण तथा अंग्रेजी, पंजाबी को छोड़ करके प्राप्तांक जोड़े जाएंगे ।

12.1 संबद्ध विभागों के नियंत्रण-मंडल यह निर्णय करेंगे कि प्रश्नपत्र कैसे होने चाहिए—वस्तुनिष्ठ हों, संक्षिप्त उत्तर-दर्शी हों, समस्या-आधारित हों, आत्मनिष्ठ हों, निबंधात्मक हों या इनमें से अनेक रूप संयुक्त हों । यदि किसी विषय को एक से अधिक अध्यापक पढ़ाते हों, तो नियंत्रण-मण्डल तय करेगा कि उनमें से आन्तरिक परीक्षक कौन बने ।

12.2 केवल बाह्य परीक्षक ही विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र बनाएगा । इसके लिए नियंत्रण-मंडल 3.5 या इससे अधिक व्यक्तियों की एक सूची बनाएगा, जिनमें से किसी भी व्यक्ति को सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रश्नपत्र बनाने का कार्य सौंपा जा सकता है ।

12.3 प्रश्नपत्र बनाने वालों (प्राश्निकों) को निर्धारित पाठ्य-चर्या तथा पाठ्यवस्तु दिया जाएगा, साथ ही (1) कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों (टापिकस) तथा उनको मिलने वाले अंकों के साथ उसमें संबद्ध सामग्री उपलब्ध कराने में सक्षम ग्रंथ-सूची (2) नमूने के तौर पर एक प्रश्नपत्र (3) नियंत्रण-मंडल के द्वारा ठीक समझे जाने वाले निर्देश तथा सूचनाएं, ताकि प्रश्नपत्र में संपूर्ण पाठ्यचर्या समाविष्ट हो सके तथा परीक्षार्थी की संपूर्ण और समग्र रूप परीक्षा हो सके ।

12.4 संबद्ध प्रश्नपत्र पढ़ाने वाले का दायित्व गृहपरीक्षा में प्रश्नपत्र बनाने तथा मूल्यांकन का होगा । मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को दिखाई जाएंगी ।

12.5 वार्षिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से बाह्य तथा आन्तरिक परीक्षक करेंगे । यदि दोनों के द्वारा दिए गए अंकों में 15% तक का अंतर होगा, तो दोनों का औसत अंतिम परिणाम के लिए निकाल लिया जाएगा । यदि अंतर 15% से अधिक का होगा, तो उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन तीसरे परीक्षक के द्वारा कराया जाएगा । अंतिम परिणाम तीनों में से सर्वाधिक अंक देने वाले दो परीक्षकों के द्वारा दिए गए अंकों के औसत रूप में विद्यार्थी के हित में होगा ।

12.6 प्रायोगिक प्रश्नपत्रों की परीक्षा संबद्ध विषय के नियंत्रक मंडल के द्वारा तय किया गया एक बाह्य परीक्षक तथा एक या एक से अधिक आन्तरिक परीक्षकों के द्वारा ली जाएगी । नियंत्रक-मंडल ही यह तय करेगा कि किसी विद्यार्थी को पूरे वर्ष भर प्रयोगशाला में निरन्तर किए गए कार्य के आधार पर कुछ प्रतिशत अंक नियत किए जा सकते हैं या नहीं।

12.7 समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर ही उत्तरपुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन स्वीकार्य होगा । तथापि पुनर्मूल्यांकन के लिए परीक्षकों को बाह्य परीक्षकों की सूची से ही नियत किया जाएगा ।

13. सफल अभ्यर्थियों को निम्नलिखित श्रेणियों में स्थान मिलेगा :—

(1) 75% या उससे अधिक अंक प्राप्तिकर्त्ता—विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी

(2) 60% या उससे अधिक तथा 75% से कम अंकों को प्राप्तिकर्ता—प्रथम श्रेणी

(3) 50% या उससे अधिक तथा 60% से कम अंकों के प्राप्तिकर्त्ता—द्वितीय श्रेणी

(4) 40% या उससे अधिक तथा 50% से कम अंकों के प्राप्तिकर्त्ता—तृतीय श्रेणी

14. प्रत्येक वर्ष के प्राप्तांक-पत्र अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। उपाधि में अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त श्रेणी अंकित रहेगी। प्रमाण-पत्र में आनर्स स्कूल में प्रवेश लेने तथा उसे छोड़ने की तिथि भी अंकित रहेगी।

एम. एससी. (आनर्स स्कूल) परीक्षा
(वार्षिक पद्धति)

1.1 विश्वविद्यालय एम. एस सी. (आनर्स स्कूल) के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों में शिक्षा देगा :—

(1) नृतत्व विज्ञान
(2) वनस्पति विज्ञान
(3) रासायन विज्ञान
(4) भूगर्भ विज्ञान
(5) गणित
(6) भौतिक विज्ञान
(7) जंतु विज्ञान
(8) जीव-रासायन विज्ञान
(9) जीव-भौतिक विज्ञान
(10) सूक्ष्म-जीव विज्ञान

सिंडीकेट इस बात के लिए अधिकृत होगी कि वह किसी अन्य विषय को इसमें जोड़ सकती है या किसी विषय को समाप्त कर सकती है।

1.2 यह पाठ्यक्रम दो वर्षों का होगा।

एम. एस सी. (आनर्स स्कूल) की परीक्षा दो भागों में होगी। पहले भाग में परीक्षा पहले वर्ष की समाप्ति पर तथा दूसरे भाग की परीक्षा दूसरे वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक वर्ष हुआ करेगी, जो सामान्यतः अप्रैल के महीने में या सिंडीकेट के द्वारा नियत किसी तिथि पर होगी।

2.1 जिस किसी व्यक्ति ने निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, उसे ही एम. एस. सी. (आनर्स स्कूल) में प्रवेश मिल सकेगा :

(1) एम. एससी. (आनर्स स्कूल) वाले विषय में पंजाब विश्वविद्यालय की बी. एस. सी. (आनर्स स्कूल) परीक्षा)।

(2) पंजाब विश्वविद्यालय की बी. एस. सी. (उत्तीर्णांक अथवा आनर्स) परीक्षा अथवा इसमें समकक्ष पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा, जिसमें एम. एससी. (आनर्स स्कूल) वाला विषय पढ़ा हुआ हो।

(3) पंजाब विश्वविद्यालय की बी. ए. अथवा बी. एससी. परीक्षा अथवा पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता-प्राप्त इसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा यदि एम. एससी. (आनर्स स्कूल) नृतत्व विज्ञान के विषय में प्रवेश लेना हो।

यह प्रावधान किया जाता है कि इस उद्देश्य के लिए योग्यता-धारक अभ्यर्थियों का उपर्युक्त (2) तथा (3) वर्ग में आने पर एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी, जिसमें निर्धारित श्रेष्ठता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। सिंडीकेट के द्वारा नियत अन्य किन्हीं भी शर्तों को अभ्यर्थियों को पूरा करना होगा।

2.2 किसी भी विषय में एम. एससी. (आनर्स स्कूल) के भाग 1 की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेने वाले विद्यार्थी को उसी विषय के भाग-2 में प्रवेश मिलेगा।

3.1 एम. एससी. (आनर्स स्कूल) के भाग-1 के लिए नियत नियंत्रण मंडल को दूसरे वर्ष के लिए भी प्रभावी माना जाएगा।

3.2 विश्वविद्यालय के शैक्षिक अधिष्ठाता के द्वारा अनुमोदित होने पर नियंत्रक-मंडल विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए अधिकृत होगा तथा अकादमिक कौंसिल के द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर विद्यार्थियों को इस पाठ्यक्रम से हटा देने के लिए भी अधिकृत होगा।

3.3 विश्वविद्यालय के शैक्षिक अधिष्ठाता के अनुमोदन पर नियंत्रण-मंडल किसी भी विद्यार्थी को अभद्र आचरण के कारण आनर्स स्कूल से निष्कासित कर सकता है।

3.4 नियंत्रक-मंडल पाठ्यचर्या तथा परीक्षकों की नियुक्ति सहित आनर्स स्कूल से संबंधित सभी मामलों की अनुशंसा सिंडीकेट के पास भेज सकता है। पाठ्यक्रमों से संबंधित अनुशंसाओं को संबद्ध संकाय तथा अकादमिक कौंसिल के माध्यम से भेजा जाएगा।

4. पाठ्यचर्या का अनुमोदन समय-समय पर, एम. एस सी. (आनर्स स्कूल) के लिए सीनेट करेगी।

5. भाग-1/भाग-2 की परीक्षा वही व्यक्ति दे सकेगा, जिसने एक अकादमिक सत्र पूर्व की उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, जिसका विनियम-2 में प्रावधान है, तथा जिसका नाम विश्वविद्यालय के उस विभागाध्यक्ष के द्वारा नियंत्रक को भेज दिया गया है जहां सत्र पूर्व उसने पढ़ाई की है, तथा जो संबद्ध विभागाध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकें :—

(अ) परीक्षा-पूर्व के सत्र में विश्वविद्यालय के विभाग में नियमित विद्यार्थी रहे होने का प्रमाणपत्र।

(आ) भद्र आचरण का प्रमाणपत्र।

(इ) जो कक्षाओं में उपस्थित इस प्रकार रहा हो (अ) प्रत्येक प्रश्नपत्र हेतु संपूर्ण पाठ्यक्रम में कुल दिए गए व्याख्यानों का 66% (आ) प्रत्येक प्रायोगिक के लिए पाठ्यवृत्त में नियत कक्षाओं का 66% तथा (इ) लघु शोध प्रबंध के संदर्भ में विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार उसे समाप्त कर लिया हो।

विद्यार्थियों का भाग-2 की परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम 20 दिन पहले अपना लघु शोध प्रबंध परीक्षणार्थ प्रस्तुत करना होगा ।

6. एम. एससी. (आनर्स स्कूल) में प्रत्येक विषय में सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र, प्रायोगिक प्रश्नपत्र, क्षेत्र-कार्य तथा परियोजना-रिपोर्ट (यदि कोई हो) तथा नियंत्रक-मंडल के द्वारा यथा-निर्धारित प्रकल्प के आधार पर परीक्षा होगी । प्रश्नपत्रों की संख्या (सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक), (सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में), क्षेत्र-कार्य तथा परियोजना आदि की पाठ्यचर्या के अनुसार अंकों का विभाजन होगा ।

पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

एम. एस-सी भाग-1	1000 अंक
एम. एस-सी भाग-2	1000 अंक

7. प्रत्येक सत्र के अंत में होने वाली वार्षिक परीक्षा प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न के नियत अंकों में से 75% अंकों की होगी। वार्षिक परीक्षा के अतिरिक्त, एक गृह-परीक्षा दिसम्बर के महीने में होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्नपत्र निर्धारित अंकों के 25% अंकों का होगा । किसी विद्यार्थी का अंतिम परीक्षा परिणाम वार्षिक परीक्षा तथा दिसम्बर की गृह परीक्षा के प्राप्तांकों के कुल योग के आधार पर तैयार किया जाएगा ।

व्याख्या :—प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए निर्धारित 75% तथा 25% अंक समीपस्थ 5 के गुणक में परिवर्तित होगा ।

8.1 यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होता है और एक या अधिक प्रश्नपत्रों में असफल हो जाता है (अर्थात् किसी प्रश्नपत्र में उसके अंतिम प्राप्तांक 40% से कम रह जाते हैं) और कुल प्रश्नपत्रों के 33% से कम, प्रश्न-पत्रों में अनुत्तीर्ण होता है, तो वह उन प्रश्नपत्रों की परीक्षा फिर से दे सकेगा तथा उसे आगामी उच्चतर कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा । वह इस पुनर्परीक्षा को दो निरन्तरित अवसरों में उत्तीर्ण कर सकता है और उनमें भी असफल रह जाने पर उसे फिर से पहली वाली कक्षा में डाल दिया जाएगा ।

8.2 वार्षिक परीक्षा में कुल प्रश्नों के 33% प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण रह जाने पर किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और वह पहली वाली कक्षा में प्रवेश ले सकता है ।

व्याख्या :—उपर्युक्त नियम के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि 4 या 5 प्रश्न-पत्रों का 33% दो प्रश्न-पत्र को; 7 या 8 प्रश्न-पत्रों के 33% को 3 प्रश्न-पत्र समझा जाएगा ।

9. प्रत्येक विभाग के नियंत्रक-मंडल संबद्ध अधिकृत स्तरों से अनुमोदित हो जाने पर, प्रश्नपत्रों की शैली तथा उसके प्रश्नों के स्वरूप को निर्धारित कर सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि प्रश्न-पत्रों में वस्तुनिष्ठ/संक्षिप्त उत्तरदर्शी/समस्याधारित/निजात्मक/निबंधवत या इनके संयुक्त रूप वाले कैसे प्रश्न रखे जाएं । यदि किसी विषय को एक से अधिक व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, तो नियंत्रक-मंडल उनमें से किसी एक व्यक्ति को आन्तरिक परीक्षक नियुक्त कर सकता है ।

10.1 वार्षिक परीक्षा के लिए बाह्य परीक्षक ही प्रश्नपत्र बनाएंगे । इस उद्देश्य से नियंत्रक-मंडल 3.5 या इससे अधिक बनाएंगे । इस उद्देश्य से नियंत्रक-मंडल 3.5 या इससे अधिक काम किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा सौंपा जाएगा ।

10.2 प्राश्निकों को निर्धारित पाठ्यचर्या के साथ यह सामग्री भी दी जाएगी :—

(1) टापिकों का विस्तृत विवरण, जिन्हें कक्षा में पढ़ाया गया हो, उनको दिए जाने वाले अंकों का विवरण तथा वे पुस्तकें जिनसे ये टापिक पढ़ाए जाएंगे (2) एक नमूने का प्रश्नपत्र (3) नियंत्रक मंडल के द्वारा सुनाश्चित के निदेश/सूचनाएं, जो पूरे प्रश्नपत्र को समेटती हों और जिनसे विद्यार्थियों की प्रतिभा और और उनकी विषय-संबंधी समझ की परीक्षा हो सके।

10.3 गृह-परीक्षा में प्रश्न-पत्र और उत्तरपुस्तिका के जांचने की जिम्मेदारी संबद्ध प्रश्नपत्र को पढ़ाने वाले अध्यापक की होगी। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को दिखाई जाएंगी ।

10.4 वार्षिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन पृथक-पृथक बाह्य और आंतरिक परीक्षकों के द्वारा किया जाएगा । यदि उन दोनों के द्वारा प्रदत्त अंकों में 15% से कम का अंतर होगा, तो दोनों की औसत ही अंतिम अंक होंगे । यदि यह अंतर 15% से अधिक का होगा, तो उत्तरपुस्तिकाएं तीसरे परीक्षक के द्वारा मूल्यांकित की जाएंगी । अंतिम अंक विद्यार्थी के हित में अधिकतम अंक देने वाले दो परीक्षकों के मान्य होंगे ।

10.5 प्रायोगिक परीक्षा संबद्ध विषय के नियंत्रक-मंडल के द्वारा तय किए गए एक बाह्य परीक्षक तथा एक या एक से अधिक आंतरिक परीक्षक लेंगे । नियंत्रक-मंडल यह तय कर सकता है कि विद्यार्थी के द्वारा प्रयोगशाला में पूरे वर्ष भर किए गए कार्य के आधार पर आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों का कुछ प्रतिशत नियत कर दिया जाए ।

11. विश्वविद्यालय के द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अधीन उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया जा सकता है । पुनर्मूल्यांकन के लिए परीक्षकों की नियुक्ति परीक्षकों की बनी हुई सूची में से ही बनाई जाएगी ।

12. एम.एससी. (आनर्स स्कूल) की उपाधि के लिए शर्तों की आंशिक पूर्ति के लिए यदि किसी विद्यार्थी को परियोजना रिपोर्ट का विकल्प प्रदान किया गया हो, तो उसे बाद में बाह्य और आंतरिक परीक्षकों (निर्देशक) के द्वारा मूल्यांकित कराया जाएगा । दोनों परीक्षक मौखिक परीक्षा के अवसर पर ही अंकों का अलग-अलग निर्धारण करेंगे । यह मौखिक परीक्षा एक परीक्षक-मंडल लेगा, जिसमें बाह्य परीक्षक, आंतरिक परीक्षक (निर्देशक) तथा विभागाध्यक्ष सदस्य होंगे । यदि परियोजना रिपोर्ट का निर्देशन स्वयं विभागाध्यक्ष ने किया हो तो विभाग का वरिष्ठतम अध्यक्ष मौखिक परीक्षा लेने वालों में सम्मिलित कर लिया जाएगा ।

सामान्यतः विद्यार्थी एक वर्ष की समाप्ति पर परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा । आवश्यकता पड़ने पर तथा निर्देशक और विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर शैक्षिक मामलों के अधिष्ठाता छः महीने की अवधि और बढ़ा देगा । विशेष परिस्थितियों में छः महीने की अवधि और भी दी जा सकेगी ।

13. परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए सैद्धांतिक प्रश्नपत्र, प्रायोगिक प्रश्नपत्र, क्षेत्रकार्य तथा परियोजना में अलग-अलग कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे ।

14. उत्तीर्ण विद्यार्थी का श्रेणी-विभाजन निम्नलिखित रूप में होगा :—

(1) कुल अंकों में से 75% या विशेष योग्यता के उससे अधिक अंक प्राप्तिकर्ता—साथ प्रथम श्रेणी

(2) कुल अंकों के 60% या इससे अधिक तथा 75% से कम अंक प्राप्तकर्त्ता—प्रथम श्रेणी ।

(3) कुल अंकों के 50% या इससे अधिक तथा 60% से कम अंकों के प्राप्तिकर्त्ता—द्वितीय श्रेणी

(4) कुल अंकों के 40% या उससे अधिक तथा 50% से कम अंकों के प्राप्तकर्त्ता—तृतीय श्रेणी

15. प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के विवरण का प्रमाण पत्र दिया जाएगा । उनकी उपाधि में उनका प्रदत्त श्रेणी भी अंकित रहेगी । इससे आनर्स कोर्स में प्रवेश लेने तथा उसे छोड़ने की तिथि भी अंकित रहेगी ।

16. उपर्युक्त नियमों में सम्मिलित नहीं रहने पर भी "फोसिस्ट" विभाग अर्थात् रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित तथा भौतिक विज्ञान, स्वायत्तता मिली होने के कारण स्नातकोत्तर कक्षाओं में मूल्यांकन की निम्नलिखित पद्धति अपना सकते हैं :—

(1) प्रश्नपत्र बनाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने के लिए वे आंतरिक परीक्षक ही नियुक्त किए जा सकते हैं, जो सैद्धांतिक प्रश्नपत्र पढ़ा रहे हों अथवा प्रयोगशाला की पाठ्यचर्या से जुड़े हों ।

(2) सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों के लिए नवम्बर-दिसम्बर में एक गृह परीक्षा होगी । इसमें प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए निर्धारित अंकों में से 35% अंक नियत होंगे। प्रश्न पत्र बनाने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के जाँचने की जिम्मेदारी उस प्रश्नपत्र पढ़ाने वाले अध्यापक की होगी। जाँची हुई उत्तर पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को दिखलाई जाएंगी ।

व्याख्या :—प्रत्येक प्रश्नपत्र में 35% अंकों की गणना निकटस्थ 5 के गुणक के अनुरूप होगी ।

(3) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एक वार्षिक परीक्षा होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए 65% नियत रहेंगे। यह परीक्षा विस्तृत होगी और पूरे पाठ्यवृत पर आधारित होगी । गृह परीक्षा से पूर्व के पाठ्यवृत और उसके उपरांत के पाठ्यवृत्त को अधिमान 1:2 के अनुपात में दिया जाएगा, जो वार्षिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में रूपायित होगा ।

(4) वार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों की संरचना संबद्ध विषय के नियंत्रक-मंडल के द्वारा तय की जाएगी । आंतरिक परीक्षक ही प्रश्नपत्र बनाएंगे और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे । परीक्षा-परिणाम घोषित होने के पूर्व मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाएं परीक्षार्थियों को दिखाई जाएंगी ।

(5) प्रत्येक प्रश्न पत्र के कुल प्राप्तांकों को निर्धारण वार्षिक परीक्षा तथा गृह परीक्षा में प्राप्तांकों के योग के आधार पर होगा ।

(6) यह आशा की जाती है कि सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के पढ़ाते समय गृह-कार्य, प्रश्नावली, वस्तुनिष्ठ कक्षा-परीक्षा भी संतुलित रूप में वर्ष भर दी जाएगी । इनके अंकों का अलग से अधिमान तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन यह विद्यार्थियों को समझना होगा कि ये शिक्षण के आनवार्य अंग होंगे ।

(7) प्रायोगिक परीक्षा पूरी तरह आंतरिक होगी । इनके लिए गृह परीक्षा नहीं होगी । पूरे वर्ष भर प्रयोगशाला में विद्यार्थियों के कार्य के आधार पर 50% अंक तक का मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसे संबद्ध विषय का नियंत्रक मंडल तय करेगा । यह आंतरिक मूल्य इस बात पर निर्भर होगा कि :

(1) विद्यार्थी किस कौशल और लगन के साथ प्रयोग करता है, (2) प्रत्येक प्रयोग की मौखिक परीक्षा उसने किस प्रकार दी है (3) प्रत्येक प्रयोग की लिखित रिपोर्ट कैसी है (4) प्रयोगशाला में उसकी उपस्थिति निरंतर कैसी रही है । प्रत्येक प्रयोग के बाद विद्यार्थी को अध्यापक के मूल्यांकन के बारे में सूचित किया जा सकता है । वार्षिक परीक्षा के अंक कम से कम 50% होंगे ।

3.1 विनियम (1) स्लोवाक भाषा में डिप्लोमा (1993-94 के सत्र से प्रभावी (1) स्लोवाक भाषा में उच्च डिप्लोमा 1994-95 के अकादमिक सत्र से प्रभावी

1.1 स्लोवाक भाषा में डिप्लोमा की अवधि एक अकादमिक वर्ष की होगी ।

1.2 सामान्यतः इसकी परीक्षा एक बार मई के महीने में अथवा सिंडीकेट द्वारा नियत तिथि पर हुआ करेगी ।

1.3 परीक्षा की तिथियों तथा परीक्षा में प्रवेश के प्रार्थना-पत्रों को स्वीकार किए जाने, बिना विलम्ब शुल्क के तथा पांच रुपए के विलम्ब-शुल्क के साथ, की तिथियों की घोषणा परीक्षा-नियंत्रक अधिसूचित करेगा ।

2. निम्नलिखित में से किसी एक परीक्षा को उत्तीर्ण किए हुए व्यक्ति को इसमें प्रवेश के योग्य माना जाएगा :—

(अ) पंजाब विश्वविद्यालय की स्लोवाक भाषा में प्रमाण-पत्र परीक्षा

(आ) किसी भी विश्वविद्यालय/बोर्ड में स्लोवाक/चेक भाषा में प्रमाणपत्र परीक्षा

(इ) किसी भी विश्वविद्यालय/बोर्ड की (अ) अथवा (आ) के समकक्ष तथा सिंडीकेट की द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा ।

3.1 कोई भी व्यक्ति, जिसके पास विनियम (2) में उल्लिखित योग्यताएं हैं, तथा जो पंजाब विश्वविद्यालय रूसी भाषा में विभागाध्यक्ष अथवा इसके लिए मान्यता प्राप्त किसी कालेज के प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, इस परीक्षा में बैठ सकता है :—

(अ) भद्र आचरण का प्रमाणपत्र

(आ) परीक्षा से सद्यः पूर्व के शैक्षिक सत्र में विभाग/कालेज के विद्यार्थी होने का प्रमाणपत्र

(इ) कक्षा में प्रत्येक व्याख्यान में कम से कम 65% उपस्थित रहने का प्रमाणपत्र ।

3.2 अभीष्ट उपस्थिति में कमी को निम्नलिखित रूप में क्षमा किया जा सकेगा :—

(1) विभागाध्यक्ष/कालेज के प्राचार्य के द्वारा स्थिति के अनुसार 10% तक

(2) विभागाध्यक्ष/कालेज के प्राचार्य के द्वारा स्थिति के अनुसार संस्तुति होने पर शैक्षिक आधिष्ठाता के द्वारा 5% तक अतिरिक्त ।

3.3 यदि कोई विद्यार्थी अभीष्ट संख्या में व्याख्यानों में उपस्थित रहा हो तथा वह परीक्षा नहीं दे सका हो, अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह जाता हो, तो उस विभागाध्यक्ष/कालेज के प्राचार्य की संस्तुति पर, जैसी स्थिति हो, तीन वर्षों के अंदर पुनः परीक्षा देने का अधिकार होगा ।

4. यदि किसी व्यक्ति के पास विनियम 2 में उल्लिखित योग्यताएं हों, तो उसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने की अनुमति होगी, यदि वह अन्य सभी प्रकार से विनियम के अनुसार व्यक्तिगत परीक्षार्थी होने के योग्य हो । ऐसा विद्यार्थी अपना परीक्षा-प्रवेश का आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष/कालेज-प्राचार्य के द्वारा भेजेगा ।

5. विद्यार्थी को 35 रुपए का परीक्षा-शुल्क देना होगा अथवा समय-समय पर सिंडीकेट के द्वारा तय किया गया परीक्षा-शुल्क देय माना जाएगा ।

व्यक्तिगत परीक्षार्थी से दस रुपए का अतिरिक्त परीक्षा-शुल्क लिया जाएगा अथवा समय-समय पर सिंडीकेट के द्वारा निर्धारित परीक्षा-शुल्क देय समझा जाएगा ।

6.1 परीक्षा अकादमिक परिषद् के द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर ली जाएगी ।

6.2 परीक्षा का माध्यम स्लोवाक भाषा होगी । प्रश्नपत्र स्लोवाक भाषा में बनाए जाएंगे और परीक्षार्थी स्लोवाक भाषा में ही उत्तर लिखेंगे । केवल अनुवाद वाला प्रश्न स्लोवाक भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा यथा अंग्रेजी में हो सकता है ।

7. परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम अंकों का प्रावधान इस प्रकार होगा :—

(अ) प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में 40% अंक

(आ) मौखिक परीक्षा में 40% अंक

(इ) कुल योग में 45% अंक

8. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का श्रेणी-विभाजन निम्नलिखित रूप में होगा :—

(अ) 75% या उससे अधिक
अंक प्राप्तिकर्त्ता—विशेष योग्यता

(आ) 60% या उससे अधिक
किन्तु 75% से कम अंक
प्राप्तिकर्त्ता—प्रथम श्रेणी

(इ) 50% या उससे अधिक
किन्तु 60% से कम अंक
प्राप्तिकर्त्ता—द्वितीय श्रेणी

(ई) कुल अंकों में से 50% से
कम अंक प्राप्तिकर्त्ता—तृतीय श्रेणी

8.2 परीक्षा-नियंत्रक परीक्षा-समाप्ति के चार सप्ताह के उपरांत अथवा यथासंभव शीघ्र परीक्षा-परिणाम घोषित करेगा ।

8.3 प्रत्येक उत्तीर्ण परीक्षार्थी को डिप्लोमा का प्रमाणपत्र मिलेगा, जिसमें उसकी श्रेणी अंकित रहेगी ।

1.1 स्लोवाक भाषा में उच्च डिप्लोमा की अवधि एक वर्ष की होगी ।

1.2 प्रत्येक वर्ष सामान्यतः मई के महीने में या सिंडीकेट द्वारा नियत तिथियों पर परीक्षा हुआ करेगी ।

1.3 परीक्षा के आरम्भ होने की तिथियों की तथा परीक्षा में प्रवेश के प्रार्थनापत्रों का स्वीकार किए जाने की, विलम्ब-शुल्क के बिना तथा विलम्ब-शुल्क सहित अंतिम तिथि को सिंडीकेट तय करेगा और इसकी अधिसूचना परीक्षा-नियंत्रक जारी करेगा ।

2. निम्नलिखित परीक्षाओं के उत्तीर्णक व्यक्तियों को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के योग्य समझा जाएगा :—

(अ) बी. ए./बी. एस. सी. इस विश्वविद्यालय से, या इसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से

तथा

(आ) इस विश्वविद्यालय की स्लोवाक डिप्लोमा परीक्षा अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय की इसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा ।

3.1 जो व्यक्ति विनियम 2 में निर्धारित योग्यताओं से सम्पन्न हों, तथा जो विभागाध्यक्ष, रूसी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय या इस विश्वविद्यालय से संबद्ध जहां यह पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता हो किसी कालेज प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें, वह ही इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा :—

(अ) भद्र आचरण का प्रमाणपत्र

(आ) परीक्षा के सद्यः पूर्व सत्र विभाग/कालेज में नियमित विद्यार्थी रहने का प्रमाण पत्र

(इ) प्रत्येक कक्षा में कम से कम 65% उपस्थिति रहने का प्रमाण पत्र ।

3.2 अभीष्ट संख्या में उपस्थिति में कमी को इस प्रकार क्षमा किया जा सकेगा :—

(1) स्थिति के अनुसार विभागाध्यक्ष/कालेज-प्राचार्य के द्वारा कुल दिए गए व्याख्यानों का 10%

(2) विश्वविद्यालय के शैक्षिक डीन के द्वारा विभागाध्यक्ष/कालेज प्राचार्य की संस्तुति पर कुल दिए गए व्याख्यानों का अतिरिक्त 5% ।

3.3 यदि किसी विद्यार्थी ने अभीष्ट संख्या में उपस्थिति रहते हुए भी परीक्षा न दे पाया हो, या परीक्षा में असफल रह गया हो, तो वह विभागाध्यक्ष/कालेज-प्राचार्य की संस्तुति पर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में तीन वर्षों के अंदर परीक्षा दे सकता है ।

4. प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 40 रुपए का परीक्षा-शुल्क देय होगा अथवा उतना जितना कि समय-समय पर सिंडीकेट तय करे। व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 10 रु. अतिरिक्त शुल्क अथवा सिंडीकेट द्वारा तय किया गया अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।

5.1 परीक्षा अकादमी कौंसिल के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ली जाएगी।

5.2 परीक्षा का माध्यम संबद्ध भाषा ही होगी।

6. परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रावधान इस प्रकार होगा :

(अ) प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में 40% अंक

(आ) स्लोवाक भाषा की मौखिक परीक्षा में 40% अंक

(इ) कुल प्राप्तांक 45%

7.1 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का श्रेणी-विभाजन अधोलिखित रूप में होगा :

(अ) कुल योग के 75% या उससे अधिक अंक पाने वाले ...विशेष योग्यता

(आ) कुल योग के 60% या उससे अधिक किन्तु 75% से कम अंक पाने वाले ...प्रथम श्रेणी

(इ) कुल योग के 50% या उससे अधिक किंतु 60% से कम अंक पाने वाले ...द्वितीय श्रेणी

(ई) कुल योग के 50% से कम अंक पाने वाले तृतीय श्रेणी

7.2 परीक्षा-समाप्ति के चार सप्ताह के अन्दर या यथा संभव शीघ्र परीक्षा नियंत्रक परीक्षा-परिणाम घोषित करेगा।

7.3 प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को डिप्लोमा का प्रमाणपत्र मिलेगा, जिसमें उसकी श्रेणी अंकित रहेगी।

32. (1) व्यवहारिक पंजाबी में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (शैक्षिक सत्र 1991-92 से, (2) पंजाबी भाषा तथा साहित्य में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (शैक्षिक सत्र 1991-92 से), (3) बंगला में एक-वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, (4) स्नातकोत्तर हिन्दी पत्रकारिता में द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम (व्यावहारिक हिन्दी) 1993 के सत्र से (जीव प्रौद्योगिकी में एम एस सी) (द्वि-वर्षीय) समसत्र पद्धति पर पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश 1991 के सत्र से प्रवेश आरम्भ होंगे: परिशिष्ट के अनुरूप; से सम्बद्ध विनियम:

व्यावहारिक पंजाबी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम से संबंधित विनियम (1991-92 के सत्र से प्रभावी)

1. इस पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की होगी।

2. इसकी परीक्षा वर्ष में एक बार सामान्यतः मई के महीने में या सिंडीकेट के द्वारा निश्चित की गई तिथियों पर होगी।

3. सिंडीकेट के द्वारा तय की गई परीक्षा आरंभ होने की तिथि, विलम्ब-शुल्क के बिना और विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेशार्थ आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की तिथि और परीक्षा-नियंत्रक अधिसूचित करेगा।

4. निम्नलिखित परीक्षाओं को पंजाबी विषय के बिना उत्तीर्ण कर चुके हुए व्यक्तियों को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के योग्य समझा जाएगा :—

— (उत्तीर्ण) परीक्षा, जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/कौंसिल/विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्था ने आयोजित की हो

अथवा

— इस विश्वविद्यालय की या इस विश्वविद्यालय के द्वारा मान्य किसी संस्था/बोर्ड/कौंसिल/विश्वविद्यालय बी. ए. भाग-1 (उत्तीर्ण) परीक्षा।

अथवा

— एफ. ए. (प्राचीन) या इस विश्वविद्यालय के द्वारा मान्य इसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा।

5. जिस व्यक्ति के पास उपर्युक्त अधिनियम में निर्दिष्ट योग्यताएं हों और जो निम्नलिखित प्रमाणपत्र, पंजाब विश्वविद्यालय के पंजाबी विभाग के अध्यक्ष या संबद्ध संस्था के प्रमुख के द्वारा हस्ताक्षरित करवा कर, प्रस्तुत करे, वह इस परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकारी होगा :

(अ) भद्र आचरण का प्रमाणपत्र

(आ) परीक्षा के अधःपूर्व सत्र में विभाग/संस्था में विधिवत विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र

(इ) कक्षा में प्रत्येक प्रश्नपत्र में दिए गए कुल व्याख्यानों के 65% में उपस्थित रहने का प्रमाणपत्र

6. निम्नलिखित रूप में व्याख्यानों में उपस्थिति की कमी को क्षमा किया जा सकेगा

(1) स्थिति के अनुसार विभागाध्यक्ष/संस्था प्रमुख के द्वारा कुल दिए गए व्याख्यानों का 10%

(2) विभागाध्यक्ष/संस्था-प्रमुख की संस्तुति पर कुल दिए गए व्याख्यानों को स्थिति के अनुसार, और 5% विश्वविद्यालय के शैक्षिक डीन के द्वारा

7. यदि कोई व्यक्ति अभीष्ट संस्था में व्याख्यानों में उपस्थित रहा हो और उसने परीक्षा नहीं दी हो या परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह गया हो, तो उसे विभागाध्यक्ष/संस्था-प्रमुख की संस्तुति पर उस संस्था के पूर्व विद्यार्थी के रूप में तीन वर्ष के अन्दर परीक्षा में सम्मिलित होने की छूट होगी।

8. प्रत्येक व्यक्ति के लिए 30 रुपए या सिंडीकेट के द्वारा तय किया गया परीक्षा शुल्क देय होगा।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 10 रुपये या या सिंडीकेट के द्वारा जितना तय किया गया हो, परीक्षा शुल्क देय होगा।

9. परीक्षा अकादमिक कौंसिल के द्वारा तय किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार ही ली जाएगी।

10 परीक्षा का माध्यम पंजाबी भाषा होगी। परीक्षा के प्रश्नपत्र पंजाबी में ही बनाए जाएंगे और उनके उत्तर भी पंजाबी में ही लिखने होंगे। केवल अनुवाद अंग्रेजी में भी हो सकता है।

11. परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक इस प्रकार होंगे:—

(अ) प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में 40% अंक

(आ) मौखिक परीक्षा में, यदि कोई हो 40%

(इ) कुल प्राप्तांक 45%

12. उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जाएगा—

(अ) कुल अंकों का 60% या इससे अधिक अंक प्राप्तिकर्ता—प्रथम श्रेणी

(आ) कुल अंकों का 50% या इससे अधिक किन्तु 60% से कम—द्वितीय श्रेणी

(इ) कुल अंकों का 50% से कम अंक प्राप्तिकर्ता—तृतीय श्रेणी

13. परीक्षा की समाप्ति के चार सप्ताह के अन्दर या यथा-संभव शीघ्र परीक्षा-नियंत्रक परीक्षा-परिणाम घोषित करेगा ।

14. सफल परीक्षार्थियों को एक प्रमाणपत्र मिलेगा, जिसमें उनके द्वारा प्राप्त की गई श्रेणी में अंकित रहेगी ।

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

पंजाबी भाषा एवं संस्कृति में डिप्लोमा से संबंधित विनियम

(सत्र 1991-92 से प्रभावी)

1. इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की होगी ।

2. इसकी परीक्षा वर्ष में एक बार सामान्यतः मई के महीने में या फिर सिंडीकेट के द्वारा नियत तिथियों पर हुआ करेगी ।

3. सिंडीकेट के द्वारा निश्चित की गई परीक्षा आरम्भ होने, विलम्ब शुल्क के समय तथा विलम्ब शुल्क के बिना परीक्षा में प्रवेश के प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने की तिथियों की अधिसूचना परीक्षा-नियन्त्रक निकालेगा ।

4. निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी एक को उत्तीर्ण कर चुके हुए व्यक्ति को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के योग्य समझा जाएगा :

इस विश्वविद्यालय की बी० ए० (उत्तीर्ण) बी० एस० सी० (उत्तीर्ण) या इस विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष परीक्षा

अथवा

इस विश्वविद्यालय की व्यावहारिक पंजाबी में प्रमाणपत्र परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो ।

5. जिस व्यक्ति के पास विनियम 4 में निर्दिष्ट योग्यताएं हों और जिसने विश्वविद्यालय के पंजाबी विभागाध्यक्ष/इस पाठ्यक्रम से सम्बद्ध संस्था के प्रमुख के द्वारा हस्ताक्षरित, जैसी भी स्थिति हो, निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिए हों, वह इस परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य समझा जाएगा :

(अ) भद्र आचरण का प्रमाण पत्र ।

(आ) यथास्थिति विभाग/संस्था में परीक्षा से सद्यःपूर्व सत्र में विधिवत विद्यार्थी रहने का प्रमाण पत्र ।

(इ) कक्षा में दिए गए प्रत्येक प्रश्नपत्र के कुल व्याख्यानों के कम से कम 65% में उपस्थिति रहने का प्रमाण पत्र ।

अभीष्ट संख्या में उपस्थिति में कमी को अधोलिखित रूप में क्षमा किया जा सकता है :

1. कुल दिए गए व्याख्यानों में 10% की कमी पर यथा-स्थिति विभागाध्यक्ष/संस्था प्रमुख के द्वारा क्षमा दान ।

2. कुल दिए गए व्याख्यानों के अतिरिक्त 5% का विभागाध्यक्ष/संस्था-प्रमुख की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के शैक्षिक डीन के द्वारा क्षमा-दान ।

7. यदि कोई विद्यार्थी अभीष्ट संख्या में व्याख्यानों में उपस्थित रहा हो और उसने परीक्षा नहीं दी हो, अथवा उसमें अनुत्तीर्ण रह गया हो, तो वह विभागाध्यक्ष/संस्था-प्रमुख की संस्तुति पर पाठ्यक्रम की समाप्ति के तीन वर्ष के अन्दर पूर्व-विद्यार्थी के रूप में परीक्षा दे सकता है ।

8. प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए 35 रुपये का अथवा सिंडीकेट के द्वारा तय किया गया परीक्षा-शुल्क देय होगा ।

9. व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए 10 रुपए का अतिरिक्त परीक्षा-शुल्क अथवा सिंडीकेट के द्वारा तय किया गया/संशोधित अतिरिक्त परीक्षा-शुल्क देय होगा ।

10. परीक्षा का माध्यम पंजाबी भाषा होगी । प्रश्न पत्र पंजाबी में तैयार किए जाएंगे और उनके उत्तर भी परीक्षार्थियों को पंजाबी में ही लिखने होंगे । केवल अनुवाद वाला भाग अंग्रेजी भाषा में किया जा सकता है ।

11. इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक निम्नलिखित रूप से मान्य होंगे ।

(अ) प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में 40% अंक ।

(आ) यदि कोई हो, तो मौखिक परीक्षा में 40% अंक ।

(इ) कुल प्राप्तांक 45% ।

12. उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की श्रेणियां इस प्रकार होंगी :

(अ) कुल अंकों में से 75% या इससे अधिक अंक प्राप्तिकर्ता ——— विशेष योग्यता ।

(आ) कुल अंकों में से 60% या इससे अधिक किन्तु 75% से कम अंकों के प्राप्तिकर्ता ——— प्रथम श्रेणी ।

(इ) कुल अंकों में 50% या इससे अधिक किन्तु 60% से कम अंकों के प्राप्तिकर्ता ——— द्वितीय श्रेणी ।

(ई) कुल अंकों में से 50% या उससे कम अंकों के प्राप्तिकर्ता———तृतीय श्रेणी ।

13. परीक्षा-नियन्त्रक परीक्षा-समाप्ति के चार सप्ताह के अन्दर या यथासम्भव शीघ्र परीक्षा-परिणाम घोषित करेगा ।

14. प्रत्येक उत्तीर्ण विद्यार्थी को डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र मिलेगा, जिसमें उसकी श्रेणी अंकित रहेगी ।

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

बंगला में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम से संबंधित विनियम

1.1 बंगला में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम एक अकादमिक वर्ष का होगा ।

1.2 इसकी परीक्षा वर्ष में एक बार सामान्यतः मई के महीने में अथवा सिंडीकेट के द्वारा निश्चित तिथियों पर हुआ करेगी ।

1.3 सिंडीकेट के द्वारा निश्चित की गई परीक्षा आरम्भ होने की, विलम्ब शुल्क के बिना और विलम्ब-शुल्क के साथ परीक्षा में प्रवेश के आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की तिथि की अधिसूचना परीक्षा-नियन्त्रक जारी करेगा ।

2. निम्नलिखित योग्यताओं का धारक कोई भी व्यक्ति इस पाठ्यक्रम में प्रवेश पा सकता है—

(अ) पंजाब/हरियाणा के शिक्षा-बोर्ड/दिल्ली के सी० बी० एस० ई० की 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो ।

अथवा

(आ) उपर्युक्त (अ) के समकक्ष किसी अन्य विश्वविद्यालय बोर्ड की कोई भी अन्य परीक्षा, जो सिंडीकेट के द्वारा मान्य हो ।

3.1 किसी भी व्यक्ति के पास यदि उपर्युक्त विनियम 2 में कही गई योग्यताएं हों और वह निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दे, तो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य माना जाएगा :

(अ) भंग आचरण का प्रमाण-पत्र ।

(आ) परीक्षा के सद्यःपूर्व सत्र में विभाग का विधिवत विद्यार्थी होने का प्रमाण-पत्र ।

(इ) प्रत्येक प्रश्नपत्र की कक्षा में कुल दिए गए व्याख्यानों में से 66% व्याख्यानों में उपस्थित रहने का प्रमाण-पत्र ।

3.2 अभीष्ट संख्या में उपस्थिति की कमी को इस प्रकार क्षमा किया जा सकता है ।

(1) कुल दिए गए व्याख्यानों में 10% की कमी को विभागाध्यक्ष/कालेज का प्राचार्य परिस्थिति के अनुरूप क्षमा कर सकता है ।

(2) विभागाध्यक्ष/कालेज के प्राचार्य की संस्तुति पर अतिरिक्त 5% व्याख्यानों में उपस्थिति की कमी को विश्वविद्यालय का शैक्षिक डीन क्षमा कर सकता है ।

3.3 यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्त विनियम 2 में कही गई योग्यताएं हैं और उसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त है, विनियम के अनुरूप जो विद्यार्थी प्री-यूनिवर्सिटी (मानविकी संवर्ग) की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य समझे जाएंगे । ऐसे परीक्षार्थी विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना परीक्षा-आवेदनपत्र भेजेंगे ।

3.4 यदि किसी विद्यार्थी ने अभीष्ट संख्या में उपस्थिति प्राप्त कर रखी है और वह परीक्षा नहीं देता है, अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह जाता है, तो वह विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में तीन वर्ष के अन्दर परीक्षा दे सकने योग्य माना जाएगा ।

4. प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए 30 रुपए का परीक्षा-शुल्क देय होगा । प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षार्थी से 10 रुपए का अतिरिक्त परीक्षा-शुल्क लिया जाएगा ।

5.1 सीनेट के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा ली जाएगी ।

5.2 परीक्षा का माध्यम बंगला भाषा होगी । बंगला में ही प्रश्नपत्र बनाए जाएंगे और उत्तर भी बंगला में ही लिखने होंगे । केवल अनुवाद अंग्रेजी में लिखा जा सकता है ।

6. उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्राप्तांक निम्नलिखित रूप में निर्धारित हैं :

(अ) सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों में 40% अंक ।

(आ) मौखिक परीक्षा में 40% अंक ।

(इ) 45% अंक (आ) के योग के रूप में ।

7.1 उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नलिखित रूप में श्रेणी-विभाजित होंगे ।

(अ) 60% या उससे अधिक अंक———प्रथम श्रेणी ।

(आ) 50% या उससे अधिक, किन्तु 60% से कम अंक पाने वाले———द्वितीय श्रेणी ।

(इ) 50% से कम अंक पाने वाले———तृतीय श्रेणी ।

7.2 परीक्षा समाप्ति के 4 सप्ताह के बाद या यथासम्भव शीघ्र परीक्षा-नियन्त्रक परीक्षा-परिणाम घोषित करेगा ।

7.3 प्रत्येक उत्तीर्ण विद्यार्थी को एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, जिसमें उसके द्वारा प्राप्त की गई श्रेणी के साथ-साथ उसके प्राप्तांक भी अंकित रहेंगे ।

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

स्नातकोत्तर हिन्दी पत्रकारिता डिप्लोमा (व्यावहारिक हिन्दी) :

1993 के प्रवेश से प्रभावी : से सम्बन्धित विनियम ।

1.1 स्नातकोत्तर हिन्दी-पत्रकारिता डिप्लोमा (व्यावहारिक हिन्दी स्कीम) की अवधि दो अकादमिक वर्ष होगी ।

1.2 यह एक अंशकालिक पाठ्यक्रम होगा, जिसकी कक्षाएं प्रातः काल तथा/अथवा सायंकाल लगा करेंगी ।

1.3 स्नातकोत्तर हिन्दी-पत्रकारिता डिप्लोमा (व्यावहारिक हिन्दी स्कीम) की परीक्षा दो भागों में ली जाएगी । भाग-1 की परीक्षा पहले वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति पर और भाग-2 की परीक्षा दूसरे वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति पर ली जाएगी ।

1.4 भाग-1 और भाग-2 की परीक्षा सामान्यतः अप्रैल के महीने में या सिंडीकेट के द्वारा तय की गई तिथियों में होगी ।

1.5 सिंडीकेट के द्वारा तय की गई प्रवेश प्रार्थना-पत्र लेने की अन्तिम परीक्षा नियन्त्रक के द्वारा जनसंचार विभाग के अध्यक्ष को अधिसूचित की जाएगी ।

1.6 सिंडीकेट के द्वारा निश्चित की गई परीक्षा की तिथि परीक्षा-नियन्त्रक के द्वारा जनसंचार विभाग के अध्यक्ष को अधिसूचित की जाएगी ।

2.1 विश्वविद्यालय के द्वारा प्रवर्तित नियमों के अधीन, प्रवेश-परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा ।

2.2 भाग-1 में उसी व्यक्ति को प्रवेश के योग्य माना जाएगा जो—

(अ) हिन्दी विषय के साथ स्नातक-परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो ।

(आ) किसी अन्य विश्वविद्यालय की (अ) के समकक्ष योग्यता प्राप्त कर चुका हो ।

3.1 भाग-1 की परीक्षा वही विद्यार्थी दे सकेगा जो—

(1) परीक्षा से सद्यःपूर्व के सत्र में विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिन्दी पत्रकारिता डिप्लोमा के पाठ्यक्रम का विधिवत विद्यार्थी रहा हो ।

(2) जनसंचार विभाग के अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर चुका हो :

(अ) भद्र आचरण का प्रमाणपत्र ।

(आ) परीक्षा से सद्यःपूर्व के सत्र में कक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में दिए गए कुल व्याख्यानों में से कम से कम 65% में उपस्थित रहा हो;

(इ) आन्तरिक मूल्यांकन में जिसे कम से कम 40% अंक मिले हों (प्रत्येक अकादमिक वर्ष में मार्च के महीने तक कक्षा में हुई परीक्षाओं/व्यावहारिक प्रदत्त कार्य के आधार पर अध्यापकों के द्वारा अंक दिए जाएंगे) ।

4.1 जिस विद्यार्थी ने प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40% अंक लेकर भाग-1 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और उसके कुल प्राप्तांक 50% हों, उसे ही डिप्लोमा पाठ्यक्रम के भाग-2 में प्रवेश योग्य समझा जाएगा ।

4.2 यदि किसी विद्यार्थी ने भाग-1 में 50% कुल अंक प्राप्त कर लिए हों और वह एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण रह गया हो और उस प्रश्नपत्र में उसके प्राप्तांक 25% से कम न हों, तो वह डिप्लोमा पाठ्यक्रम के भाग-2 में प्रवेश के योग्य समझा जाएगा ।

5. भाग-2 की परीक्षा में उसी विद्यार्थी को प्रवेश मिलेगा, जो विनियम 4.1 के अधीन भाग-1 की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो अथवा जो 4.2 विनियम के अधीन योग्य समझा जाए, तथा,

(1) जो परीक्षा से सद्यःपूर्व के अकादमिक सत्र में भाग-2 डिप्लोमा कक्षा का विधिवत विद्यार्थी रहा हो ।

(2) जो जनसंचार विभाग के अध्यक्ष के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें :

(अ) परीक्षा से सद्यःपूर्व के सत्र में प्रत्येक प्रश्नपत्र की कक्षा में कुल दिए गए व्याख्यानों में से कम से कम 66% में उपस्थित रहने का प्रमाणपत्र ।

(आ) आन्तरिक मूल्यांकन में कम से कम 40 अंक प्राप्त करने का प्रमाणपत्र (ये अंक अध्यापक कक्षा में किए गए परीक्षण/प्रायोगिक कार्य, जो पूरे वर्ष भर अर्थात मार्च तक चलेंगे, के आधार पर दिए जाएंगे) ।

6.1 विभागाध्यक्ष भाग-1 तथा भाग-2 में उपस्थिति की कमी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में दो व्याख्यानों के हिसाब से क्षमा कर सकता है ।

6.2 यदि किसी विद्यार्थी ने अभीष्ट संख्या में उपस्थित रहते हुए भी परीक्षा नहीं दी हो, या परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह गया हो, तो उसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उस भाग के पाठ्यक्रम की समाप्ति के तीन वर्ष के अन्दर परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी (यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम के भाग-1 तथा भाग-2 पर लागू होगा) ।

7. प्रत्येक भाग के लिए विद्यार्थी को परीक्षा शुल्क के रूप में 45 रुपये देने होंगे ।

8. परीक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा होगी ।

9. अकादमिक कौंसिल के द्वारा पारित पाठ्यक्रम के आधार पर ही भाग-1 तथा भाग-2 परीक्षा ली जाएगी ।

10.1 हिन्दी-पत्रकारिता की डिप्लोमा परीक्षा के भाग-1 तथा भाग-2 को उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अंक 40% लेने होंगे और न्यूनतम कुल प्राप्तांक 50% लेने होंगे ।

10.2 उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी, जो 60% या उससे अधिक अंक पाएंगे उनको प्रथम श्रेणी में, तथा शेष को द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा।

10.3 यदि कोई विद्यार्थी प्रत्येक भाग (भाग-1 तथा भाग-2) में 50% अंक प्राप्त करता है। किन्तु केवल एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण रह जाता है और उसमें उसे 25% या उससे अधिक अंक मिलते हैं तो उसे विकल्प मिलेगा कि वह चाहे तो अगली परीक्षा/परीक्षाओं में प्रवेश ले ले और वह उस प्रश्न पत्र की ही परीक्षा दे दे और यदि वह उस प्रश्नपत्र को उत्तीर्ण कर लेता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, बशर्ते ऐसे विद्यार्थी को अनुत्तीर्णता की तिथि के बाद की तीन निरन्तरित परीक्षाओं में उस पूरक परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा ।

10.4 परीक्षा-नियन्त्रक परीक्षा-समाप्ति के चार सप्ताह पश्चात अथवा यथासम्भव शीघ्र परीक्षा-परिणाम घोषित कर देगा ।

10.5 प्रत्येक सफल विद्यार्थी को एक डिप्लोमा प्रमाण-पत्र मिलेगा, जिसमें उसकी श्रेणी अंकित रहेगी ।

10.6 इस डिप्लोमा (स्नातकोत्तर हिन्दी-पत्रकारिता डिप्लोमा) पर नियन्त्रण जनसंचार विभाग के नियन्त्रण-मंडल तथा जनसंचार विभाग का पाठ्यक्रम समिति का रहेगा ।

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

जीव-प्रौद्योगिकी में एम० एस-सी० (त्रिवर्षीय समस्तर पद्धति) से सम्बंधित विनियम

(इस प्रथम वर्ष के लिए 1991-92 के सत्र से तथा द्वितीय वर्ष के लिए 1992-93 के सत्र से प्रभावी समझा जाए) ।

1. जीव प्रौद्योगिकी में एम० एस-सी० पाठ्यक्रम की अवधि दो अकादमिक वर्ष (चार समस्तर) होगी ।

2. निम्नलिखित योग्यताओं का धारक व्यक्ति, जो पंजाब विश्वविद्यालय/या किसी अन्य विश्वविद्यालय/या पंजाब विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्थान की हो, इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के योग्य समझा जाएगा :

भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, औषधि विज्ञान, कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान, मत्स्यविज्ञान की (10+2+3 पद्धति पर) स्नातक परीक्षा अथवा अभियान्त्रिकी, प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, (एम० बी० बी० एस०), जो किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान से हो और जो पंजाब विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त हो। अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर 55% अंक अवश्य प्राप्त किए हों ।

3. समय-समय पर सिंडीकेट के द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन करते हुए ली जाने वाली प्रवेश-परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा ।

4. समय-समय पर अनुमोदित पाठ्यचर्या के आधार पर ही परीक्षा ली जाएगी ।

5. ऊपर विनियम 2 में दी गई योग्यताओं का धारक व्यक्ति केन्द्र के अध्यक्ष/संयोजक के द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात इसकी परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य समझा जाएगा :

(अ) भद्र आचरण का प्रमाण-पत्र ।

(आ) परीक्षा से सद्यःपूर्व के अकादमिक सत्र में केन्द्र के विधिवत विद्यार्थी रहने का प्रमाणपत्र ।

(इ) कक्षा में प्रत्येक सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में अलग-अलग कम से कम 66% उपस्थिति का प्रमाण पत्र ।

6. मूल्यांकन की पद्धति मुक्त और निरन्तरित होगी । सत्रारम्भ से पूर्व सिंडीकेट अध्यापन और परीक्षा कार्यक्रम अनुमोदित करेगी । केन्द्र के संयोजक के द्वारा अंक और उत्तरपुस्तिकाएं विद्यार्थियों को दिखाने के बाद परीक्षा-नियन्त्रक के पास तुरन्त भेज दी जाएंगी ।

7. जीव-प्रौद्योगिकी केन्द्र की गतिविधियों के सम्यक संयोजन के उद्देश्य से सिंडीकेट एक नियन्त्रण-मंडल का गठन करेगी । नियन्त्रण-मंडल के अध्यक्ष तथा केन्द्र के संयोजक की नियुक्ति कुलपति करेगा । केन्द्र का संयोजक ही नियन्त्रण-मंडल का संयोजक होगा ।

8. नियन्त्रण-मंडल प्रत्येक प्रश्न पत्र में उपस्थिति की कमी को 5% तक क्षमा कर सकता है ।

9. प्रत्येक समस्तर के आरम्भ में ही अन्य शुल्कों के साथ मूल्यांकन का शुल्क भी विद्यार्थियों के लिए देय होगा ।

10. परीक्षा का माध्यम और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगी ।

11. परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक लिखित प्रश्नपत्र, प्रायोगिक प्रश्नपत्र, मौखिक परीक्षा तथा सत्रात्मक परीक्षा (निरन्तरित प्रयोगशाला फार्म, कक्षा कार्य, शोधात्मक निष्पादन आदि पर आधारित) में कम से कम 50% प्राप्तांक अलग-अलग अवश्य होंगे ।

12. कोई भी कृपांक नहीं दिया जाएगा ।

13. विद्यार्थी का परीक्षा-परिणाम उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में होगा। तथापि, कुछ विशेष मामलों में (उदाहरणार्थ) स्वास्थ्य के आधार पर, नियन्त्रण-मंडल प्रत्येक समस्तर में केवल ऐ प्रश्नपत्र की पुनर्परीक्षा की अनुमति दे सकता है। यह परीक्षा आगे आने वाली स्थायी परीक्षा के समय ही दी जा सकेगी। कोई विशेष परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

14. सफल अभ्यर्थियों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जाएगा :

(अ) कुल अंकों में से 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले ——— विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी

(आ) कुल अंकों में से 60% या उससे अधिक किन्तु 75% से कम अंक प्राप्त करने वाले ——— प्रथम श्रेणी

(इ) कुल अंकों में से 50% या उससे अधिक किन्तु 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले ——— द्वितीय श्रेणी

15. पाठ्यक्रम के दौरान सभी प्राप्तांकों को एकत्र करके परीक्षा-संयोजक परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा।

16. प्रत्येक सफल विद्यार्थी को उपाधि दी जाएगी, जिसमें सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों और प्रायोगिक प्रश्नपत्रों के पृथक-पृथक प्राप्तांकों के साथ उसके द्वारा अर्जित श्रेणी भी अंकित रहेगी।

33. विनियमावली, खंड-2 के पृष्ठ 373-74 पर दिए गए डाक्टर आफ फिलासफी की उपाधि से संबंधित विनियम 12 और 19

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
12. प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी एनरोलमेंट की तिथि से तीन वर्ष तक पूर्णकालिक शोध करने के बाद ही अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करेगा। पूर्णकालिक शोध का यह प्रतिबन्ध किसी भी विश्वविद्यालय के विधि विभाग, संकाय अथवा किसी भी शिक्षाविद्यालय से संबद्ध किसी कालेज के विधि को पढ़ाने वाले अध्यापक पर लागू नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को केवल अभीष्ट तीन वर्ष की अवधि तक शोध करना होगा। यह भी प्रावधान किया जाता है कि शोधनिर्देशक के विचार-विमर्श के उपरान्त विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर, विशेष कारणों को लिखते हुए, एक वर्ष की अवधि और बढ़ाई जा सकती है।	12. प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी एनरोलमेंट की तिथि से तीन वर्ष तक पूर्णकालिक शोध करने के बाद ही अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करेगा। यह भी प्रावधान किया जाता है कि यह पूर्णकालिक शोध का प्रतिबन्ध विधि का अध्यापन करने वाले किसी भी विश्वविद्यालय के विधि विभाग, संकाय किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विधि-कालेज या किसी सरकारी या अर्द्ध-सरकारी संस्था, अथवा किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था में शोध में संलग्न अथवा न्यायिक अधिकार, वकालत में संलग्न एडवोकेट अथवा विधि-अधिकारी के रूप में अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थी अभीष्ट तीन वर्षों की अवधि तक शोध करेंगे। यह भी प्रावधान किया जाता है कि यह पूर्णकालिक शोध का प्रतिबन्ध उन अभ्यर्थियों पर भी लागू नहीं होगा, जो वैसे तो पी० एच० डी० करने के योग्य हैं, किन्तु उपर्युक्त श्रेणियों में वे नहीं आते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को पांच वर्षों की अभीष्ट अवधि तक शोध करना पड़ेगा। यह भी प्रावधान किया जाता है कि यदि संकाय चाहे तो विधि-विभाग के अध्यक्ष के द्वारा, शोध-निर्देशक से विचार-विमर्श के बाद संस्तुति किए जाने पर, विशेष कारणों का उल्लेख करते हुए, अधिकतम एक वर्ष की अवधि में छूट दे सकती है।
19. वह अभ्यर्थी, जो अपने एनरोलमेंट के तीन वर्ष के अन्दर अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, अपने शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष के माध्यम से अवधि विस्तार के लिए आवेदन पत्र देगा। विधि संकाय अधिकतम दो वर्ष की अवधि को बढ़ाने में सक्षम होगी अर्थात अभ्यर्थी एनरोलमेंट की तिथि से 5 वर्ष के अन्दर अपना शोध प्रबन्ध अवश्य प्रस्तुत कर दें।	19. यदि कोई अभ्यर्थी अपना शोध प्रबन्ध एनरोलमेंट की तिथि से तीन/पांच वर्षों के अन्दर पूरा नहीं करता है, जैसी भी स्थिति हो, तो वह अपना शोध निर्देशक और विभागाध्यक्ष के माध्यम से अवधि विस्तार के लिए आवेदन करेगा। विधि संकाय अधिकतम दो वर्ष की अवधि बढ़ा सकती है अर्थात प्रत्येक शिक्षार्थी को अपनी एनरोलमेंट की तिथि से पांच/सात वर्ष की कुल अवधि की समाप्ति की तिथि पर अपना शोध प्रबन्ध अवश्य प्रस्तुत करना पड़ेगा।

एस० के० शर्मा
उप-कुल सचिव (सामान्य)

चंडीगढ़
दिनांक 30-8-1995

मेरी उपस्थिति में पंजाब विश्वविद्यालय की सामान्य मौहर लगा कर इसे मौहरबन्द किया गया।
आज दिनांक अगस्त 30, 1995

एस० पी० धवन
कुल सचिव

सं० 6-95/जी० आर०:—शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने अपने पत्रांक एफ 3-1/93 यू० 1 दिनांक 24-2-95-के द्वारा निम्नलिखित विनियमों को अनुमोदित कर दिया है :—

1. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खण्ड 1, 1989 के पृष्ठ 65-66 पर दिया गया विनियम संख्या 4 :

4. निम्नलिखित विषयों की पाठ्यक्रम समितियों तथा उसके संयोजकों को सिण्डीकेट नामित करेगी :

(I से XIV) *** *** ***

(i) पाठ्यक्रम समिति XIX से XXXIII, XLII तथा XIV तक सम्बन्ध संकाय का अधिष्ठाता इन समितियों का सदस्य पदेन होगा।

(ii) रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग का अध्यक्ष पदेन पाठ्यक्रम समिति का सदस्य होगा।

iii) अभियांत्रिकी महाविद्यालय का प्राचार्य रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त, सभी पाठ्यक्रम समितियों का सदस्य पदेन होगा।

2. बी० ए०/बी० एससी० (सामान्य तथा आनर्स) की परीक्षाओं से संबंधित विनियम संख्या 21 :

21 बी० ए०/बी० एस० सी० (आनर्स) परीक्षा के लिये न्यूनतम उत्तीर्णांक सम्बन्ध विषय के सामान्य प्रश्नपत्रों तथा आनर्स के प्रश्नपत्रों में, दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष की परीक्षाओं के सम्मिलित परिणाम के आधार पर; 45 प्रतिशत होंगे।

शर्त यह है कि यह प्रतिशत पृथक-पृथक रूप में लिखित परीक्षा तथा प्रायोगिक परीक्षा में बाह्य मूल्यांकन; भूगोल विषय में मानचित्रीय कार्य के बाह्य मूल्यांकन; पर लागू होगा। किसी भी परीक्षार्थी के द्वारा दूसरे वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्बंध महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचित कर दिया जाएगा।

बी०ए०/बी० एस०-सी० (आनर्स) का सम्पूर्ण परीक्षा-परिणाम आनर्स वाले विषय के सामान्य प्रश्न पत्रों में दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष की परीक्षा में प्राप्तांकों तथा बी० ए०/बी० एस०-सी० दूसरे तथा तीसरे वर्ष की परीक्षा में आनर्स के प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर तय होगा।

यह भी शर्त है कि यदि कोई परिक्षार्थी आनर्स के प्रश्नपत्रों में न्यूनतम अभीष्ट अंक प्राप्त कर लेता है, किन्तु आनर्स वाले विषय के सामान्य प्रश्नपत्रों में न्यूनतम अभीष्ट अंक प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसे उस विषय में कुल अंकों के एक प्रतिशत ग्रेस अंक दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष की परीक्षा में, सामान्य कोर्स के लिये, दिये जायेंगे ताकि वह आनर्स परीक्षा के लिये योग्यता प्राप्त कर सके।

3. विश्वविद्यालय विनियमावली, खण्ड II, 1988 के पृष्ठ 114 पर दिया गया एम० ए० से संबंधित विनियम 8.1 तथा पृष्ठ 122 पर दिये गये एम० ए०/एम० एस०-सी० (समस्तर पद्धति) पर दिया गया विनियम 13 (जिसे सीनेट/भारत सरकार के अनुमोदन की प्रत्याशा में सत्र 1991-92 से प्रभावी समझा जाए) :

8.1 परीक्षा का माध्यम अधोलिखित रहेगा :—

संस्कृत के लिए	संस्कृत, हिन्दी, पंजाबी या अंग्रेजी, परीक्षार्थी के द्वारा चुने जाने पर परीक्षार्थी उपर्युक्त माध्यमों में से किसी को भी किसी भी प्रश्न-पत्र में उत्तर देने के लिये चुन सकता है।
फारसी के लिये	फारसी, उर्दू या अंग्रेजी, परीक्षार्थी के द्वारा जो भी चुना जाए।
अरबी के लिये	उर्दू या अंग्रेजी, परीक्षार्थी के द्वारा जो भी चुना जाए।
हिन्दी के लिये	हिन्दी
पंजाबी के लिये	पंजाबी
उर्दू के लिये	उर्दू
संगीत के लिये	अंग्रेजी या हिन्दी या जाबी या उर्दू
तमिल के लिये	तमिल
अन्य विषयों के लिये	अंग्रेजी या हिन्दी या पंजाबी

यह प्रावधान किया जाता है कि संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, हिन्दी या पंजाबी या उर्दू में निबन्ध वाले प्रश्न पत्र का माध्यम वही भाषा होगी, जो मुख्य विषय है।

13 परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी या हिन्दी या पंजाबी भाषा होगी।

4. पंजाब विश्वविद्यालय विनियमावली, खण्ड II, 1988 के पृष्ठ 381 पर दिया गया बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग परीक्षा से संबंधित विनियम 3 तथा पृष्ठ 540 पर दिया गया बेचलर आफ आर्कीटेक्चर परीक्षा से संबंधित विनियम 2 :

3. कोई भी ऐसा अभ्यर्थी प्रथम समस्तर के पाठ्यक्रम किसी भी शाखा में प्रवेश ले सकेगा :

(अ) जिसने 10+2 की परीक्षा (विज्ञान के वर्ग की), या इसके समकक्ष परीक्षा, जिसे किसी भी मान्यता

प्राप्त बोर्ड/यूनीवर्सिटी/कौंसिल ने संचालित किया हो, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित विषय लेकर उत्तीर्ण की हो;

(आ) जिसने प्रवेशार्थ ली गई परीक्षा में बनाये गये नियमों के अधीन न्यूनतम अंक प्राप्त कर योग्यता प्राप्त कर ली हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य सभी आरक्षित कोटियों के लिए न्यूनतम योग्यता-अंक अनारक्षित कोटियों के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता-अंक के दो तिहाई होंगे;

(इ) प्रवेशार्थ परीक्षा में प्राप्त वरीयता-क्रम ही प्रवेश का आधार होगा।

यह प्रावधान किया जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को छोड़कर (50% अंकों को अर्हता को 5% कम कर दिया जाएगा यदि उन्होंने विनियमों के अनुरूप न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लिये हों।

बेचलर आफ आर्कीटेक्चर (वास्तुशिल्प स्नातक) परीक्षा से संबंधित विनियम 2 :

2. (अ) जिन्होंने किसी भी मान्यताप्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी/कौंसिल के द्वारा आयोजित 10+2 (विज्ञान वर्ग की) परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित विषय लेकर उत्तीर्ण की हो, ऐसे विद्यार्थी वास्तुशिल्प स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के योग्य समझे जायेंगे।

(आ) अभ्यर्थियों को प्रवेशार्थ परीक्षा में योग्यता प्राप्त करनी होगी और प्रवेश के लिए प्रवेशार्थ परीक्षा की वरीयता सूची ही आधार होगी।

5. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड–II, 1988 के पृष्ठ 423 पर दिया गया एम० बी० बी० एस० से संबंधित विनियम:

7.1 परीक्षा–नियंत्रक परीक्षा-समाप्ति के दो सप्ताह के पश्चात् या यथा–संभव परीक्षा–परिणाम प्रकाशित कर देगा।

7.2 सभी विषयों को एक ही अवसर में उत्तीर्ण कर लेने वाले विद्यार्थी को उस विषय में "विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण" घोषित किया जाएगा, जिसमें उसने कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

7.3 "विशेष योग्यता" उसी विद्यार्थी को प्रदत्त की जाएगी जिसकी उत्तर-पुस्तिकाओं को चारों परीक्षकों ने मूल्यांकित किया हो और सम्मिलित रूप से उसकी मौखिक परीक्षा ली हो।

7.4 उसी विद्यार्थी को "आनर्स" के साथ एम० बी० बी० एस० की उपाधि दी जाएगी

(अ) जिसने अपना पाठ्यक्रम न्यूनतम अवसरों में पूर्णतया उत्तीर्ण कर लिया हो; तथा

(आ) जिसने प्रत्येक प्रथम, द्वितीय, अंतिम भाग I तथा अंतिम भाग II परीक्षाएं–पहली बार में ही उत्तीर्ण कर ली हों और प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक विषय में 70% कम अंक प्राप्त न कर लिए हों।

7.5 (अ) प्रथम/द्वितीय/अंतिम भाग I परीक्षा में सफल परीक्षार्थी को एक प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। एम० बी० बी० एस० भाग II, की परीक्षा में सफल परीक्षार्थी को विनियम 8 में उल्लिखित, पैरा –स्नातक परीक्षा में पूर्णता के बाद होने वाले प्रशिक्षण के बाद उपाधि प्रदान की जाएगी।

6. विनियमावली, खंड–II, 1988 के पृष्ठ 551–554 पर उल्लिखित विनियम में संशोधन तथा पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय के नाम में परिवर्तन :

पत्राचार अध्ययन:

1.1 पंजाब विश्वविद्यालय पत्राचार अध्ययन विभाग, चंडीगढ़, होगा।
इसमें अध्यापन पत्राचार के माध्यम के प्रत्येक परीक्षा के लिए होगा, जिसका निर्णय समय–समय पर सिंडीकेट करेगी।

1.2 पत्राचार अध्ययन विभाग में ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक प्रवेश लेने में सक्षम होगा, जो भारत के किसी भी भाग का निवासी हो, अस्थायी रूप से विदेश में रहता हो और जो प्रवेश की शर्तें पूरी करता हो। सिंडीकेट विदेश के किसी भी व्यक्ति को इस विभाग में प्रवेश पाने की अनुमति दे सकती है, यदि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संयोजकात्मक निर्देशों के अनुरूप हो।

1.3 इस विभाग में अध्ययन के अभिलाषी व्यक्ति को इस विभाग में स्वयं को नामांकित कराना होगा, और समय–समय पर निर्धारित होने वाले शुल्क को देना होगा।

1.4 (i) यदि निर्धारित तिथि तक पूर्ण या आंशिक रूप से शुल्क न दिए जाने के कारण कोई व्यक्ति नामांकित नहीं हो पाता है, तो उसके द्वारा प्रदत्त शुल्क को लौटाया नहीं जाएगा।

(i) यदि किसी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित तिथि तक आवश्यक प्रमाणपत्र न दिए जाने के कारण अथवा जाली प्रमाण-पत्र दिए जाने के कारण उसका नामांकन नहीं होता है, तो भी उसके द्वारा प्रदत्त शुल्क को लौटाया नहीं जाएगा।

(ii) यदि कोई व्यक्ति बीच में ही अपना अध्ययन छोड़ देता, तो भी उसके द्वारा प्रदत्त शुल्क को लौटाया नहीं जाएगा।

(iii) यदि किसी व्यक्ति को अयोग्य होने के कारण नामांकित नहीं किया जाता है, तो उसके द्वारा प्रदत्त शुल्क 25% अंश को काटकर लौटा दिया जाएगा।

(iv) जब कभी शुल्क की वापसी की अनुमति होगी तो इस विभाग के द्वारा पत्र के निर्गमित होने की तिथि के छः मास के अंदर ही एतदर्थ आवेदन करना होगा, ऐसा न होने पर यह आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा।

2.1 पत्राचार अध्ययन विभाग में नामांकित व्यक्ति को जिसके अध्यक्ष को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र देने होंगे:—

(अ) निर्धारित प्रारूप, पत्रक तथा प्रमाण-पत्र, तथा

(आ) विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि तक, उसके पास भेजे गए प्रदत्त कार्य (एसायनमेंट तथा उत्तर-पत्रावली) (रेसपांससीटस) का कम से कम 20 प्रतिशत भाग। ऐसा न किए जाने पर वह व्यक्ति परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।

2.2 उसे पत्राचार अध्ययन विभाग के अध्यक्ष के पास संबद्ध विश्वविद्यालयीय परीक्षा के लिए अपना आवेदनपत्र देना होगा, जिसके साथ समय-समय पर सुनिश्चित परीक्षा-शुल्क भी जमा कराना होगा।

2.3 विश्वविद्यालय के द्वारा तय किए गए परीक्षा-शुल्क के साथ आवेदन पत्र, सविलम्ब-शुल्क तथा बिना विलम्ब शुल्क की तिथियों के परीक्षा नियंत्रक अधिसूचित करेगा।

2.4 अंतिम तिथि के पश्चात् भी किसी भी व्यक्ति को आवेदन पत्र और शुल्क लिया जा सकेगा :—

(i) पांच रुपये के विलम्ब शुल्क के साथ 10 दिन तक और पूर्ववर्ती वर्ष की 31 दिसम्बर की तिथि तक तीस रुपए के विलम्ब शुल्क के साथ;

(ii) सौ रुपए के विलम्ब शुल्क के साथ 31 जनवरी तक

3.1 पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों और उसके सभी नियमित अध्यापन-विभागों पर लागू होने वाले पाठ्यवृत्त और पाठ्यचर्या से सम्बन्धित सभी विनियम पत्राचार अध्ययन विभाग के विद्यार्थियों पर भी प्रभावी होंगे, जिनको छोड़कर —

(अ) उपस्थिति की वांछनीयता,

(आ) गृह-परीक्षा में योग्यता प्राप्त करने की वांछनीयता।

3.2 बी० काम परीक्षा के विषय में, आंतरिक मूल्यांकन के अंक सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, तथा प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्राप्तांकों को उस अनुपात में बढ़ा दिया जाएगा।

4 पत्राचार अध्ययन विभाग में पंजीकृत, जिसे विभागाध्यक्ष ने किसी भी पाठ्यक्रम के लिए योग्य मान लिया हो और जो उसके लिए नियत अर्हताओं को पूरा करता हो, किसी भी विद्यार्थी को उस परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को विश्वविद्यालय के द्वारा नियत परीक्षा-केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा।

5. पत्राचार अध्ययन विभाग का कोई भी विधिवत् विद्यार्थी विश्वविद्यालयीय परीक्षा में सम्मिलित न होने पर अथवा सम्मिलित होने के उपरांत अनुत्तीर्ण रह जाने पर, बी० काम० में एक वर्ष तक, डिप्लोमा परीक्षा में दो वर्षों तक तथा अन्य परीक्षाओं में तीन वर्षों तक विगत परीक्षा के तुरंत बाद और विधिवत् विद्यार्थी बना रह सकता है, जिस परीक्षा में विनियम 4 के अधीन उसने अर्हताएं पूरी की थीं। इस संदर्भ में उसे दस रुपए प्रतिवर्ष की दर से शुल्क देना होगा और विश्वविद्यालयीय परीक्षा में वह पत्राचार अध्ययन विभाग के भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकेगा।

यह प्रावधान किया जाता है कि पत्राचार अध्ययन विभाग का विधिवत् विद्यार्थी, जो सत्रस्तर पद्धति एम० ए० की परीक्षा में सम्मिलित होता है और वह उस पाठ्यक्रम में पुनः सम्मिलित होने में सक्षम सिद्ध होता है, तो उसे एम० ए० पाठ्यक्रम को पूरा करने तक विधिवत् विद्यार्थी बना रहने दिया जाएगा और एतदर्थ उसे प्रत्येक बार भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होते समय दस रुपये के हिसाब से शुल्क देना होगा।

6. वे विदेशी विद्यार्थी, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के पत्राचार अध्ययन विभाग के विद्यार्थी के रूप में बी० ए०/बी० काम० भाग I या भाग II अथवा एम० भाग I की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अपने-अपने देशों में रहते हुए अपने-अपने एकीकृत पाठ्यक्रम पूरे कर सकते हैं और उनको विनियम में उल्लिखित अवसर ही संबद्ध परीक्षाओं के लिए मिल सकेंगे।

7. प्राक्शास्त्री तथा शास्त्री परीक्षाओं से सम्बन्धित विनियम 6.2।

6.3 यदि कोई परीक्षार्थी कम से कम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बाद भी किसी प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण रह जाता है और प्राक्शास्त्री परीक्षा में कुल योग के रूप में कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, तो उसे पुनः उस प्रश्नपत्र में परीक्षा देने की आगामी परीक्षाओं में अनुमति होगी।

प्रत्येक अवसर पर उसे उसका ही शुल्क देना होगा, जो पूरी परीक्षा का होगा। यदि वह इन दोनों परीक्षाओं में से किसी भी परीक्षा में उस प्रश्नपत्र को उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे उस परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा।

6.4 यदि कोई परीक्षार्थी कम से कम 20 प्रतिशत अंक पाता हुआ किसी एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण रह जाता है और उसे कुल योग के कम से कम 40 प्रतिशत शास्त्री परीक्षा में मिलते हैं, तो उसे पूरी परीक्षा का प्रत्येक बार शुल्क देते हुए आगामी दो परीक्षाओं में केवल उसी प्रश्नपत्र में परीक्षा देने की अनुमति होगी और यदि वह इन के दोनों अवसरों में से किसी एक में वह प्रश्नपत्र उत्तीर्ण कर लेता है, तो उसे उस परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा।

यह प्रावधान किया जाता है कि नियमित प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य के लिए, प्रतिरक्षा में व्यस्तता के कारणों से इन अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ रहने पर, सिंडीकेट इन अवसरों को बढ़ा सकती है।

10. नवीन पद्धति के अधीन बी० ए०/बी० एस० सी० (सामान्य तथा आनर्स परीक्षाओं से सम्बन्धित विनियम 31 तथा 32 1)

31. किसी भी व्यक्ति को, पंजाब यूनीवर्सिटी की बी० ए०/बी० एस०-सी० (सामान्य) तथा बी० ए० बी०एस० सी० (आनर्स) उपाधि मिल जाने के बाद भी, किसी विषय में जिसे वह पहले उत्तीर्ण कर चुका है, अपने परीक्षा-परिणाम को पहले से अच्छा बनाने की दृष्टि से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में पुनः परीक्षा देने की अनुमति होगी। वह प्रथम द्वितीय या तृतीय वर्ष या इनमें से किसी भी वर्ष की परीक्षा दे सकता है।

इस उद्देश्य के लिए वह अप्रैल/सितम्बर (जैसी भी स्थिति हो) की परीक्षा में, तृतीय वर्ष की परीक्षा देने के तुरंत बाद वाले वर्ष में निम्नलिखित रूप में सम्मिलित हो सकता है:

(i) प्रथम वर्ष ..... पूरक परीक्षा में

(ii) द्वितीय वर्ष
तृतीय वर्ष ..... वार्षिक परीक्षा में।

32.1 यदि किसी व्यक्ति ने बी० ए० बी० एस०-सी० (सामान्य) अथवा बी० ए०/बी० एस०-सी० (आनर्स) परीक्षा इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कर ली है, वह व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में किसी भी आगामी बी० ए०/बी० एस०-सी० (सामान्य) अथवा बी० ए०/बी० एस०-सी० (आनर्स) परीक्षा में किसी भी उस परीक्षा के लिए निर्धारित उस विषय में या विषयों में परीक्षा दे सकता है, जिसे या जिन्हें उसने उत्तीर्ण नहीं कर रखा है।

विज्ञान के विषय/विषयों के मामले में परीक्षार्थी किसी भी संबद्ध पढ़ाविद्यालय में अध्ययन करेंगे और महाविद्यालय के प्राचार्य का प्रमाणपत्र इस आशय का प्रस्तुत करेंगे कि उसने वह पाठ्यक्रम पूरा किया।

एतदर्थ उसे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष की परीक्षा निम्नलिखित रूप में देनी होगी :—

(अ) बी० ए०/बी एस०सी० सामान्य) :

(i) प्रथम वर्ष ..... पूरक परीक्षा में

(ii) द्वितीय तथा
तृतीय वर्ष ..... वार्षिक परीक्षा में।

(आ) बी० ए० बी० एस०सी० (आनर्स):

एक साथ द्वितीय तथा ..... वार्षिक परीक्षा से
तृतीय वर्ष ..... ।

9. नई पद्धति के अधीन बी० कॉम० (सामान्य तथा आनर्स) परीक्षाओं के लिये विनियम 23 (बी)

आनर्स के प्रश्नपत्रों में कुल योग के 50% अंक, जो प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40% अंक होने चाहिये।

10. विनियमावली खण्ड-II, 1988 के पृष्ठ 72 पर दिया गया बी० ए०/बी० एस० सी० परीक्षाओं से संबंधित विनियम 19.6, 305 पर दिया गया बी० कॉम (आनर्स) विषयक विनियम 18(डी), पृष्ठ 100-101 पर दिया गया पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (पत्राचार के द्वारा) विषयक विनियम 3, 4 और 12 तथा पृष्ठ 346-348 पर उल्लिखित कार्यालय संगठन तथा कार्य प्रणाली में डिप्लोमा विषयक विनियम 4.2, 5, 8, 9 तथा 10, जनसंख्या शिक्षा में एक-वर्षीय डिप्लोमा विषयक विनियम 4, 6, 7, 10 तथा 11, सांख्यिकी में एक-वर्षीय डिप्लोमा विषयक विनियम 1, 2 तथा 10 तथा बी० ए०/बी० एस० सी० (सामान्य तथा आनर्स) से संबंधित विनियम, 22; पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय का नाम पत्राचार अध्ययन विभाग हो जाने के फलस्वरूप ;

बी० ए०/बी० एस० सी०

19.6 पत्राचार अध्ययन विभाग से भूगोल विषय में बी० ए० (आनर्स) परीक्षा देने के लिये किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्ध किसी संस्था के अध्यक्ष द्वारा किसी अध्यापक को दिया गया अथवा एतदर्थ भूगोल की पाठ्यक्रम समिति/अकादमिक कौंसिल के द्वारा मान्य किसी संस्था के अध्यक्ष के द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी के द्वारा इस विषय में निर्धारित प्रायोगिक कार्य का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।

बी० कॉम० (आनर्स)

18(अ) अध्यापकीय कार्य (ट्यूटोरियल वर्क) के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के लिये प्रत्येक प्रश्नपत्र में 10% अंक सुनिश्चित रहेंगे।

(आ) आंतरिक मूल्यांकन में दिये गये अंक परीक्षा आरम्भ होने से कम से कम दो सप्ताह पूर्व परीक्षा-नियंत्रक के पास पहुंचा दिए जाएंगे।

(ई) आंतरिक मूल्यांकन के आधार को, जिस पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक दिये गये हों, एक पंजिका में महाविद्यालय के द्वारा लिखा जायेगा और उसे प्राचार्य प्रति-हस्ताक्षरित करेगा। परीक्षा-परिणाम के घोषित हो जाने के बाद छः महीने तक यह पंजिका विश्वविद्यालय के निरीक्षण के लिए उपलब्ध बनाए रखी जाएगी।

(उ) महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों अथवा पत्राचार अध्ययन विभाग के विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है और उनके प्राप्तांक उसी अनुपात में बढ़ा दिए जाएंगे।

पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (पत्राचार के द्वारा)

3. इस पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त करने के अभिलाषी व्यक्ति पत्राचार अध्ययन विभाग में अपना नाम अंकित कराएंगे और निम्नलिखित शुल्क देंगे :—

(अ) नामांकन शुल्क ——————10 रुपया

(ब) X X X (सी) X X X

(ई) X X X (सी) X X X

(ई) पुस्तकालय शुल्क 20 रुपया प्रति वर्ष

4. यदि कोई व्यक्ति परीक्षा नहीं दे पाता है या परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह जाता है, तो वह पत्राचार अध्ययन विभाग के पूर्व विद्यार्थी के रूप में 10 रु० प्रतिवर्ष शुल्क देकर तुरन्त बाद के आगामी तीन वर्षों तक अपना नामांकन सुरक्षित रख सकता है और परीक्षा दे सकता है।

12. शिक्षा तथा मूल्यांकन का उचित स्तर बनाए रखने के लिए एक संयोजन समिति गठित की जायगी जो पत्राचार अध्ययन विभाग में पुस्तकालय विज्ञान प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम से सम्बद्ध होगी। इसके सदस्य निम्नलिखित होंगे—

1. पंजाब विश्वविद्यालय के पुस्तकालय विज्ञान का प्रोफेसर (पदेन)

2. पंजाब विश्वविद्यालय के पत्राचार अध्ययन विभाग का अध्यक्ष (पदेन) (संयोजक)

3. विश्वविद्यालय के पुस्तकालय कर्मचारियों में से एक सदस्य

4. पत्राचार अध्ययन विभाग का एक सदस्य

5. सम्बद्ध क्षेत्रों/विषयों के संकाय का एक सदस्य

} कुलपति इसको नामित करेगा।

संयोजन-समिति निम्नलिखित बातों के लिये उत्तरदायी रहेगी—

(अ) प्रवेश-विषयक नीति

(आ) शैक्षणिक कार्यक्रम, जिसमें लेखकों एवं पाठ्यवर्ग के पुनरीक्षकों की नामावली की संस्तुति, पुस्तकालय के लिये पुस्तकों का मंगवाना तथा दृश्य-श्रव्य उपकरण सम्मिलित हैं।

(इ) कार्यक्रम की समीक्षा

सांख्यिकी में एक-वर्षीय डिप्लोमा

1. पत्राचार अध्ययन विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय सांख्यिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलायेगा। इसकी अवधि एक अकादमिक सत्र की होगी।

2. सांख्यिकी विभाग की पाठ्यक्रम समिति, सांख्यिकी (परा स्नातक) इस डिप्लोमा के लिये भी प्रभावी होगी। आवश्यकता होने पर पत्राचार अध्ययन विभाग का सांख्यिकी का एक अध्यापक सदस्य के रूप में इस बोर्ड में बुला लिया जायेगा।

10. प्रत्येक विद्यार्थी के पास प्रदत्त कार्य (एलाइनमेंट) के रूप में दो उत्तर-पुस्तिकायें (रेसपांस शीट्स) भेजी जाएंगी, जिन्हें भेजे जाने की तिथि के एक मास के अन्दर मूल्यांकनार्थ पत्राचार अध्ययन विभाग को दे दिया जायगा (विदेशालय विद्यार्थियों को और अधिक 14 दिन का समय दिया जा सकता है। (आंतरिक मूल्यांकन, केवल इन उत्तरपुस्तिकाओं पर प्रदत्त अंकों के आधार पर होगा। पत्राचार अध्ययन विभाग का अध्यक्ष परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक परीक्षा-नियंत्रक के पास भेज देगा।

कार्यालय संगठन तथा कार्य प्रणाली में डिप्लोमा

4.2 पत्राचार अध्ययन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के अभिलाषी व्यक्ति को समय-समय पर निर्धारित शुल्क देने होंगे।

5. इस पाठ्यक्रम में उन व्यक्तियों को प्रवेश मिल सकेगा, जिन्होंने ये अर्हताएं अर्जित कर ली हों:—

(अ) (i) x x x x x x

(ii) x x x x x x

(आ) जो निम्नलिखित में से किसी एक कार्यालय में कार्यरत हों :

(i) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अर्ध-सरकारी संस्थाओं के कार्यालय

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड

(iii) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के उपक्रम

(iv) पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, लोक न्यास

(इ) जो भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी हों तथा अपनी पदमुक्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यह बात पत्राचार अध्ययन विभाग के विद्यार्थियों पर ही लागू होगी।

8. आंतरिक मूल्यांकन में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 40% अंक नियत रहेंगे। वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रबन्धन विभाग का अध्यक्ष/सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य आवधिक परीक्षण, लिखित प्रदत्त कार्य/मौखिक विचारण के आधार पर परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम दो सप्ताह पूर्व कुलसचिव के पास इन प्राप्तांकों को भेज देगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के छः महीने बाद तक उस दस्तावेज को संभाल कर रखा जायेगा, ताकि आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय इस का निरीक्षण कर सके, जिसके आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक दिये गये हों। यह बात पत्राचार अध्ययन विभाग के विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगी।

9. यह परीक्षा वही विद्यार्थी दे सकेगा, जिसका नाम यथास्थिति विश्वविद्यालय के वाणिज्य तथा व्यावसायिक प्रबन्धन/सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य/पत्राचार अध्ययन विभाग के अध्यक्ष के द्वारा भेजा गया हो तथा जो :

(i) परीक्षा से अविलम्ब पूर्व के एक अकादमिक वर्ष में वाणिज्य तथा व्यावसायिक प्रबन्धन विभाग, सम्बद्ध महाविद्यालय/पत्राचार अध्ययन विभाग का नियमतः विद्यार्थी रहा हो।

(ii) मूल्यांकनार्थ पत्राचार अध्ययन विभाग में कम से कम 40 प्रतिशत उत्तर-पुस्तिकाएं भेज चुका हो।

(iii) कक्षा में दिये गये व्याख्यानों/हुए परिसंवादों आदि में से कम से कम 40% में उपस्थित रहा हो। इसमें 10% की छूट वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रबन्धन/सम्बद्ध महाविद्यालय का प्राचार्य दे सकता है। ये बातें पत्राचार अध्ययन विभाग के विद्यार्थियों पर लागू नहीं होंगी।

(iv) परीक्षा से त्वरित पूर्व के अकादमिक सत्र में दो महीनों के निर्धारित प्रायोगिक प्रशिक्षण को पूरा कर चुका हो।

10. (अ) जो विश्वविद्यालय के वाणिज्य तथा व्यावसायिक प्रबन्धन विभाग/सम्बध महाविद्यालय/पत्राचार अध्ययन विभाग का नियमतः विद्यार्थी रहा हो, तथा वांछित संख्या में व्याख्यानों और प्रायोगिक प्रशिक्षण में उपस्थित रहा हो, किन्तु (i) विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित न हो पाया हो या (ii) उसे उत्तीर्ण न कर सका हो; ऐसे विद्यार्थी को वाणिज्य तथा व्यावसायिक प्रबन्धन/सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य/पत्राचार अध्ययन विभाग के अध्यक्ष की संस्तुति पर, बिना पुनः पाठ्यक्रम में उपस्थित हुए, आगामी दो निरन्तरित परीक्षाओं में सम्मिलित होने का अधिकार होगा।

(आ) पत्राचार अध्ययन विभाग के ऐसे विद्यार्थी को, जो इस विभाग का नियमित विद्यार्थी रहा हो तथा जो या तो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाया हो अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह गया हो, इस विभाग का पाठ्यक्रम का अध्ययन किये जाने वाले वर्ष के तुरन्त बाद के दो वर्षों तक 20 रुपया प्रति वर्ष शुल्क देकर, विद्यार्थी बने रहने का अधिकार होगा तथा वह पत्राचार अध्ययन विभाग के पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेगा।

जनसंख्या शिक्षा में एक-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम

4. प्रत्येक विद्यार्थी के लिये 77/– (सतत्तर रुपये) या समय-समय पर निर्धारित होने वाला परीक्षा-शुल्क देय होगा।

6. प्रत्येक विद्यार्थी, जो इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करेगा, विभाग, का नियमित विद्यार्थी होगा, तथा विश्वविद्यालय को सिंडीकेट के द्वारा समय-समय पर नियत किये जाने वाले शुल्क को देगा।

7. एक वर्ष छोड़कर कुलपति विभाग के लिये एक परामर्श दात्री समिति गठित करेगा, जो पाठ्यक्रम समिति के रूप में भी कार्य करेगा। इसमें पत्राचार अध्ययन विभाग का अध्यक्ष के अतिरिक्त 4–5 अन्य सदस्य होंगे, जो प्रमुख विभागों से कुलपति के द्वारा नामित होंगे।

10. यह विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा, जिसे पत्राचार अध्ययन विभाग के अध्यक्ष ने भेजा हो तथा जो—

(i) परीक्षा के तुरन्त पूर्व के एक वर्ष तक पत्राचार अध्ययन विभाग का विद्यार्थी रहा हो; तथा

(ii) मूल्यांकन के लिये पत्राचार अध्ययन विभाग को कम से कम 40 उत्तर पुस्तिकायें भेज चुका हो।

11. यदि कोई पत्राचार अध्ययन विभाग का विद्यार्थी रहा हो और परीक्षा न दे सका हो या उसमें अनुत्तीर्ण रह

गया हो, तो उसे पाठ्यक्रम के विद्यार्थी रहने वाले वर्ष के तुरन्त बाद के दो वर्षों तक बीस रुपये प्रतिवर्ष का शुल्क देकर पत्राचार अध्ययन विभाग के पूर्व छात्र के रूप में परीक्षा देने तथा विभाग के विद्यार्थी के रूप में बने रहने का अधिकार होगा।

बी० ए०/बी० एस०-सी० (सामान्य तथा आनर्स)

22. पत्राचार अध्ययन विभाग के भूगोल विषय का विद्यार्थी परीक्षा से पूर्व किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय अथवा भूगोल का पाठ्यक्रम संचालित अकादमिक कौंसिल के द्वारा एतदर्थ मान्य किसी संस्था के प्राध्यापक-प्रभारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जो संस्था के अध्यक्ष के द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित होगा, कि वह इस विषय को पढ़ाता रहा है और उसने इस विषय के लिये प्रानिर्धारित योगिक कार्य पूर्ण किया है।

11. पंजाब विश्वविद्यालय विनियमावली खण्ड–II, 1988 के पृष्ठ 384 तथा पृष्ठ 395 पर उल्लिखित वैमानिकीय, रसायन, सिविल, कम्प्यूटर, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग, वैद्युत अणुवैद्युत तथा वैद्युत संप्रेषण, मैकेनिकल, मेटालर्जिकल तथा उत्पादन में बेचलर आफ इंजीनियरिंग से संबंधित तथा रसायन सिविल, वैद्युत, मैकेनिकल तथा अणुवैद्युत में मास्टर आफ इंजीनियरिंग परीक्षा से संबंधित विनियम 15 तथा 5, जो जनवरी 1992 से प्रभावी होंगे :

15. विद्यार्थियों को प्रत्येक समस्तर में अध्ययनार्थ चुने गये विषयों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक समस्तर के लिए पृथक पृथक परीक्षा के लिए फार्म भरने होंगे। प्रत्येक समस्तर के सभी विषयों के लिये परीक्षा शुल्क सौ रुपये एक विषय के लिये पचास रुपये तथा पुनः परीक्षा के लिये सत्र-सुधारार्थ पचास रुपये शुल्क होगा। अधिकतम शुल्क सौ रुपये रहेगा।

मास्टर आफ इंजीनियरिंग परीक्षा

5. प्रत्येक विद्यार्थी के लिये शुल्क अधोलिखित रूप में देय होगा —

(i) प्रत्येक समस्तर के लिये सौ रुपये

(ii) शोध प्रबन्ध के लिये दो सौ रुपये

बी० ए०/बी० एस०-सी० (सामान्य तथा आनर्स) परीक्षा से सम्बन्धित विनियम 4.2 तथा बी काम (सामान्य तथा आनर्स) परीक्षा से संबंधित विनियम 3 (डी) :

4.2 यदि कोई व्यक्ति भारत में किसी विश्वविद्यालय/बोर्ड/कौंसिल/संस्थान के द्वारा आयोजित +2 की परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित किया जाता है, तो वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद बी० ए०/बी० एस०-सी० पाठ्यक्रम के भाग I में प्रवेश के योग्य समझा जायेगा :—

(i) यदि उसे केवल एक विषय में पूरक परीक्षा देनी हो;

(ii) जिस विषय में उसे पूरक परीक्षा देनी हो, उसमें उसे कम से कम 20% अंक मिले हों, तथा

(iii) उसे नियम के प्रावधान के अनुरूप कुल योग में से प्राप्तांक अभीष्ट प्रतिशत में प्राप्त हुए हों

यह प्रावधान किया जाता है कि

(i) बी० ए० प्रथम वर्ष में प्रवेशकामी व्यक्ति को कम से कम 33% अंक कुल योग के उन सभी विषयों में मिले होने चाहिये। (पूरक परीक्षा वाले विषय के प्राप्तांकों, सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रश्नपत्रों के प्राप्तांकों को मिलाकर), जिनका अध्ययन उसने +2 की परीक्षा के लिए किया हो।

(ii) बी० एस०–सी० प्रथम वर्ष में प्रवेशकामी व्यक्ति को उन सभी विषयों में कुल योग के कम से कम 40% अंक मिले होने (पूरक परीक्षा वाले विषय के तथा सैद्धांतिक और प्रायोगिक अंकों को मिल कर), जिनका अध्ययन उसने +2 की परीक्षा के लिये किया हो।

3 (डी) भारत में किसी बोर्ड/संस्था/कौंसिल/विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित +2 की परीक्षा में यदि कोई व्यक्ति पूरक परीक्षा देने के योग्य घोषित किया जाता है, तो वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के उपरांत बी० काम भाग I में प्रवेश ले सकता है :—

(i) यदि वह केवल एक विषय में पूरक परीक्षा देने के योग्य घोषित किया जाता है;

(ii) पूरक परीक्षा वाले विषय में उसे कम कम से 20% अंक अवश्य प्राप्त हुए हों, तथा

(iii) सम्बद्ध विनियम के प्रावधान के अनुरूप उसे कुल अंकों में से अभीष्ट प्रतिशत में अंक अवश्य प्राप्त किये हों।

(एस० के० शर्मा)
उप-कुल सचिव (सामान्य)

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 1–9–1995

मेरी उपस्थिति में पंजाब विश्वविद्यालय की सामान्य मोहर लगाकर इसे मोहरबन्द किया गया।

एक सितम्बर, 1995

(एस० पी० धवन)
कुल सचिव

सं० 7-95/जी० आर०—भारत की केन्द्र सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग) ने अपने पत्रांक एफ 3-2/95-यू-I, दिनांक 25-5-1995 के द्वारा निम्नलिखित विनियमों को अनुमोदित कर दिया है :—

1. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली खंड-I, 1994 के पृष्ठ 53-55 पर उल्लिखित विनियम 3 की धारा (i), जिसका संघ संकायों से है :—

3. प्रत्येक संकाय से जुड़े हुए फेलो (सदस्य) विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप अपनी संख्या ऐसे व्यक्तियों से बढ़ा सकते हैं, जो विश्व विद्यालय के भौगोलिक अधिकार-क्षेत्र में आते हों और जो निम्नलिखित रूप से योग्य हों :—

(ए) से (एफ) * * * * * *

यह प्रावधान किया जाता है कि —

(i) इस प्रकार से बढ़ाए गए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या किसी संकाय के सदस्यों की आधी संख्या से अधिक नहीं होगी तथा कोई व्यक्ति या कोई पदेन सदस्य एक से अधिक संकाय का सदस्य नहीं हो सकता। किसी संकाय का कोई भी पदेन सदस्य किसी अन्य संकाय में बढ़े हुए सदस्य (एडेड मेंबर) के रूप में चुने जाने का अधिकारी नहीं होगा ।

यदि किसी व्यक्ति के लिए एक से अधिक संकायों में चुनाव के लिए प्रस्ताव आता है और वह एक से अधिक संकायों में चुन लिया जाता है, तो वह अपनी रुचि के किसी एक संकाय की सदस्यता बनाए रखेगा और शेष संकाय/संकायों से त्यागपत्र दे देगा ।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि यदि किसी संकाय के बढ़ाए हुए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या की गणना में दशमलव आता है, तो उसे अगली पूर्ण संख्या मान लिया जाएगा, उदाहरणार्थ ग्यारह की आधी संख्या छः मानी जाएगी, न कि पांच अतिरिक्त बढ़ाए हुए सदस्य ।

2. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड-I, 1994 के पृष्ठ 130 पर उल्लिखित "इस विश्वविद्यालय के द्वारा सम्बोधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों से संबंधित, अध्याय V (डी) के विनियम का विलोपन

पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड-I, 1994 के पृष्ठ 146 पर उल्लिखित "सेवा शर्तों" से संबंधित विनियम 15.2

15.2 किसी भी कर्मचारी के द्वारा, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय स्वायत्त निकाय/राज्यीय स्वायत्त निकाय मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/अन्य मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं विश्वविद्यालयवत् मान्य संस्थाओं सहित, में की गई सेवा-अवधि को परिदान (ग्रेचुएटी) के संदर्भ में इस विश्वविद्यालय में की गई सेवा में जोड़ लिया जाएगा इसमें निम्नलिखित शर्तें हैं :—

(i) यदि वह पेंशन वाली संस्था में कार्यरत था, तो उसके द्वारा की गई सेवा को इस विश्वविद्यालय में की गई सेवा में परिदान के लिए सम्मिलित कर लिया जाएगा, भले ही वह पूर्ववर्ती सेवा में अस्थायी तौर पर या स्थायी तौर पर रहा हो। पूर्ववर्ती सेवा वाली संस्था उसे उस अवधि तक का एकमुश्त एककालिक परिदान दे देगी, जो समानुपातिक परिदान/मृत्यु परिदान/सेवा-निवृत्ति परिदान होगा, जिस अवधि तक उसने उसमें सेवा की है और उसके बाद की सेवा इस विश्वविद्यालय में सम्मिलित कर ली गई है। समानुपातिक परिदान का गणन विनियम 7.2 के अधीन रूपांतरण-तालिका के आधार पर किया जाएगा। एकवारिक देय राशि का गणन रूपांतरण के बाद समय-समय पर पंजाब सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाएगा ।

(ii) यदि वह पूर्ववर्ती सेवा में अंशदायी भविष्य निधि की सुविधाएं पा रहा था, तो उसके पास यह विकल्प रहेगा कि वह चाहे तो पूर्ववर्ती सेवा में अर्जित किए हुए अंशदायी भविष्यनिधि के उस लाभ को प्राप्त कर ले और विश्वविद्यालय में अपनी सेवा फिर से आरंभ करे, अथवा विश्वविद्यालय में अपनी सेवा के उपलक्ष्य में अर्जित होने वाले परिदान में पूर्ववर्ती सेवा को जुड़वा ले। ऐसा करते समय उसे पूर्ववर्ती सेवा के नियोक्ता के द्वारा किए गए अंशदान को ब्याज सहित छोड़ना होगा और यह अंशदान की राशि विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित होगी ।

4. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड-J, 1994 के पृष्ठ 207 तथा पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी (पेंशन) अध्याय से संबंधित विनियम 3.14.

3.14 केन्द्र सरकार /केन्द्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार/राज्यीय स्वायत्तनिकाय/मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयवत् मान्य संस्थाओं के सहित अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में किसी कर्मचारी के द्वारा की गई सेवा, विश्वविद्यालय की सेवा में उसके समाहित हो जाने के उपरांत, पेंशन के लिए इन प्रतिबंधों के साथ गिनी जाएगी :—

(i) * * * * * * * * *

(ii) * * * * * * * * *

5. पंजाब विश्वविद्यालय विनियमावली, खंड–II, 1988 के पृष्ठ 93 पर उल्लिखित बी० एस-सी० (आनर्स स्कूल) से संबंधित विनियम-11(V); जिसे 1993 के प्रवेश से प्रभावी समझा जाए :

11.(V) यदि कोई विद्यार्थी 92 या इससे अधिक मानांक (क्रेडिट) प्रारंभिक आयुर्विज्ञान के विद्यार्थियों के संदर्भ में 108 मानांक या इससे अधिक बी० एस-सी० (आनर्स स्कूल) में प्राप्त कर चुका है, तथा अन्य सभी सहायक विषय (सब्सीडियरी सबजेक्ट्स) भी उत्तीर्ण कर चुका हो, वह चाहे तो बी० एस-सी० (आनर्स स्कूल) का तीन वर्ष तक अध्ययन करने के बाद भी उसे छोड़ सकता है और बी० एस-सी० (उत्तीर्ण) उपाधि का वरण कर सकता है ।

ऐसे विद्यार्थी/विद्यार्थियों की श्रेणी का निर्धारण, आनर्स स्कूल के विनियमन के अंतर्गत, उसके द्वारा अर्जित सर्वोत्तम 92 मानांकों के आधार पर होगा। ऐसे विद्यार्थियों के प्रमाणपत्र पर आनर्स स्कूल में प्रवेश पाने और उसे छोड़ने की तिथि अंकित रहेगी ।

6. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड–JJ, 1988 के पृष्ठ 102 पर उल्लिखित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (समस्तर पद्धति) से संबंधित विनियम 2 में परिवर्धन, जो 1993 के प्रवेश से प्रभावी समझा जाए :

2. निम्नलिखित योग्यताओं में से किसी एक का भी धारक व्यक्ति इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है :

(अ) इस विश्वविद्यालय की अथवा सिंडीकेट के द्वारा मान्य किसी अन्य विश्वविद्यालय की 50% अंक लेकर प्राप्त की हुई स्नातक की उपाधि, अथवा

(आ) इस विश्वविद्यालय की या सिंडीकेट के द्वारा मान्य किसी अन्य विश्वविद्यालय की परा–स्नातक उपाधि, अथवा

(इ) विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, जो ओ० टी०/आधुनिक भारतीय भाषाओं (एम० आई० एल०) तथा केवल अंग्रेजी विषय के साथ प्राप्त की गई हों; इसके प्राप्तांकों के 50% की गणना अंग्रेजी तथा अन्य अनिवार्य विषयों को सम्मिलित कर की जाएगी ।

(ई) सिंडीकेट के द्वारा मान्यता प्रदत्त, (अ) या (आ), या (ई) के समकक्ष कोई अन्य योग्यता ।

7. पंजाब विश्वविद्यालय, खंड–II, 1988 के पृष्ठ 106 पर उल्लिखित मास्टर आफ आर्ट्स परीक्षा से संबंधित विनियम 2.1, जिसे 1994–95 के अकादमिक सत्र से प्रभावी समझा जाए :

2.1 मास्टर आफ आर्ट्स की परीक्षा निम्नलिखित विषयों में आयोजित होगी और अभ्यर्थी इनमें से किसी एक को चुनेंगे :

(i) एक भाषा, अर्थात्, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, अरबी, हिन्दी, पंजाबी, उर्दू, फ्रेंच, बंगला, तमिल

(ii) इतिहास
(iii) अर्थशास्त्र
(iv) राजनीति विज्ञान
(v) गणित
(vi) दर्शनशास्त्र
(vii) मनोविज्ञान
(viii) भूगोल
(ix) समाजशास्त्र
(x) संगीत
(xi) प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा पुरातत्व
(xii) लोक प्रशासन
(xiii) सांख्यिकी
(xiv) कला का इतिहास
(xv) ललित कलाएं
(xvi) भारतीय शास्त्रीय नृत्य
(xvii) भारतीय रंगमंच
(xviii) गांधीय शांति अध्ययन
(xix) प्रतिरक्षा तथा रणनीति अध्ययन

8. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड–II, 1988 के पृष्ठ 107–110 पर उल्लिखित मास्टर आफ आर्ट्स के प्रथम वर्ष (भाग–I) के प्रवेश से संबंधित विनियम 3.1 में परिवर्धन :—

3.1 जिस व्यक्ति ने, इस विश्वविद्यालय से, या 1948 से पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से, या किसी अन्य विश्वविद्यालय से, जिसकी उपाधि इसके समकक्ष मानी गई हो निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी एक को उत्तीर्ण कर लिया हो, एम० ए० भाग–I के पाठ्यक्रम में प्रवेश पा सकता है —

(i) से (ix) *** *** ***

यह प्रावधान किया जाता है कि

(ए) से (के) *** *** ***

*(1) एम० ए० (संस्कृत) भाग I पाठ्यक्रम के लिए जिस व्यक्ति ने शास्त्री परीक्षा को या तो त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम (10+2+3) की नई व्यवस्था के अधीन या (10+2+2 उपाधि) की पुरानी व्यवस्था के अधीन उत्तीर्ण कर लि ₹ हो।

*यह अकादमिक सत्र 1991–92 के स्थान पर 1992–93 से प्रभावी होगा।

9. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड–II, 1988 के पृष्ठ 106 तथा 115 पर उल्लिखित मास्टर आफ आर्ट्स (एम० ए०) परीक्षा से संबंधित विनियम 1.1, 2.1, तथा 9.4

1.1 मास्टर आफ आर्ट्स पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्षों की होगी तथा इसकी परीक्षा दो भागों, अर्थात् पहले वर्ष के अंत में भाग–I तथा दूसरे वर्ष के पाठ्यक्रम के अंत में भाग–II में होगी।

भाग–I तथा भाग–II की परीक्षाएं सामान्यतः अप्रैल के महीने में सिंडीकेट के द्वारा निर्धारित तिथियों में हुआ करेंगी।

उन विद्यार्थियों के लिए, जिन्हें आंतरिक परीक्षाएं देनी हों, सामान्यतः सितम्बर/अक्तूबर के महीने में सिंडीकेट द्वारा निर्धारित ऐसी तिथियों पर पूरक परीक्षाएं हुआ करेंगी, ताकि जो विद्यार्थी वार्षिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रह गए हों या उन्हें पुनः परीक्षा देने के योग्य घोषित किया गया हो, उसे उत्तीर्ण कर अपने आरंभ किए पाठ्यक्रम के साथ फिर से चल सकें। यदि वे इस पूरक परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, तो उनको वार्षिक परीक्षा में फिर से एक अवसर मिलेगा। यदि वे उपर्युक्त दोनों अवसरों में भी अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, तो उनको पिछली निचली कक्षा में रख दिया जाएगा।

वार्षिक परीक्षा में 33% से अधिक प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण रह जाने वाले विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और उसे पिछली कक्षा में ही प्रवेश दिया जाएगा।

2.1 मास्टर आफ आर्ट्स की परीक्षा निम्नलिखित विषयों में आयोजित की जाएगी और अभ्यर्थी इनमें से एक विषय को चुनेगा :

(i) भाषाएं: अर्थात् अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, अरबी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फ्रेंच, बंगला, तमिल
(ii) इतिहास
(iii) अर्थशास्त्र
(iv) राजनीति विज्ञान
(v) गणित
(vi) दर्शन
(vii) मनोविज्ञान
(viii) भूगोल
(ix) संगीत
(x) प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा पुरातत्व
(xi) लोक प्रशासन
(xii) सोशियकी
(xiii) कला का इतिहास
(xiv) ललित कलाएं
(xv) भारतीय शास्त्रीय नृत्य
(xvi) भारतीय रंगमंच
(xvii) गांधीय तथा शांति अध्ययन

9.4 यदि किसी परीक्षार्थी को शेष प्रश्नपत्रों में 45% कुल अंक प्राप्त हो जाते हैं, तो उसे एम०ए० I एम०ए० II 33% से अधिक प्रश्नपत्रों में पुनर्परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। जिस प्रश्नपत्र में वह परीक्षा दे नहीं सका हो, या अनुत्तीर्ण रह गया हो, उसमें उसे दो निरंतरित अवसर प्राप्त होंगे। आंशिक पुनर्परीक्षा में परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने होंगे।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि एम० ए० भाग–I की परीक्षा में यदि किसी परीक्षार्थी को आंशिक पुनर्परीक्षा के योग्य घोषित किया जाता है और उसे कुछ प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण होना शेष है, तो भी उसे एम० ए० भाग–II की कक्षा में इस प्रतिबंध के साथ प्रवेश के योग्य माना जाएगा कि वह उन प्रश्नपत्रों में आगामी दो निरंतरित अवसरों में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेगा ऐसा न होने पर एम०ए० भाग–II को उसका परीक्षा–परिणाम एवं उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

व्याख्या : इन विनियमों के अंतर्गत 4 या 5 प्रश्नपत्रों के 33% का अभिप्राय दो प्रश्नपत्र होंगे।

10. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड–II, 1988 के पृष्ठ 393–394 पर उल्लिखित मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग : रसायन, सिविल, वैद्युत, मैकेनिकल तथा अणुवैद्युत (संशोधित) से संबंधित विनियम 2.1 तथा 3.1, जिसे विनियम समिति सिंडीकेट/सिनेट/भारत सरकार/राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की प्रत्याशा में जनवरी 1994 से भावी समझा जाए :

रसायन, सिविल, कंप्यूटर के एकीकृत समुत्पादन (सी० आई० एस०), वैद्युत, अणुवैद्युत, तथा मैकेनिकल में मास्टर आफ इंजीनियरिंग

2.1 मास्टर आफ इंजीनियरिंग (रसायन, सिविल, सी० आई० एम०, वैद्युत, अणु वैद्युत तथा मैकेनिकल) की उपाधि के लिए परीक्षा एक वर्ष में दो समस्तरों में होगी। प्रत्येक समस्तर के लिए परीक्षा नवम्बर/दिसम्बर तथा अप्रैल/मई में या सिंडीकेट के द्वारा निर्धारित तिथियों में होगी।

3.1 मास्टर आफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में निम्नलिखित योग्यताओं वाले व्यक्ति को प्रवेश मिल सकेगा :—

(i) पंजाब विश्वविद्यालय से बेचलर आफ इंजीनियरिंग उपाधि, जिसकी उस शाखा में कम से कम 50% प्राप्तांक हों, जिस शाखा को मास्टर आफ इंजीनियरिंग के लिए चुना गया हो।

यह प्रावधान है कि एम०ई० (सी० आई० एम०) पाठ्यक्रम में वे सभी व्यक्ति प्रवेश के योग्य समझे जाएंगे, जिन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में बेचलर आफ इंजीनियरिंग उपाधि प्राप्त की हो अथवा पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा मान्य एवं 50% प्राप्तांक के साथ उसके समकक्ष की कोई योग्यता प्राप्त कर ली हो ।

11. पंजाब विश्वविद्यालय विनियमावली, खंड–II, 1988 के पृष्ठ 508 पर उल्लिखित बेचलर आफ फार्मेसी से संबंधित विनियम 9.1

9.1 प्रथम, द्वितीय तथा अंतिम परीक्षाओं के सम्मिलित प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का श्रेणी–विभाजन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :—

(अ) कुल अंकों में से 80% या इससे अधिक अंक प्राप्तकर्ता — विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी

(आ) कुल अंकों में से 60% या इससे अधिक अंकों के प्राप्तिकर्ता —प्रथम श्रेणी

(इ) कुल अंकों में से 60% से कम, किन्तु 50% या इससे अधिक अंकों के प्राप्तिकर्ता — द्वितीय श्रेणी

12. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड–II, 1988 के पृष्ठ 507 पर उल्लिखित बेचलर आफ फार्मेसी परीक्षा से संबंधित विनियम 4.5 तथा 7

4.5 प्रत्येक परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र को पृथक-पृथक रूप से उत्तीर्ण करना होगा। यदि कोई परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रह जाता है, अथवा बी० फार्म० परीक्षा के पहले, दूसरे या तीसरे वर्ष के एक या दो प्रश्नपत्रों में, जिनके अंक 200 है, परीक्षा नहीं दे पाता है ; वह स्थिति के अनुसार दूसरे/तीसरे/अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ-साथ उन अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्रों की भी परीक्षा दे सकता है, यदि वह विनियम 4.1 के प्रावधानों को पूरा करता है। उत्तरवर्ती परीक्षा का परिणाम तभी घोषित किया जाएगा, जब वह पूर्ववर्ती परीक्षा के सभी प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा ।

7. परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में 50% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे ।

13. बी०ए०/बी०एस०सी०/बी० कॉम० (सामान्य तथा आनर्स) परीक्षा से संबंधित अल्पकालिक विनियम 1.3

1.3 यदि कोई व्यक्ति इस विश्वविद्यालय की बी०ए०/बी० एस–सी०/बी० कॉम० भाग–2 (प्राचीन प्रणाली) की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है अथवा बी० ए०/बी०एस–सी०/बी० कॉम, भाग–3 (प्राचीन प्रणाली में अनुत्तीर्ण रह गया हो उसे बी० ए०/बी० एस सी०/बी० कॉम०, भाग–2 में, स्थिति के अनुसार प्रवेश पाने की अनुमति होगी, यदि वह अन्य प्रकार से सर्वथा प्रवेश के योग्य होगा, लेकिन उसे बी०ए०/बी० एस–सी०/बी० कॉम० भाग–1 (नई पद्धति) के उन प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण करना होगा, जो उसने उत्तीर्ण नहीं किए होंगे। इसके लिए उसे विश्वविद्यालय के नियमानुसार/विनियम के अनुसार निर्धारित अवसर ही मिलेंगे, नहीं तो उसका बी० ए०/बी०एस-सी०/बी० कॉम० द्वितीय वर्ष (10+2+3) (नई प्रणाली) में प्रवेश को निरस्त कर दिया जाएगा ।

14. बी० ए०/बी० एस–सी० (सामान्य तथा आनर्स) से संबंधित अल्पकालिक विनियम में परिवर्धन

यदि किसी व्यक्ति ने बी० ए०/बी० एस०-सी० प्रथम वर्ष तथा या द्वितीय वर्ष की परीक्षा, संबद्ध विश्वविद्यालय के द्वारा भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय में उत्तीर्ण की है, तो उसे विशेष रूप से अधिकृत किए जाने पर इस विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय विभाग/सांध्य अध्ययन विभाग/पत्राचार अध्ययन विभाग में उस पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेशजनित होने की अनुमति होगी, लेकिन, उसे उन विषयों की परीक्षा, विनियम के अनुसार, अनुमति प्राप्त अवसरों में उत्तीर्ण करनी होगी, जिनको उसने उत्तीर्ण नहीं किया था। उसका परीक्षा-परिणाम इस विश्वविद्यालय में पढ़े गए तथा उत्तीर्ण विषयों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर तय होगा अर्थात् इसके द्वारा महाविद्यालय में परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों तथा इस विश्वविद्यालय में अब उत्तीर्ण किए गए पूर्वतया अनधीत विषयों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर उस परीक्षा का परिणाम निर्धारित होगा ।

15. बी० कॉम० (सामान्य तथा आनर्स) परीक्षा से संबंधित अंशकालिक विनियम में परिवर्धन

1.3 यदि किसी व्यक्ति ने बी० कॉम० पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष तथा या द्वितीय वर्ष की परीक्षा भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय से उत्तीर्ण की है, तो उसे विशेष रूप से अधिकृत किए जाने पर इस विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालयीय विभाग/सांध्य अध्ययन विभाग/पत्राचार अध्ययन विभाग में उस पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेशजनित होने की अनुमति होगी, लेकिन उसे उन विषयों की परीक्षा विनियम के अनुसार अनुमति-प्राप्त अवसरों में उत्तीर्ण करनी होगी, जिनको उसने वहां उत्तीर्ण नहीं किया था। उसका परीक्षा-परिणाम इस विश्वविद्यालय में पढ़े गए तथा उत्तीर्ण किए गए विषयों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर तय होगा अर्थात् उसके द्वारा महाविद्यालय में परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों तथा इस विश्वविद्यालय में अब उत्तीर्ण किए गए पूर्वतया अनधीत विषयों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर उस परीक्षा का परिणाम निर्धारित होगा ।

16. बी० एस०-सी० (आनर्स स्कूल) से संबंधित विनियम 9.2 तथा 11 तथा विनियम 6, 7, 8.1, 8.3 में संशोधन तथा एम० एस-सी० (आनर्स स्कूल) (वार्षिक पद्धति) से संबंधित विनियम 8.4 तथा 8.5 ; जिनको विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों, भारत सरकार तथा राजपत्र में भारत सरकार द्वारा इसके प्रकाशन की प्रत्याशा में 1992–93 के प्रवेश से प्रभावी समझा जाए ।

9.2 परीक्षा की रूपरेखा निम्नलिखित होगी :

प्रथम वर्ष आनर्स स्कूल		मानांक (क्रेडिट्स)
मुख्य विषय	400 अंक	16
गौण विषय अंग्रेजी	400 अंक	16
प्राथमिक आयुर्विज्ञान के लिए अतिरिक्त गौण विषय	200 अंक	8
द्वितीय वर्ष आनर्स स्कूल		मानांक (क्रेडिट्स)
मुख्य विषय	600 अंक	24
गौण विषय प्राथमिक आयुर्विज्ञान	400 अंक	16
के लिए अतिरिक्त विषय	200 अंक	8
पंजाबी केवल योग्यतामूलक) इसके अंक श्रेणी–निर्धारण में जोड़े नहीं जाएंगे)	50 अंक	2
तृतीय वर्ष आनर्स स्कूल		मानांक
मुख्य विषय (बी०एससी० आनर्स स्कूल के कुल अंक)	1000 अंक	40
प्रारंभिक आयुर्विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों के लिए	3000 अंक	120
प्रारंभिक आयुर्विज्ञान के लिए	3400	136

सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रश्नपत्रों की संख्या के साथ-साथ सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रश्नपत्रों में अंकों का वितरण पाठ्यचर्या–विवरणिका (सिलेबस) में दिया रहेगा ।

टिप्पणी : एक मानांक (क्रेडिट) 25 अंकों का माना जाएगा ।

11. निम्नलिखित प्रतिबंधों को पूरा करने पर किसी भी विद्यार्थी को निरन्तर वार्षिक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकेगा :

(i) पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिए किसी भी विद्यार्थी से अपेक्षित है कि वह सैद्धांतिक और प्रायोगिक सभी प्रश्नपत्रों (मुख्य, गौरण, अंग्रेजी, तथा पंजाबी) में 40% अंक प्राप्त करें ।

(ii) अकादमिक सत्र की समाप्ति पर किसी भी विषय की वार्षिक परीक्षा में 75% अंक/मानांक प्रत्येक प्रश्नपत्र के होंगे । इस वार्षिक परीक्षा के अतिरिक्त एक गृह परीक्षा प्रायः दिसम्बर के महीने में हुआ करेगी, जिसका प्रत्येक प्रश्नपत्र 25% अंक/मानांक का होगा । किसी भी विद्यार्थी का अंतिम परीक्षा का परिणाम वार्षिक परीक्षा व गृह परीक्षा के प्राप्तांकों के योग से बनेगा ।

(iii) (अ) यदि कोई व्यक्ति बी० एससी० (आनर्स स्कूल) के प्रथम वर्ष की परीक्षा देता है किन्तु प्राथमिक आयुर्विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों में न्यूनतम 24 मानांक प्राप्त करता है (प्राथमिक आयुर्विज्ञान में कम से कम 28 मानांक), तो उसे उन प्रश्नपत्रों में पुनः परीक्षा देने की अनुमति होगी, जिनमें वह अनुत्तीर्ण रह गया है, और उसे बी० एससी० (आनर्स स्कूल) के द्वितीय वर्ष में आगे बढ़ा दिया जाएगा ।

(आ) किसी विद्यार्थी को बी० एससी० (आनर्स स्कूल) के तीसरे वर्ष में तभी प्रवेश दिया जाएगा, यदि उसने पहले दो वर्षों में कम से कम 56 मानांक अर्जित कर लिए हों अर्थात् प्राथमिक आयुर्विज्ञान–अतिरिक्त विषयों के लिए पहले और दूसरे वर्ष को संयुक्त करके (प्राथमिक आयुर्विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए 64 मानांक)

(इ) जिन प्रश्नपत्रों में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रह गए हैं, उनको उत्तीर्ण करने के लिए सितम्बर/अक्टूबर के महीने में या विश्वविद्यालय के द्वारा नियत तिथियों में एक पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी । इसके अतिरिक्त, विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में वे नियमित विद्यार्थियों के निमित्त होने वाले प्रश्नपत्रों को भी दे सकते हैं ।

(ई) यदि किसी विद्यार्थी को बी०एससी० (आनर्स स्कूल) के प्रथम वर्ष की परीक्षा में प्राथमिक आयुर्विज्ञान के अतिरिक्त विषयों में 24 मानांक प्राप्त नहीं होते हैं (प्राथमिक आयुर्विज्ञान के संदर्भ में 28 मानांक) तथा बी० एससी० (आनर्स स्कूल) के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं को संयुक्त रूप से प्राथमिक आयुर्विज्ञान के अतिरिक्त विषयों में 56% मानांक से कम (प्राथमिक आयुर्विज्ञान के संदर्भ में 64 मानांक) प्राप्त होते हैं, तो उसे क्रमशः बी०एससी० आनर्स स्कूल के प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा फिर भी ऐसा व्यक्ति अनुत्तीर्ण विद्यार्थी के रूप में स्थिति के अनुसार बी० एससी० (आनर्स स्कूल) के पहले या दूसरे वर्ष में प्रवेश ले सकता है ।

(iv) उपर्युक्त प्रतिबंधों के होने पर भी, किसी भी विद्यार्थी को पूरे बी० एस सी० (आनर्स स्कूल) में 5 वर्ष की अवधि से अधिक समय तक रहने नहीं दिया जाएगा। उसको 5 वर्ष के अन्दर ही सभी पुनर्परीक्षा के प्रश्नपत्र उत्तीर्ण करने होंगे तथा वांछित संख्या में मानांक अर्जित करने जो बी०एस सी० (आनर्स स्कूल) की उपाधि मिलने के लिए अनिवार्य है—अर्थात् प्राथमिक आयुर्विज्ञान के अतिरिक्त विषयों के लिए 120 मानांक तथा प्राथमिक आयुर्विज्ञान के लिए 136 मानांक अर्जित करने होंगे । ऐसा न कर पाने पर उस विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और उसे बी० एस सी० (आनर्स स्कूल) को छोड़ना पड़ेगा ।

(v) श्रेणी के लिए कुल प्राप्तांकों के निर्धारण के लिए तीनों वर्षों में हुई सभी परीक्षाओं के सभी विषयों—मुख्य, गौण तथा अंग्रेजी को, पंजाबी (योग्यता मूलक) को छोड़कर, को आधार बनाया जाएगा।

(vi) सभी विद्यार्थियों से अपेक्षित है कि वे सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रश्नपत्रों को अलग-अलग उत्तीर्ण करें और विद्यार्थी प्रत्येक प्रश्नपत्र में अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करें।

(vii) यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाता है, अथवा अपने प्राप्तांकों के प्रतिशत को बढ़ाना चाहता है, उसे केवल वार्षिक परीक्षा में ही पुनः परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी ।

6. एम० एससी० (आनर्स स्कूल) की परीक्षा प्रत्येक विषय के नियंत्रक मंडल के द्वारा निर्धारित सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों, प्रयोगिक प्रश्नपत्रों, क्षेत्रीय कार्य (फील्ड वर्क) या परियोजना रिपोर्ट के आधार पर होगी। सैद्धांतिक और प्रयोगिक प्रश्नपत्रों की संख्या तथा उनमें क्षेत्रीय कार्य तथा परियोजना रिपोर्ट में अंकों का वितरण पाठ्यचर्या-विवरणिका (सिलैबस) में दिया रहेगा ।

कुल अंक/मानांक अधोलिखित रूप में रहेंगे :

एम० एससी० (आनर्स प्रणाली) भाग—I—1000 अंक
40 मानांक

एम० एससी० (आनर्स प्रणाली) भाग—II—1000 अंक
40 मानांक

7. प्रत्येक विषय का प्रत्येक प्रश्न पत्र प्रत्येक अकादमिक सत्र के अंत में 75% अंकों/मानांकों का होगा । वार्षिक परीक्षा के अतिरिक्त सामान्यतः दिसम्बर के महीने में एक गृह परीक्षा हुआ करेगी जिसका प्रत्येक प्रश्नपत्र 25% अंकों/मानांकों का होगा । किसी भी विद्यार्थी का अंतिम परीक्षा परिणाम वार्षिक परीक्षा और गृह परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र के प्राप्तांकों/मानकों को संयुक्त करने के उपरांत निर्धारित होगा ।

प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए नियत किए गए 75% तथा 25% अंक/ मानांक समीपस्थ 5 के गुणक में परिवर्तित हो जाएंगे या उनके समकक्ष मानांक में बदल दिए जाएंगे ।

8.1 यदि कोई विद्यार्थी एम० एससी० (आनर्स स्कूल) की भाग—I की वार्षिक परीक्षा देता है, लेकिन कम से कम 24 मानांक प्राप्त कर लेता है, तो उसे उन प्रश्नपत्रों में एक बार पुनः परीक्षा देने का अवसर मिलेगा जिनमें वह अनुत्तीर्ण रह गया है, और उसे एम० एससी० (आनर्स स्कूल) के भाग 2 की कक्षा में आगे भेज दिया जायेगा ।

8.2 यदि कोई व्यक्ति एम० एससी० (आनर्स स्कूल) के भाग—I की वार्षिक परीक्षा में 24 मानांक प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा और वह पुनः उसी कक्षा में प्रवेश ले सकता है ।

विलोपित

8.3 जिन प्रश्नपत्रों में कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रह गया है, उन प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण करने के लिए सितम्बर/अक्टूबर के महीने में या विश्वविद्यालय द्वारा नियत की गई तिथियों पर एक पूरक परीक्षा आयोजित हुआ करेगी । इसके अतिरिक्त नियमित विद्यार्थियों के लिए होने वाली वार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों में भी वह परीक्षा दे सकता है ।

इन उपर्युक्त प्रावधानों के होने पर भी, किसी भी विद्यार्थी को एम० एससी० (आनर्स स्कूल) पाठ्यक्रम में 5 वर्ष से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं होगी । इस मध्य उसे सभी अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्रों की परीक्षा पुनः देकर उनको उत्तीर्ण करना होगा और एम० एससी० (आनर्स स्कूल) की उपाधि प्राप्त करने के लिए अभीष्ट संख्या में मानांक प्राप्त करने होंगे । ऐसा न कर पाने पर उस विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और उसे एम० एससी० (आनर्स स्कूल) छोड़ना होगा ।

8.4 विद्यार्थियों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रश्नपत्रों को अलग-अलग उत्तीर्ण करना होगा तथा प्रत्येक प्रश्नपत्र में निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने होंगे ।

8.5 जो विद्यार्थी किसी भी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाते हैं अथवा अपने पूर्ववर्ती प्राप्तांकों के प्रतिशत को बढ़ाना चाहते हैं, उनको वार्षिक परीक्षा में ही पुनः परीक्षा देने की अनुमति होगी ।

17. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड-II के पृष्ठ 107-108 पर उल्लिखित विनियम 3.1 (IV) के श्लोक में, पृ० 111 पर उल्लिखित मास्टर आफ आर्ट्स परीक्षा से संबंधित विनियम 3.3 का विलोपन ।

3.3 "यदि किसी विद्यार्थी ने पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित संस्कृत में आनर्स परीक्षा (शास्त्री)/फारसी में आनर्स परीक्षा (मुंशी फाजिल) अरबी में आनर्स परीक्षा

(मौलवी फाजिल)/हिन्दी में आनर्स परीक्षा (प्रभाकर)/पंजाबी में आनर्स परीक्षा (गिआनी)/ तथा उर्दू में आनर्स परीक्षा (अदीब फाजिल) अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय की इसकी समकक्ष तथा पंजाब विश्वविद्यालय से मान्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तो उसे एम० ए० संस्कृति/ फारसी/अरबी/ हिन्दी/पंजाबी या उर्दू की स्थिति के अनुसार, परीक्षा देने की अनुमति होगी, यदि वह बी०ए० भाग II तथा बी० ए० भाग III की अंग्रेजी विषय में, परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है।"

3.1 "यदि किसी विद्यार्थी ने, इस विश्वविद्यालय की, या 1948 ई० से पूर्व पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर की परीक्षा या किसी अन्य विश्वविद्यालय की संदर्भित परीक्षा, जिसे इस विश्वविद्यालय ने संदर्भित परीक्षा, जिसे इस विश्वविद्यालय ने संदर्भि परीक्षा के समकक्ष मान लिया हो, को उत्तीर्ण कर लिया हो, तो उसे एम० ए० के प्रथम वर्ष (भाग–I) की कक्षा में प्रवेश की अनुमति होगी :—

(i) से (iii) ××× ××× ×××

(iv) किसी प्राचीन शास्त्रीय भाषा या किसी आधुनिक भारतीय भाषा में 45% प्राप्तांकों के साथ बी० ए० की उपाधि प्राप्त की हो, (कुल योग में से, अतिरिक्त विषय को छोड़कर) आनर्स में प्राचीन भाषाओं में, या आधुनिक भारतीय भाषाओं में, उसमें जो परा–स्नातक कक्षा का विषय हो।

(V) से (IX) *** *** *** ***

19. पंजाब विश्वविद्यालय विनियमावली, खंड–II, 1988 के क्रमशः पृष्ठ 431–432 तथा 440–441 पर उल्लिखित एम० डी०/एम० एस० परीक्षाओं से संबंधि त विनियम 6.1 तथा 6.3 जिसे 1993 ई० के प्रवेश से प्रभावी माना जाए

6.1 अभ्यर्थी को अपने शोध प्रबंध के विषय के अनुमोदन के लिए अपने पंजीकरण की तिथि से नौ महीने के अंदर कुल सचिव को आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदनों पर अभ्युविज्ञान-संकाय एक वर्ष में चार बार–मार्च, जुलाई अक्टूबर तथा दिसम्बर के महीनों में विचार करेगा।

6.2 शोध प्रबंध इस विनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगा और उसे परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम तीन मास पूर्व परीक्षार्थ जमा कराना होगा और अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने से पूर्व उसका स्वीकृत किया जाना अभिवार्य होगा। शोधप्रबंध के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किये जाने वाले वाह्य परीक्षा की स्वीकृति पर्याप्त समय पूर्व ली जानी होगी, जिससे मूल्यांकन में विलंब न हो।

चण्डीगढ़–160014 एस० के० शर्मा

दिनांक: 1–9–1995 उप-कुलसचिव (सामान्य)

आज मेरी उपस्थिति में पंजाब विश्वविद्यालय की सामान्य मोहर से इसे मोहरबंद किया गया।

1 सितम्बर 1995

एस० पी० धवन
कुल सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 9th October 1995

No. DBOD BC. 118/12-02-001/95-96.—In xercise of the powers conferred by sub-section(2A) of Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949), and in supersession of its Notification DBOD No. Leg. BC. 37C. 233A-85 **dated 29th March 1985, the Reserve Bank of India hereby** sp cifi s that on and from 14th October 1995, for the purpose of Section 24 of the said Act, unencumbered approved securities (hereinafter referred to as 'securities'), shall be valued in the manner following, namely :

(a) securities held on 31st March 1995, so long as they are held continously and are still in the bank's portfolio shall be valued by adoping the same system of valuation as for the balance sheet as that date. The valuation shall remain unchanged throughout the financial year immediately following. Further, securities acquired fom April 1, 1995 onwards upto March 31, 1996 shall be valued at face value or cost price, as on the date of acquisition, whichever is lower. These securities shall be shown at the same value till these securities remain in the portfolio of the bank or till March 31, 1996 whichever is earlier.

(b) securities held on 31st March every year thereafter so long as these are held continously and are still in the bank's portfolio shall be valued by adopting the same system of valuation as for the balance sheet as on that date. The valuation shall remain unchanged throughout the financial year immediately following. However, the securities acquired during the ensuing financial year shall be valued at face value or cost price, as on the date of acquisition, whichever is lower. These securities shall be shown at the same value till these securities remain in the portfolio of the bank or till the end of financial year, whichever is earlier.

B. K. PAL,
Executive Director

STATE BANK OF INDIA
CENRAL OFFICE

Bombay, the 7th October 1995

NOTICE

In terms of Section 29(1) of the State Bank of India **(Subsidiary Banks) Act, 1959 the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of the State Bank of Patiala** and with the approval of the Resere Bvank of India, have appointed Shri R. R. Khandewal as Managing Director of

State Bank of Patiala for a further period of 2 years from 4th October 1995 to 3rd October 1997 (both days inclusive).

P. G. KAKODKAR,
Chairman

INDIAN OVERSEAS BANK

PERSONNEL ADMINISTRATION DEPARTMENT CENTRAL OFFICE

Madras-600 002, the 21st July 1995

No. PAD/177.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Indian Overseas Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Indian Overseas Bank Officers' Service Regulations, 1979.

2. Short title and commencement.

1. These Regulations may be called the Indian overseas Bank Officers' Service (Amendment) Regulations, 1995.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In Indian Overseas Bank Officers' Service Regulations, 1979, the following Regulation has been amended :

Regulation 49(2) be substituted by the following : During the joining time, an Officers shall be eligible to draw the emoluments as applicable to the place of transfer.

K. VASUDEVA BHATT,
Deputy General Manager
Personnel Administration Department

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 9th October 1995

No. N/15-13/3/94-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-9-95 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Bihar Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1951 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Bihar namely :—

Sl. No.	Name of the Revenue Village	Revenue Thana No.	District
1.	Mithanpur Lalla . .	410	Muzaffarpur
2.	Kanhauli Bisundatt .	411	Muzaffarpur
3.	Harkul Lahuri . .	480	Muzaffarpur
4.	Kohlua Payagamberpur .	482	Muzaffarpur
5.	Athardah Salehpur Budhan	342	Nuzaffarpur
6.	Bela Chapra . .	281	Muzaffarpur
7.	Kanhauli Agaekbe .	412	Muzaffarpur
8.	Chapra Lodi . .	352	Muzaffarpur

S. N. TIWARI,
Director (P & D).

No. N-15/13/3/2/92-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employee' State Insurance (General) Regulations, 1950 the Director General has fixed the 16-9-95 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Bihar Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1951 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Bihar namely :—

Sl. No.	Name of Revenue Village	No. of revenue thana	District
1	2	3	4
	DEOGHAR		
1.	Maheshwara . .	250	Deoghar
2.	Nandan Pahar . .	252	Deoghar
3.	Barmasiya .	254	Deoghar
4.	Madhusudan Chhorat	255	Deoghar
5.	Madarichak . .	256	Deoghar
6.	Bela Bagicha . .	257	Deoghar
7.	Hirna . .	269	Deoghar
8.	Surtilona . .	270	Deoghar
9.	Basmata . .	276	Deoghar
10.	Kalyanpur . .	398	Deoghar
11.	Purandaha . .	399	Deoghar
12.	Bariar Bochi . .	400	Deoghar
13.	Toradih . .	401	Deoghar
14.	Kharadat . .	402	Deoghar
15.	Kunda . .	409	Deoghar
16.	Nilkanthpur . .	415	Deoghar
17.	Shaharzor . .	416	Deoghar
18.	Jatahi . .	418	Deoghar
19.	Karhanibad . .	584	Deoghar
	JASIDIH		
20.	Jasidih Bazar Mauja .	119	Deoghar
21.	Basuadih Mauja .	198	Deoghar
22.	Baghmara . .	199	Deoghar
23.	Ramchandrapur . .	202	Deoghar
24.	Semariya . .	203	Deoghar
25.	Khwasdih . .	263	Deoghar
26.	Raidih . .	122	Deoghar
27.	Narainpur . .	262	Deoghar
28.	Phootabandh . .	27	Deoghar
29.	Gangati . .	209	Deoghar
30.	Chhota Manikpur .	116	Deoghar
31.	Badaladih . .	117	Deoghar
32.	Tawaghat . .	208	Deoghar

S. N. TIWARI,
Director (P & D).

The 10th October 1995

No. N-15/13/3/4/94-P & D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 the Director General has fixed the 16-9-95 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Bihar Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1951, shall be extended of the families of

insured persons in the following area in the State of Bihar namely :—

Sl. No.	Name of the Revenue Village	Revenue Thana No.	District
1.	Mirchai . . .	328	Katihar
2.	Daharia . . .	98	Katihar
3.	Durgapur . . .	104	Katihar
4.	Bogana . . .	83	Katihar
5.	Tiarpara . . .	82	Katihar
6.	Saifgunj . . .	103	Katihar
7.	Begana . . .	102	Katihar
8.	Dalan . . .	77	Katihar
9.	Madhura . . .	162	Katihar
10.	Majhell . . .	79	Katihar

S. N. TIWARI,
Director (P & D).

The 11th October 1995

No. N-15/13/2/1/94-P & D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-9-95 as the date from which the mical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Bihar Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1951 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Bihar namely :—

Sl. No.	Name of Revenue Village	Revenue Thana No.	District
1.	Maharpur . . .	97	Bihar Sharif
2.	Sipah	95	Bihar Sharif
3.	Hujurpur . . .	98	Bihar Sharif
4.	Rampur Bagnabad .	110	Bihar Sharif
5.	Chak Hajain . . .	126	Bihar Sharif
6.	Devi Sarai . .	127	Bihar Sharif
7.	Salempur . . .	133	Bihar Sharif
8.	Sohdih . . .	140	Bihar Sharif
9.	Babarbanna . .	141	Bihar Sharif

S. N. TIWARI,
Director (P & D).

EMPLOYEES, PROVIDENT FUND ORGANISATION
(CENTRAL OFFICE)
New Delhi-110015, the 5th October, 1995

No. CPFC. 1 (4) TN (1148) / 95/2044.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employees and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1.	TN/MS/31657	M/s Ram Kashyap Investment Ltd., 53, Bishap Garden Off Greenways Road, Madras-28	1-1-95
2.	TN/MS/31659	M/s. Sherif Services (P) Ltd., No. 14, Rajaratham Street, Kilpank, Madras-600010	1-10-94
3.	TN/31662	M/s. K. Steamship Agencies (P) Ltd., No. 4, Second Line Beach, Madras-600001	1-11-94
4.	TN/MS/31561	M/s. Sri Mahaganapathi Vilas, No. 8, C.N.A. Road, Bus Stand, Vaniyambadi, N.A.A. District.	1-11-94
5.	TN/MS/31562	M/s. Kodappanvickanpatti Milk Producers Coop. Society Ltd., Kodappanevickanpatti Village Nanianer Post, Tirupattur T.K. N.A.A. Dt.	1-5-94
6.	TN/MS/31588	M/s. M.M.C. Enterprises, 23, Gandhi Nagar, Alwarthurh Nagar, Madras-87	1-9-94
7.	TN/MS/31652	M/s. Hotel Nagarjuna, 38 Pody, Bayar, T. Nagar, Madras-17	1-1-95
8.	TN/MS/31598	M/s. Jai Udyrambics (P) Ltd., No. C, 191C, Guindy Industrial Estate, Madras-32	1-10-94
9.	TN/MS/31591	M/s. New Modern Cafe No. 2 Taluk Office Road, Little Mount, Sonidpet, Madras-600015	1-9-94
10.	TN/MS/31595	M/s. Namberai Milk Producers Cioop. Society Ltd., Nanbert Port, (Via) Arcot N.A.A. Distt.	1-6-94

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, H.W.T. SYIEM, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

H.W.T. SYIEM,
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC 1 (4) TN (1151)/ 95/ 2057——Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :——

Sl. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1.	TN/31650	M/s. S.V. Enterprises, 53, Ground Floor, IV Avenue, Ashok Nagar, Madras-83	1-9-94
2.	TN/31661	M/s. Raja Garments & Textile Exports 239, Mait Street, Madras-3	1-10-94
3.	TN/29741	M/s. Sri Shanmuga Bhawan Aranmanai Vasai Sivaganga-623560 P.T.T. Dt.	1-12-94
4.	TN/29740	M/s. Q. 954 Sambakulam PA CB, Sambakulam (P.O.) Mudukulathur (T.K.) Ramnad Dt.	1-3-94
5.	TN/29739	M/s. R.S. 833 PMT District Medical Public Health & Family Welfare Department Staff Co-operation, T&C Society Ltd.	1-12-94
6.	TN/29725	M/s. Q. 915 Mudukulathne PA CB, Mudukulathne (P.O.) Mudukulathur (T.K.) Ramned Dt.	1-3-94
7.	PC/573	M/s. J.K. Lathers No. 9, Vasantha Nagar, Villianur-605110	1-11-94
8.	PC/572	M/s. Ex-Servicement Security & Detective Bureau, No. 12, Villianur Road, Reddiyarpalyam, Pondichery-605010	1-7-94
9.	PC/571	M/s. S.N.R. Lather Works, C-9 & 17, Pipdic, Industrial Estate, Mettuparlayam, Pondichery-09	1-11-94
10.	TN/24590	M/s. Q. 277 Munaiuentry Primary Agricultural Co-op Bank, Munaiventry, P. O. Emeneswaram Via, P.T.T. District.	1-8-91

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, H.W.T. SYIEM, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name each of the said establishments.

H.W.T. SYIEM,
Central Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1 (4) TN (1157)/ 95/2070——Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds & Misscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1.	TN/29105	M/s. Q. 1266 Pottagavapal Primary Agricultural Co-operative Bank, Paramakudi Taluk, Ramnad Distt.	1-3-93
2.	TN/29103	M/s. A. 1513 Sivagamai Cooperative Stores Ltd 24, North Raja Street, Sivaganai-623560	1-1-93
3.	TN/29769	M/s. M.D. (Spl.) 21, Gudalpur Co-operative Stores Ltd., Gudalur-626518, Madurai Distt.	1-2-95
4.	TN/29052	M/s. N.N. 570 Keeln Kandan Primary Agricultural Co-op. Bank, Sivagangoi Taluk	1-12-92
5.	TN/29110	M/s. N.N. 565 Thiruvetriyoor Primary Agricultural Co-op Bank, Thiruvetriyoor Post, Thiruvadanai Taluk, Ramnad Distt.-623407	1-3-93
6.	TN/29053	M/s. R.S. 766 Manamadusai Pancharyat Union Employees, and Teachers Co-operative Thrift Sangh Ltd., Manamadurai-623606	1-1-93
7.	TN/31680	M/s. Imperial Sweets (Bakery & Cocoa Drinks) 1 b, C.N.A. Road, Bus Stand Vaniyambadi, N.A.A. Distt.	1-1-95
8.	TN/31670	M/s. Prima's Backery, 3, Annamalai Maisrty Street, Ammankarai, Madras-600029	1-8-94
9.	TN/31369	M/s. Gradoe India Private Ltd., Block I, II & VI Modular SDF Building ; Phase-II, MEPZ, Tambasam, Madras-45	1-1-95
10.	TN/31690	M/s. Allied Health Care India Private Ltd., 3, Arumugam Street, Mount Road, Madras-2	1-12-94

Now, therefore, in excercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, H.W.T. SYIEM, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

H.W.T. SYIEM,
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC 1(4) TN(1169)/95/2033—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 9952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of coverage
1.	TN/29778	M/s. Chellam Lathi Works, 445, Sivakasi, Virudhunagar Road, Thiruthangal-626130	1-2-95
2.	TN/29771	M/s. Sri Meenaktsi Compower Agency, 2-B/19, Workshop Road, Madurai-625001	1-12-94
3.	TN/32085	M/s T.N.D.-207 Pandiamkuppam Milk Producess Co-op. Society Limited Chinasalem, Pandian Kuppam-606201 V.R.P. Distt., Tamil Nadu.	1-4-93
4.	TN/32093	M/s Nainar Palayam Milk Producess Co-op. Society Ltd., Nainarpalayam Post-606301, Kallakurchi Taluk, Tamil Nadu.	1-4-93
5.	TN/31647	M/s Uibsation Engineers & Consultants (P) Ltd., 3-D, IIIrd Floor, JVL Towers, 117, Nelson Manickam Road, Aminjikarai, Madras-39	1-10-94
6.	TN/31762	M/s Sea Hydropower (India) (P) Ltd., D-18, Industrial Estate, Ambattur, Madras-600058	1-1-95
7.	TN/32089	M/s Thagarai Milk Producess Co-op. Society Ltd., Pandiankuppam Post-606201 Kallakurichi (T.K.) U.R.P. Distt. Tamil Nadu	1-4-93
8.	TN/31716	M/s S.L.K. Contract Services, Cargo, Complex, I.A.A.I. Meenambakkam, Madras-600027	1-1-95
9.	TN/31717	M/s. Tim. Security Services, No. 221, Velachery Road, Selaiyur, Madras-600073	1-1-95
10.	TN/31771	M/s. Usha Sales Corporation, 9, Lynwood Lane (Near Post Office) Mahalingapuram Madras-600034.	1-5-94

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, H.W.T. SYIEM, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

H.W.T. SYIEM
Central Provident Fund Commissioner

The 10th October, 1995

No. CPFC. 1(4) KN(976)/94/2096—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952(19 of 9952), should be made applicable to their respective establishment namely;—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	KN/16529	M/s. Betz Chemicals (India) Pvt. Ltd., 47/D, Bommasandra Industrial Area, Bommasandra, Bangalore-562158.	1-2-94
2.	KN/16758	M/s. Prestige Fashions, 119, 5th Avenue, 183, Brigade Road, Bangalore.	1-1-94
3.	KN/12706	M/s. Sanoor Industries, Bondel, Bangalore-575008.	30-9-91
4.	KN/16169	M/s. Atlanta Pumps (P) Ltd., No. 487, D1 & D2, IV Phase, Peenya Industrial Estate, Bangalore-560058.	1-11-88

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, H.W.T. SYIEM Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

H.W.T. SYIEM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC. 1(4) GJ(977)/94/2103—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952(19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	GJ/24457	M/s. Gujarat Today Managed by Lok Hit Prakashan Sarvajanik Trust, 33/1, Opp. Shalimar Cinema, Shahalam, Ahmedabad-380028.	1-4-94
2.	GJ/24363	M/s. Bageshree Kudasan, Near Koba Sarkhej Gandhinagar Road, Ahmedabad-380028.	1-4-93
3.	GJ/24054	M/s. Sangir Plastics Pvt. Ltd., A-2213, 3rd Phase, G.I.D.C. Vapi.	1-4-92
4.	GJ/19758	M/s. Modern Hydraulics, C-1-B, 264/2, G.I.D.C. Umbergaon.	1-7-91

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, H.W.T. SYIEM, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

H.W.T. SYIEM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC. 1(4) DL(1053)/94/2110—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	DL/16116	M/s. Sirohi Detective & Security Agency Pvt. Ltd., S-508, School Block-2, Shakarpur Delhi-12.	1-7-1994
2.	DL/15746	M/s. Smart Security & House Keeping Service, WZ-474, Basai Darapur, New Delhi.	1-9-1992
3.	DL/16095	M/s. A.R. Credit Information Services Pvt. Ltd., 103, Elite House, 36, Kailash Colony Ext. Community Centre, New Delhi.	1-4-1994
4.	DL/16204	M/s. Rajasthan Agencies Pvt. Ltd., 4741/23, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi.	1-4-1994
5.	DL/16275	M/s. Raaj Khosla & Co. Ltd., Ist Floor, Krishna Shopping Plaza, 19 Ashoka Road, New Delhi.	1-10-1994
6.	DL/16282	M/s. Skyline Builders (India) A-40, Vikaspuri, New Delhi-18.	5-2-1994
7.	DL/16289	M/s. Shakun Enterprises, 7, Sethi Bhavan, Rajendra Place, New Delhi-8.	1-4-1994
8.	DL/16293	M/s. Clows Apparels, IX-2265, Gali No. 10, Kailash Nagar Delhi-31. (including branches).	1-10-1994
9.	DL/16339	M/s. Daljeet Engineering Works, 308/1, Shahzada Bagh Rohtak Road, Delhi-35.	1-10-1994

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, H.W.T. SYIEM Central Provident Fund Commissioner, hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

H.W.T. SYIEM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC. 1(4) KN (1100)/95/2122 .Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name and address of the estt.	Date of Coverage
1.	KN/15827	M/s. K. Narayanappa . . . . . Contractor, No. 35, Ist Main Road, Bovipalya, Mahalaxmi Layout, Bangalore-86.	28-2-1993
2.	KN/15953	M/s. Southern Metalizers, ... No. 13/29, Mariyappanappalya Near Ullas Theatre, Yeshwanthpur, Bangalore-22.	1-3-1993
3.	KN/16238	M/s. Damu Labour Contractor, ... No. 35/B, New Quarters, 2Sc. Yeshwanthpur, Bangalore-12.	31-8-1993
4.	KN/18041	M/s. Residency Business Service Pvt. Ltd., ... No. 366, 100 Feet Road, Indiranagar, Bangalore-8 (including branches).	1-4-1994
5.	KN/18040	M/s Karnataka Malladi Biotics Ltd., ... No. 539, Chinmaya Mission Hospital Road, Indiranagar Bangalore-38.	1-4-1993
6.	KN/15523	M/s. Shanthi Enterprises, ... No. 21 (35), 6th Main K.N. Extension, Yeshwanthpur Bangalore-22.	1-3-1993
7.	KN/15546	M/s. Karnataka Kleaning Corporation . . . . . No. 805/2, 6th Cross, L.N. Colony Yeshwanthpur, Bangalore-22.	1-3-1993
8.	KN/15826	M/s. Suvarna Industries, ... No. 13/17, Maxiyappannapalya Opp. Ullas Theatre, Yeshwanthpur Bangalore-22.	1-3-1993

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, I, H.W.T. Syiem Central Provident Fund Commissioner, hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from it and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

H.W.T. SYIEM
Central Provident Fund Commissioner

No.C.P.F.C.1(4)/GJ(1102)/95/2133—Whereas it appears to the Central Pro vident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agree that the provision of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	GJ/24890	M/s. Polylink Polymers (India) Ltd., ... Block No. 229/230 Village Valtera, Tal-Dholka, Distt, Ahmedabad (including branches)-380006.	31-12-94
2.	GJ/24846	M/s. Harihar Foods Pvt. Ltd, ... A/16, Mohan Estate, Opp. Anupam Cinema, Khokra, Ahmedabad-380008.	1-7-94
3.	GJ/24816	M/s. Shree Chamunda Engineering Works, ... 6, Ashirwad International Estate Saraspur, Ahmedabad-380014.	31-3-94
4.	GJ/24889	M/s. Printomax Industries, ... 54-55, G.I.D.C. B/H, Gobind Glass, Kadi-382715 Mehsana.	1-10-94

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, I, H.W.T. SYIEM Central Provident Fund Commissioner, hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishment from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

H.W.T. SYIEM,
Central Provident Fund Commissioner

No.C.P.F.C.1(4)/GJ(1103)/95/2140— Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (1951 (1952) should be made applicable to the respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	GJ/24784	M/s. Bravo Security Services, 703, Here Krishna Complex, Opp. Kothawala Flats, Pritam Nagar, Dhal, Ashram Road, Ahmedabad.	1-3-94
2.	GJ/24860	M/s. Alpani Industries, Plot No. 81, G I.D.C. Phase II Vatya Anmedabad-382445.	1-3-94
3.	GJ/24514	M/s. Triveni Industries, A-I, 7804, 7805, G.I.D.C. Estate, Alukleshwar-393002.	1-2-94
4.	GJ/20630	M/s. Management of Industrial Security Service, A-45, Kartikya Nagar B.H. Jalaram Nagar, Hari Nagar, Tank Road, Gotri, Baroda.	5-6-94

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, I, H.W.T. Syiem Central Provident Fund Commissioner, hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

H.W.T. SYIEM
Central Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1 (4) KN (1118)/95/2148——Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the Majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employee's provident Funds & Miscellaneous provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	KN/18140	M/s. Exeter Systems India Pvt. Ltd., 15-16, 8 th Floor, Voyudhooth, Chambers, M.G. Road, Bangalore-560001,	1-1-1994
2.	KN/16897	M/s. R.C.I. Resort, Condominiums India Pvt. Ltd., No. 208, Brigade Gardens, 19, Church Street, Bangalore-560001, (Including Branches)	30-4-1994
3.	KN/18131	M/s. Bridals India Pvt. Ltd., Block JJ, Begur Hobli, Hongasandra No. 38/3, Laxmi Industrial Complex, Bangalore-68	1-10-1994
4.	KN/16624	M/s. Alphatech Engineering, Contractors, 'F' 2 nd Floor, Kalro Chambers, 45, 8 th Main, 15 th Cross Malleswaram, Bangalore-55,	28-2-1994
5.	KN/16303	M/s. Malar Enterprises, No. 17, Platform Road, Bangalore-560020,	30-11-1993
6.	KN/16630	M/s. H.V. Bhaganna Horticulture Consultant, No. 429 8 th Cross, Mahalakshhmi Layout, Bangalore-86,	31-3-1994
7.	KN/16568	M/s. Chaitra Enterprises, No. 863/2, Pipeline Road, Yeshwanthpur, Bangalore-560022,	28-2-1994
8.	KN/16726	M/s. Wisdom Security Services, No. 1911, 2 nd Cross, K.N. Extension Yeshwanthpur, Bangalore-560022,	31-3-1994
9.	KN/16269	M/s. Shri N. Shivaramaiah, Contractor, No. 795, 5 th Main, 11 th Cross, II nd Stage, Mahalakshmipuram, Bangalore-560086,	1-10-1993
10.	KN/16542	M/s. Sharavana Enterprises, No. 289, 12 th 'B' Cross, W.C. Road, Rajaji Nagar, Bangalore-86,	28-2-1994
11.	KN/16541	M/s. Bangalore Institute of Management & Services, 8th Cross, Malleshwaram, Bangalore-560003,	31-12-1993

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, H.W.T. Syiem, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

H.W.T. SYIEM
Central Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1 (4) KN(1120)/ 95/ 2162 — Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely ;—

Sl. No.	Code No.	Name & Address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	KN/16626	M/s. Sorapalli Milk Producers Co-op. Society, Sorapalli, Chinthamani taluk, Kolar Distt.	31-3-1993
2.	KN/16889	M/s. Chickballapur Taluk Primary Agricultural Produce Co-operative Marketing Society Ltd., Chickballapur-562101.	1-4-1994
3.	KN/18093	M/s. Sri Subramanyaswamy Gosoline Station, H.P. Dealers, M.B. Road, Kolar-563101.	1-10-1994
4.	KN/16971	M/s. Divya Silks 322/A, Mysore Road, Bangalore-35.	1-5-1994

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) I of Section 1 of the said Act, I, H.W.T. SYIEM Central Provident Fund Commissioner, hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

H.W.T. SYIEM,
Central Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1 (4) DL (1125)/95/2169——Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner, that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	DL/16379	M/s. Florida Electrical Industries Ltd., B—147, Mayapuri Industrial Area, Phase 1, New Delhi-110064.	29-11-1994

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, I, H.W.T. SYIEM, Central Provident Fund Commissioner, hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

H.W.T. SYIEM
Central Provident fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1 (4)/ KN (1144)/95/2173——Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely :——

Sl. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1.	KN/16875	M/s. Lakshmi Enterprises Labour Contractor, A.B.U. Engineering Enterprises Primises, 100 Ft. Road, 1st Cross, Chokkasandra, Bangalore-57.	1-3-1994
2.	KN/14358	M/s. Amarcon Creation's 2893-A, First Floor, Khado Bazar, Belgaum-590002.	1-2-1991
3.	KN/16929	M/s. Moneycare Finance Ltd., 309, Brigade Garden, Church Street, Bangalore-560001	1-11-1993
4.	KN/16930	M/s. Lillu Bollu Enterprises, No. 34/G/1/, Serpentine Street, Richmond Town, Bangalore-34.	31-7-1994

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section I of the said Act, I, H.W.T. SYIEM, Central Provident Fund Commissioner, hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments,

H.W.T. SYIEM,
Central Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1 (4) DL (1149)/ 95/2180.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name & Address of the estt.	Date of Coverage
1.	DL/16460	M/s. Fire Fighters Associates, B-7, Kalkaji, New Delhi-110019.	1-7-1994
2.	DL/16419	M/s. Casa India, 268, IInd Floor, Sant Nagar, New Delhi-110065.	1-5-1994
3.	DL/16395	M/s. Arrow Plast Pvt. Ltd., 64, Rajasthani Udyog Nagar, Opp. Jahangir Puri, Delhi-110033.	1-9-1994
4.	DL/16476	M/s. Universal Films of India. B.V. D-8, Comm. Centre-II, Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057 (including branches).	1-11-1994
5.	DL/16470	M/s. Bharat Shell Ltd., S-3, international Trade Tower, Nehru Place, New Delhi-110019. (including branches)	1-11-1993
6.	DL/16467	M/s. S.P.R. Marketing Pvt. Ltd., C-2/8 Mayapuri, Industrial Area, Phase II, New Delhi-110064.	1-10-1994
7.	DL/16443	M/s. Ess Ess Constructions, 1/6381 East Rohtas Nagar, Gali No. 4 Shahdara, Delhi-110032.	1-10-1994
8.	DL/16438	M/s. Windsor Metal Industries, 1/4, Udyog Nagar, Rohtak Road, New Delhi-110041.	1-11-1994
9.	DL/16432	M/s. Rishi Sales Pvt. Ltd., 4239, Gali Shahtra G.B. rRoad, Delhi-110006.	1-12-1994
10.	DL/16428	M/s. Vocations Abroad Pvt. Ltd., Flat No. 1607, Amba Deep Building Kasturba Gandhi Road, Marg, New Delhi-110001	1-7-1994

Now, therefore, in excercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, H.W.T. Syiem, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

H.W.T. SYIEM,
Central Provident Fund Commissioner

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (CENTRAL OFFICE)

New Delhi-110 015, the 10th October 1995

No. 2/1959/DLI/Exam./89/Pt. I/2/95.—WHEREAS M/s. The Tinplate Co. of India Ltd. P. O. Golmuri, Jamshedpur-831 003 (BR/2) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellanous Provisions Act 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act :—

AND WHEREAS, I, H.W.T. Syiem, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Life Cover Scheme of the said establishment in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linker Insurance Scheme, 1976, (hereafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/CPFC notification No. S-35014(259) 86-SS-II Dtd. 26-11-86 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, H.W.T. Syiem hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period with effect from 27-11-89 to 26-11-92 & 27-11-92 to 26-11-95 upto and inclusive of the 26-11-95.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administraition of the Life Cover Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Life Cover Scheme as approved by the Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Life Cover Scheme.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Life Cover Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the scheme less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Life Cover Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Life Cover Scheme of said establishment or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. The responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

11. Upon the death of the member covered under the Life Cover Scheme the employer in relation to said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

H. W. T. SYIEM
Central Provident Fund Commissioner

PANJAB UNIVERSITY CHANDIGARH

No. 3-95/G.R.—The Central Government, Ministry of Human Resource Development, Department of Education have accorded approval vide their letter No. F. No. 3-4/94-U.I., dated 21-10-1994 to the following Regulations :—

1. Deletion of Regulation 3(d) relating to Faculty of Engineering & Technology at page 54 of the Calendar; Volume I, 1989;

3(d) For the Faculty of Engg. & Tech., teachers working in the University Department of Chemical Engg. & Tech. or in Engg. Colleges affiliated to the University with at least 10 years teaching experience or Engineers/Technologists of 10 years standing.

2. Addition of Regulation 2.1 at page 60-61 of the Calendar, Volume I, 1989.

2.1 Each Board of Undergraduate Studies shall consist of —

(i) to (iv) xxx xxx xxx

(v) one expert in the subject, to be nominated by the Vice-Chancellor.

3. Regulation 4 at pages 65-66 of the Calendar, Volume I, 1989.

4. The Boards of Studies in the following subjects and their Conveners shall be nominated by the Syndicate :

1 to XXXVII xxx xxx xxx

XXXVIII. Postgraduate Physical Education.

XXXIX. Undergraduate Physical Education.

4. Addition of Regulation 4 at pages 65-66 of the Calendar, Volue I, 1989.

4. The Boards of Studies in the following subjects and their Conveners shall be nominated by the Syndicate :

1 to XLV xxx xxx xxx

XLVI. Slovak.

5. Regulations 12.2 (C) and 12.4 (C) at pages 141 and 143 of the Calendar, Volume I, 1989 :

12.2 (C) and 12.4 (C) Extraordinary Leave

The competent authority may in its discretion for any special reason, grant an employee extraordinary leave of absence but such leave :—

(a) shall be without pay;

(b) shall not exceed 3 years at a time; and

(c) shall be without pay and shall not count for increments except in the following cases :—

(a) Leave taken on medical certificate;

(b) Cases where the Vice-Chancellor is satisfied that the leave was taken due to causes beyond the control of the employee, such as inability to join or rejoin duty due to civil commotion or a natural clamity, provided the employee has no other kind of leave to his credit;

(c) Leave taken for prosecuting higher studies; and

(d) Leave granted to accept an invitation to a post outside the University.
Provided that the maximum period for which such leave may be availed of shall not exceed 5 years during the entire service.

6. Regulations 3(a) and 3(f) at pages 53-55 of the P.U. Calendar, Volume I, 1989, relating to the election of Added Members to the Faculties.

3. The Fellows assigned to each Faculty may add to their number, according to the procedure laid down in the regulations, persons residing with in the territorial jurisdiction of the University who fulfil the following qualifications.

(a) For Faculties other than Law, Engineering & Technology, Medical Sciences, Pharmaceutical Sciences and Education. A teacher (as defined in Regulation 2 of the Chapter relating to Academic Council) of a college affiliated to the University and who has been teaching a subject falling in the Faculty concerned with at least ten years standing and in the case of Ph.D. degree holders of five years' standing.

or

A teacher of University Teaching Department teaching a subject falling in the Faculty concerned with at least ten years' standing and in the case of Ph.D. degree holders of five years' standing.

or

A retired teacher of a college affiliated to the University or a University Teaching Department with at least ten years' experience of teaching a subject falling in the Faculty concerned and in the case of Ph.D. degree holders of 5 years standing prior to their retirement from service.

3(f) For the Faculty of Education :—

(i) a degree teacher of an affiliated College of Education with at least ten years' standing and in the case of Ph.D. degree holders with five years' standing,

or

(ii) a degree teacher teaching the subject of Education/Physical Education in an affiliated college on whole-time basis, with at least ten years' standing and in the case of Ph.D. degree holders with five years' standing,

or

(iii) a teacher of the University Department of Education/Physical Education, with at least ten years' standing and in the case of Ph.D. degree holders with five years' standing,

or

(iv) a retired teacher of the University Department of Education/Physical Education or College of Education or of an affiliated college with at least ten years' teaching experience prior to his retirement from service in a subject falling in the Faculty of Education and in the case of Ph.D. degree holders of 5 years' standing prior to his retirement from service.

NOTE : The Faculty of Education shall include the subjects of Education and Physical Education in addition to all other subjects being already covered in the Faculty.

7. Regulation 27.4 at page 26 of the Calendar, Volume II, 1988.

27.4. A candiate who reappears in any examination for purposes of improving the previous performance may be given grace marks upto 1 per cent of the total marks of the paper/s or part/s as the case may be in which he actually reappears, for purposes of improvement of division and also for securing 55% of the total marks in these examinations where such improvement to 55% marks is permissible under Regulations.

Provided that no candidate shall be given more marks than the minimum that may be required for securing higher division.

8. Regulation 3.1 (b) (iii) at page 66 of the Calendar Volume II, 1988 and be given effect to from the session 1992-93 in anticipation of the approval of the Syndicate/Senate/Govt. of India.

3.1 (b) (iii) of having obtained at least 25% marks in the aggregate of all the subjects of the house exmination to be held in November-December.

Explanation :—The house examination shall have 100 marks in each subject.

Provided that a college may hold a special test for students who fail to fulfil the condition in (iii) above at the discretion of the Principal by the third week of February. A student, in order to become eligible for admission to the examination shall be required to have obtained at least 30% marks in the aggregate of all the three elective subjects. The admission form of such candidates who fulfil the conditions in the special test may reach the University office by the 1st of March with the required late fee.

9. Regulation 3.1(b) (iv) relating to B.Sc. Home Science (Pass) examination (Revised) at page 83 of the Calendar, Volume II, 1988.

(Effective from the admissions of 1991).

3.1 (b) (iv) of having obtained at least 25 per cent marks in the aggregate of all the subjects to be calculated on the combined results of two house examinations, the first to be held in September and the second in November.

Examination :—The house examination shall have 100 marks in each subject.

Provide that a candidate must appear in Part II/III examination within three years of her passing Part I/II examinaion, as the case may be.

10. Addition of Regulation 3.1 for Master of Arts examination at pages 107-110 of the Calendar, Volume II, 1988.

3.1 A person who has passed one of the following examinations from this University or from Panjab University at Lahore before 1948 or from any other Universtiy whose examination has been recognised as quivalent to the corresponding examination of this University shall be eligible to join the First Year (Part 1) class of the M. A. course :—

(i) to (ix) xxx xxx xxx

Provided that —

(a) to (l) xxx xxx xxx

(m) A person who has passed Diploma in Adi Granth Acharya/Gurn Granth Acharya examinations shall also be eligible to join M. A. course (Part-I) in the subject of Hindi, Sanskrit and Punjabi.

11. Addition to Regulation 3.1 for Master of Arts examina- at pages 107-111 of the Calendar Volume II, 1988 and be given effect from the admissions of 1991-92 in anticipation of approval of Syndicate/Senate/Govt. of India :

3.1 A person who has passed one of the following examinations from this university, or from the Panjab University at Lahore before 1948, or from any other university whose examination has been recognised as equivalent to the corrsponding examination of this University shall be eligible to join the First Year (Part-I) class of the M. A. course :—

(i) to (ix) xxx xxx xxx

(x) For Urdu a person who has passed :—

(a) B. A./B. Sc. with 50% marks

OR

(b) B. A. with Urdu as an elective subject with at least 45% marks in the subject of Urdu.

OR

(c) B. A. and advanced Diploma Course in Urdu with at least 45% marks.

12. Regulation 2 relating to M. Sc. (Home Science) (Semester System) at page 135 of the Calendar, Volue II, 1988.

(Effective from the admissions of 1991)

2. A person who has passed B. Sc. Home Science examination with at least 50% marks in the aggregate from the Panjab University or an examination from any otherUniversity, recognised as equivalent therto, shall be eligible to join M. Sc Home Science.

13. Regulation 2 relating to Master of Science (Semester System) in Physics and Chemistry at page 151 of the Calendar, Volume II, 1988.

(Effective from the admissions of 1991)

Chemistry

(a) B. Sc. (Medical/Non Medical) candidates who have passed the said examination securing 50% marks in the aggregate as also 50% marks in the subject of Chemistry separately. The candiadtes, who have passed B. Sc. (Medical Group), examination shall be required to study Mathematics in First and Second Semesters, and

Those who have passed B Sc. (Non-Medical) examination shall be required to study Biology for First and Second Semesters.

Physics

B. Sc. examination of the Panjab University securing at last 50% marks, with Physics, Mathematics and any one of the following subjects :

Biochemistry, Botnay, Chemistry, English, Bio-Physics, Geology, Statistics, Zoology, Electronics & Life Sciences, as decided by the Board of Post-graduate Studies.

14. Change of nomenclature of Diploma in Adi Granth Acharya to Diploma in Guru Granth Acharya appearing at page 208 of the Calendar, Volume II, 1988.

15. Deletion of Regulations for Post-graduate Diploma in German in view of the introduction of M. A. Course in German (w.e.f. the academic session of 1992-93) :

16. Regulation 5.1 relating to Bachelor of Education (B.Ed.) examination at page 270 of the Calendar, Volume II, 1988 :

5.1 The examination shall consist of two parts as under :

Part I : Theory Papers.

Part II : Practicals (as per details given in the syllabus).

Provided that—

(i) One of the teaching subjects selected shall be the same as offered at the graduate level. However, B. Com./M. Com students shall offer either teaching of Economic or Mathematics or English.

(ii) The subject of teaching of Art, Music or Dance shall be offered by a candidate who had taken up Fine Arts, Music or Dance at his B.A. Examination or possesses B.A. degree and Diploma in Drawing and Painting; or Art and Craft Teachers' course from a recognised institution.

(iii) The subject of teaching of Social Studies shall be offered by a candidate who had taken up any of the following subjects at B.A. or M.A./M.Sc. level :

History, Geography, Political Science, Sociology, Economics, Public Administration or Commerce.

17. Regulation 5.1 at page 274 of the Calendar, Volume II, 1988 for M.Ed. and Regulation 5.1 for M.Ed. (Guidance & Counselling) and M.Ed. (Education and Technology) examinations :

5.1 The medium of examination for all papers including dissertation shall be English or Hindi or Punjabi.

5.1 The medium of examination for all papers including dissertation, individual counselling and group counselling reports shall be English or Hindi or Panjabi.

5.1 The medium of examination for all papers including dissertation/Project Report shall be English or Hindi or Panjabi.

18. Regulations for Master in International Business (MIB) Course of the Calendar, Volume II, 1988,

1. The duration of the course leading to the degree of Master in International Business (M.I.B.) shall be two academic years. Each year shall be divided into two semesters The examination for the first and the third semesters shall ordinarily be held in the month of December and for the second and the fourth semesters in the month of April/May, or on such dates as may be fixed by the Syndicate.

2.1 Every candidate shall pay his examination fee as prescribed by the Syndicate from time to time along with other charges, i.e. tuition fees, etc.

2.2 The head of the Department of Commerce and Business Management shall forward to the Controller of Examinations at least five weeks before the commencement of the examination for each semester, a list of the students who have satisfied the requirements of regulations and are qualified to appear in the examination.

2.3 The last date for receipt of admission application form and fee with and without late fee of Rs. 5 shall be fixed by the Syndicate.

3. The minimum qualification for admission to the first semester of the course shall be—

(i) A Bachelor's degree in any discipline or a degree of any other University which has been recognised by the Syndicate as equivalent thereto with not less than 50% marks in the aggregate.

Provided that in case of candidates having Bachelor's degree of the University through Modern Indian Languages (Hindi/Urdu/Punjabi (Gurmukhi Script) and/or in a Classical Language (Sanskrit/Persian/Arabic) or degree of any other University obtained in the same manner recognised by the Syndicate, 50% marks in the aggregate shall be calculated by taking into account full percentage of marks in all the papers in Language excluding the additional optional paper, English and the elective subject taken together.

(ii) A pass in the final examination conducted by the (a) Institute of Chartered Accountants of India or England, (b) Institute of Cost and Works Accountants of India or England, and (c) Institute of Company Secretaries of India.

(iii) AMIB examination with a minimum of 50% marks or more after having passed the diploma examination with a minimum of 60 marks and have at least 5 years research/teaching or professional experience.

4. Every candidate shall be examined in the subject as laid down in the syllabus prescribed from time to time.

50% marks in each paper excluding seminar, project and viva-voce shall be assigned for internal assessment.

Seminar, Project and Workshop will be assessed internally on 100% basis. Viva voce shall be conducted jointly by the internal and external examiners.

The Head of the Department shall forward these marks on the basis of periodical tests, written assignment, case discussions, Syndicate sessions, field trips, etc., to the Controller of Examinations at least two weeks before the commencement of the examination.

5. The Head of the Department will preserve the records on the basis of which the internal assessment awards have been prepared, for inspection, if needed by the University, up to six months from the date of declaration of the results.

Project Reports shall be submitted to the Head of the Department, at least 10 days before the commencement of the examination. Reports recevied after the prescribed date shall not be accepted.

6.1 The Frst Semester examination shall be open to a student who—

(i) has been on the rolls of the Department, during one semester preceding the first semester examination; and

(ii) has attended not less than 66% of the lectures, seminars, case discussions, Syndicate Sessions, field trips, project work, etc., for each paper; a deficiency up to 10% may be condoned by the Head of the Department.

6.2 The Second, Third and Fourth Semester examinations shall be open to a regular student who—

(a) has been on the rolls of the Department during one semester preceding the Second, Third or Fourth semester examination, as the case may be;

(b) has attended not less than 66% of lectures, seminars, case discussions, Syndicate Sessions, field trips, project work, etc., for each paper; a deficiency up to% may be condoned by the Head of the Department; and

(c) has passed the First, Second or Third Semester examination respectively or is covered under 'Reappear' Regulation 9.

7. The medium of instruction and examination shall be English.

8.1 The minimum number of marks to pass the examination in each semester shall be—

(i) 35% in each paper in the University examination separately as well as jointly with internal assessment.

(ii) 35% in seminar, project and viva voce,

(iii) 50% in the aggregate of (i) and (ii) above.

8.2 Grace marks shall be given @ one per cent of the aggregate marks of the University examination for each semester. A candidate may avail of the grace marks either in the aggregate or in one or more papers as may be to his advantage. Grace marks, shall, however, be given only for passing the examination or for earning the higher division and not for passing the examination with distinction.

9. (a) A candidate who fails in the first or third semester but has secured at least 35% marks separately as well as jointly with internal assessment is not less than 50% of the papers prescribed for that semester shall be permitted to continue his studies for the second and the fourth semester respectively, but he will be required to reappear in the next April/May examination in such papers in which he had failed in the December examination simultaneously with the second or the fourth semester examination as the case may be.

A candidate on reappearing shall pay admission fee of Rs. 25 per paper in each semester examination subject to a maximum of Rs. 50 prescribed for the examination concerned and the admission fee for reappear would be in addition to the admission fee charged for other semester examination if any, in which he was appearing.

If he fails to pass the first or the third semester examination even after the second attempt his result for the second or the fourth semester examination, as the case may be, shall be cancelled and he will be required to leave the course.

(b) A candidate who fails in the second semester but had secured at lest 35% marks separately as well as jointly with internal assessment is not less than 50% of the papers prescribed for that semester shall be permitted to continued the studies in the third semester but he will be required to reappear in such papers in which he had failed in the April examination in a special examination to be held in August but not before the expiry of six weeks from the date of declaration of the April examination result. If he fails even in the special examination, he shall be required to leave the course.

(c) A canddiate who fails in the fourth semester examination but had secured at least 35% marks separately as well as jointly with internal assessment is not less than 50% papers prescribed for that semester shall be allowed to reappear in such papers in which he has failed in the April examination in a special examination to be held in August but not before the expiry of six weeks from the date of the declaration of the result.

Explanation :—Fifty per cent of 5 papers will be taken as 2 and that of 7 papers as 3 for purpose of exemption under this Regulation.

(d) A candidate who fails to clear the fourth semester examination even in the special examination held in August shall be given one more chance. He may appear either in December of the same year or April examination next year in such papers in which he had failed in the special examination held in August.

A candidate who is unable to clear the fourth semester examination even after availing of the second chance as specified above shall be required to leave the course.

(e) If a candidate is required to reappear in a paper which is 100% internal assessment, he will be given one more opportunity to qualify in that paper without attending a fresh course of lectures. The work assignment may be determined by the Head of the Department.

10. A candidate who fails in the First, Second, Third, or Fourth semester and is not covered under 'Reappear' Regulation 9 may be given one more chance and allowed to appear in the next regular examination without attending a fresh course of lectures but he will have to repeat the entire examination.

If a candidate fails to pass in a semester examination even after the second attempt he will be required to leave the course.

11. A candidate, who having passed the second semester examination, discontinues his studies, may be permitted to joint the 3rd semester within two years of his passing the second semester examination.

12. The internal assessment awards of a canddiate who fails in the examination shall be carried forward to the next examination.

A candidate who fails in the examination may appear in the next consecutive examination as in ex-student.

13. As soon as is possible after the termination of the examination the Controller of Examinations shall publish a list of the candidates who have passed.

14. Successful candidates shall be classified as under :—

(i) Those who obtain 75% or more of the aggregate marks in all the semester examinations taken together—First Division with Distinction.

(ii) Those who obtain 60% or more of the aggregate marks but less than 75% marks in all the semester examinations taken together—First Division.

(iii) Those who obtain below 60% of the aggregate marks in all the semester examinations taken together— Second Division.

19. Regulations 6.1 and 6.3 for M.D./M.S. examinations at pages 431-432, 440 and 441 of the Calendar, Volume II, 1988 and be given effect from the admissions of 1993 in anticipation of the approval of the Syndicate/Senate/Govt. of India.

6.1 A candidate shall apply within nine months of registration to the Registrar for approval of subject of his thesis. Such applications shall be considered by the Faculty of Medical Sciences four times in a year as under :

(a) From January 1 to 15.

(b) From April 1 to 15.

(c) From July 1 to 15.

(d) From October 1 to 15.

This application shall be duly certified by the Head of the College/Institute in which the candiadte is studying before it is sent to the Registrar.

The Head of the Department/College/Institute shall certify that all necessary facilities for supervision of the candidate's work will be provided. The thesis shall be on a subject connected with the Science and Practice of Medicine.

An application received after any of the above dates will be deemed to have been received on the following dates fixed above. For example, if an application is received after the 1st of January, it will be deemed to have been received on the 1st of April for purposes of consideration by the Faculty of Medical Sciences.

A candidate who is unable to apply for approval of the subject of thesis within the time allowed may apply for exemption of time, which may be granted :—

(i) Up to one month —By the Dean, Faculty of Medical Sciences.

(ii) Up to three months.—By the Vice-Chancellor.

In case a candidate fails to apply within nine months and the three months period of extension as admissible under the regulations and submits his synopsis after the period of one year, his training period would be extended by six months.

6.3 The thesis shall conform to the requirements laid down in this Regulation and should be submitted at least six months before the commencement of the examination. However, the final result shall be declared only after the acceptance of the thesis.

The thesis shall embody the result of the candidate's own research and/or experience and shall contain precise reference to the publications quoted and must attain a good standard and shall be satisfactory in literary presentation and in other respects and should end with a summary embodying conclusions arrived at by the candidate. The thesis should be typewritten on one side of the paper (size 11"×8-1/3") with margins of 1½" on each side, bound in cloth indicating on the outside cover its title and name of the candidate.

20. Regulations 1.1, 2.4 and 2.5 at pages 530-531 of the Calendar, Volume II, 1988, relating to BFA Course (4 years) :

1.1 The duration of the course leading to the degree of B.F.A. (Painting), B.F.A. (Applied Arts), B.F.A. (Sculpture) and B.F.A. (Graphics Print making) shall be four years. All the four annual examinations for the Bachelor of Fine Arts (BFA) degree course shall be conducted by the Panjab University. These examinations will be held once a year ordinarily in the month of April or on such dates as may be fixed by the Syndicate.

2.4 35% of the total marks for sessional work shall be awarded by the subject teacher, and the break-up of these marks shall be as under :—

(a) Process—30%

(b) Product—30%,

(c) Attitude—15%,

(d) Understanding—25%,

2.5 The remaining 55% marks for sessional work, based on the submission of portfolios, shall be awarded after the holding of a viva voce examination by a Committee consisting of the subject teacher concerned, the Principal and one external subject expert.

21. Addition to Proviso to "Regulation 27.2 for B.A./B.Sc. (General & Honours) examination (New Scheme) and be given effect to in anticipation of the approval of the Syndicate/Senate/Govt. of India:

> 27.2 A candidate who is placed in compartment is eligible to join the next higher class provisionally. In case he fails to qualify the compartment subject within the two consecutive chances, his result for the higher examination will stand cancelled. For the compartment subject, he may appear as regular student or as a late college student.

Provided that a candiadte for B.A./B.Sc. Part II exam. who fails to qualify the compartment subject in two consecutive chances but stands passed in B.A./B.Sc. Part III examination shall be given two additional Chances immediately next to the second chance availed by him. In case he fails to qualify in the compartment subject even in these additional chances he shall be declared fail and his result for B.A./B.Sc. Part III examintion shall be cancelled forthwith.

22. Regulations for M.A. (Hons.) in Punjabi and be given effect to form the academic session 1992-93 :

1. The admission and examination in M.A. Honours Part I in Panjabi shall be open to a person who :

has passed B.A. with Honours in Panjabi from this University or any other statutory university:

OR

has passed B.A. in second division with at least 50% marks in Panjabi (Elective);

OR

has passed B.A. with at least 60% marks in the subject of Panjabi (Elective)

Only the student who has passed M.A. Part I with Honours in Panjabi shall be eligible for admission to the M.A. Honours in Part II.

The examination in each year shall consist of six papers. The Syllabus for four papers in each year shall be the same as prescribed for M.A. (Panjabi) pass course. Syllabus for 2 Honours papers in each year shall be prescribed separately. Each paper shall be of three hours duration and carry 100 marks.

The minimum requirements to pass the examination in Honours shall be :

(a) Pass marks in M.A. Parts and II pass course.

(b) 40% marks in each Hons. paper and 50% in aggregate of marks in both years.

The Honours result of candidate shall be declared only if he takes examination in both years.

Other conditions shall be the same as provided for M.A. Pass Course.

23. Regulation 2.1 (b) for B.Sc. Three Year Degree Course in Health Education, Physical Education & Sports :

2.1 (b) Of the 24 credits, each student shall do course relating to 'English' and 'Punjabi' of 4 credits. 2 credits in the First Year and the remaining 2 credits in the Second Year as under :—

Ist Year (1992-93)

General English—2 credits (syllabus common with B.Sc. General Course).

2nd Year (1993-94)

(i) Punjabi-I (Compulsory)/History & Culture of Punjab-I.—1 Credit.

(syllabus common with B.Sc. General Course).

(ii) Punjabi-II (Compulsory)/History & Culture of Punjab-II.—1 Credit.

(syllabus common with B.Sc. General Course).

NOTE : The following categories of students shall have the otion to offer History and Culture of Punjab in lieu of Punjabi (Compulsory) :

(i) The students from the states other than Punjab, Defence and the Children/wards of the Defence Personnel, Govt. and Semi-Govt. employees and the Children/wards of such employees as have stayed outside Punjab for at least ten years immediately before the admission of the student.

(ii) All those students who were in the pipeline and had not studied Punjabi up to Matriculation level at the time of admission to Ist Year of B.Sc. course may be allowed to take up History and Culture of Punjab in lieu of Punjabi. This option, would, however, be available to them for two years with effect from the admissions of 1992-93.

(iii) Children of Non-Resident Immigrants (N.R.I.) and Non-Resident Emigrants (N.R.E.) and foreign students.

24. Regulation 11.2 for B.Com. examination (New Scheme) of the Calendar, Volume II, 1988 and be given effect to in anticipation of the approval of the Syndicate/Senate/Govt. of India:

11.2. A candidate who obtains 35% of the aggregate marks of all the subjects but has failed in one subject only obtaining not less than 20 per cent marks in that subject shall be permitted to appear in that subject only at the next two consecutive examinations and if he passes at either of these examinations, he shall be deemed to have passed the examination.

A candidate to whom this concession is granted shall be eligible to join the next higher class provisionally, but if he fails to qualify in the compartment subject at the supplementary examination he shall be permitted to appear again in the subject alongwith the annual examination for the next year and, if he fails to qualify in the compartment subject even at the second attempt, his result of Second Year or Third Year as the case may be, shall be cancelled. For the compartment subject of the next annual examination, he may appear as a regular student or as a late college student.

Provided that a candidate for B.Com. Part II examination who fails to qualify the compartment subject in two consecutive chances but stand passed in B. Com. Part III examination shall be given two additional chances immediately next to the second chance availed by him. In case he fails to qualify in the compartment subject even in these additional chances he shall be declared fail and his result for B.Com. Part III examination shall be cancelled forthwith.

25. Regulation 15 for B.Com. examination (New Scheme) of the Calendar, Volume II, 1988 :

15. A candidate who has passed B.Com. First Year/Second Year examination from another University, the B. Boc. Final examination of which is recognised as equivalent to B.Com. examination of this University, may be allowed to join B. Com. Second Year/Third Year class of the B. Com course provided that he/she clears the deficient subjects/courses, if any, at the next three consecutive examinations. If he/she fails to clear the deficient subjects/courses in these three examinations, his/her result of B.Com. Second Year/Third Year, as the case may be, shall automatically stand cancelled.

26. Introduction of Transitory Regulation to terminate the old scheme of B.Pharm. Course and be given effect toin anticipation of the approval of the Syndicate/Senate/Government of India :

"The candidates who were admitted to B.Pharm. (Old Scheme) of this University before 1986 and are yet to clear B.Pharm. Part II/III examinations, respectively, can appear in these examinations, i.e. B.Phar. Part II/III as private candidates under the old Regulations till the supplementary examinations of 1995, when the old scheme will terminate.

The candidates who fail to clear their examinations by September, 1995 can seek readmission to B.Pharm. Part II/III course respectively under the new scheme of four year duration."

27. Regulation 15(b) at page 150 of the Calendar, Volume II, 1988, relating to M.Sc. (Hons. School) examination :

15. (b) The project report is required to be evaluated by examiners, External and Internal (Supervisor). However, the marks to be awarded by the two examiners separately would be decided upon at the time of the viva voce examination which would be conducted by the Board of Examiners consisting of External, Internal Examiners (Supervisor) and Head of the Department. In case the Head of the Department happens to be the internal Examiner (Supervisor) for the project report then the next senior person of the department would be included for conducting the viva voce examination.

In the absence of Internal Examiner (Supervisor), a suitable alternative internal examiner may be appointed by the Board of Control of the concerned Department.

28. Regulation 4.1 relating to B.Sc. (General) of the Calendar, Volume II, 1988 :

4.1 A person who has passed one of the following examinations with English as one of the subjects shall be eligible to join the First year class of B.A. or B.Sc. (General and Honours) degree course in college affiliated to this University ;

(i) B. A./B Sc./B.Com Part I (Old Scheme) Pre-Medical /Pre-Engg./Intermediate Arts/Science/Agriculture examinton of Panjab Universty.

(ii) the +2 examination under 10+2+3 system of education of a recognised University/Board/Council;

(iii) any other examination recognised by the University as equivalent to (i) and (ii) above.

Provided that—

(i) a person joining the B.Sc. course must have obtained at least 40 per cent marks in the aggregate of the qualifying examination;

(ii) a person joining B.Sc. course must have passed at least 2 Science subjects in the qualifying examination out of the three elective subjects offered by him, excerting Geology, Geograhy and Anthropology. He may offer the third elective subject from the Faculty of Science or Faculty of Arts, subject to the restrictions as laid down in Regulation 2.2(c).

Provided further that a student shall be eligible to offer the subject of—

(i) Computer Science at the B.A./B.Sc. level if he has passed the +2 examination with Science/Commerce Economics/Mathematics as his subject/s.

(ii) Biochemistry if he/she has passed the +2 examination with the following subjects :

(a) Physics

(b) Chemistry

(c) Mathematics/Biology

29. Regulations for Certificate Course in Arabic and be given effect to from the academic session 1993-94 :

1.1 The duration for the Certificate Course in Arabic shall be one academic year.

1.2 The examination shall be held once a year ordinarily in the month of May, on such dates as may be fixed by the Syndicate.

1.3 The date of commencement of the examination and the last date for receipt of examination admission forms without and with late fee of Rs. 5, as fixed by Syndicate, shall be notified by the Controller of Examinations.

2. A person who has passed one of the following examinations shall be eligible to join the course :

(a) 10+2 examination of any recognised Boards/ Council/University of the Country;

(b) an examination of another University/Board/Council recognised by the Syndicate as equivalent to (a).

3.1 A person who possesses the qualifications laid down in Regulation 2. and produces the following certificates signed by the Head of the University Department of Arabic shall be eligible to appear in the examination :

(a) of good character;

(b) of having been on the rolls of the Department during the academic year preceding the examination; and

(c) of having attended not less than 66% of the lectures in each paper delivered to the class.

3.2 A deficiency in the required number of lectures may be condoned—

(i) up to 15 lectures by the Head of the Department;

(ii) up to 25 lectures by the Dean of University Instruction on the recommendation of the Head of the Department.

3.3 A student who, having attended the prescribed number of lectures does not appear in the examination, or having appeared has failed may be permitted, on the recommendation of the Head of the Department to appear in the examination as a late department student, within a period of three years of completing the course.

4. The examination fee to be paid by a candidate shall be Rs. 30.

5.1 The examination shall be held in accordance with the syllabus prescribed by the Senate.

3.2 The medium of examination shall be Arabic. The question papers shall be set in Arabic/English.

6. The minimum number of marks required to pass the examination shall be :

(a) 33% in each paper;

(b) 40% in the aggregate;

(c) 50% in the oral test.

7.1 Successful candidates shall be classified as under :

(a) Those who obtain 60% or more of the aggregate marks—First Division.

(b) Those who obtain 50% or more but less than 60%—Second Divison.

(c) Those who obtain less than 50%—Third Division.

7.2 The Controller of Examinations shall publish the result four weeks after the termination of the examination or as soon as possible.

7.3 Each successful candidate shall be granted a certificate showing the marks and the devision in which he has passed.

30. Regulations for B.Sc. (Hons. School) and M.Sc. (Hons. School) examination (Annual System) effective from the session 1992-93 :

Regulations for B.Sc. (Honours School) in Anthropology, Biochemistry, Biophysics, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Microbiology, Physics and Zoology (Annual System) w.e.f. the admissions of 1992-93.

1. The University shall undertake instruction for B.Sc. Honours School Courses in the following subjects :

(i) Anthropology

(ii) Biochemistry

(iii) Biophysics

(iv) Botany

(v) Chemistry

(vi) Geology

(vii) Mathematics

(viii) Microbiology

(ix) Physics

(x) Zoology

The Syndicate shall, however, have the authority to add or discontinue Honours School in any subject.

The duration of the course for B.Sc. (Hons. School) degree shall be 3 years. The examination for the B.Sc. (Hons. School) course shall be held in three parts—Part I at the end of the Ist year. Part II at the end of the 2nd year and Part III at the end of 3rd year of the Course—once a year, ordinarily in the month of April on a date to be fixed by the Syndicate.

2. The person who has passed one of the following examinations will be eligible for admission to the First Year of the B.Sc. (Hons. School) Course :

(i) +2 examination under 10+2+3 system of education conducted by a recognised Board/University/Council with the combination of subjects as laid down by the respective Boards of Control.

(ii) Pre Medical/Pre-Engineering/B.Sc. Part-I (Medical or Non-Medical) examination (Old Regulations) of the Panjab University.

(iii) Part-I of the Three Year B.A./B.Sc. Course of the Panjab University under Old Regulations.

(iv) Any other examination recognised by the Syndicate equivalent to (ii) and (iii) above.

Provided that he/she fulfils the requirements of the subjects studied as laid down by the respective Boards of Control.

Provided further that the admission of the eligible students to the B. Sc. (Hons. School) Courses will be based on their merit in the Entrance Test conducted for this purpose/the fulfilment of such other requirements which may be laid down by the Syndicate.

3. Every student admitted to the B.Sc. (Hons. School) Course shall be on the rolls of the University department of the major subject concerned and pay such fees to the University as the Syndicate may prescribe. The Dean of the University Instruction may exempt any student for payment of tuition fees on the recommendation of the Chairman/Head of the Department within the prescribed period.

4.1 A Board of Control shall be appointed by the Syndicate in January every year and shall consist of :

1. The Chairman/Head of the Department in the subject of the School as Chairman;

2. The University Professors and Readers in the subject of the School;

3. Two University Lecturers on the recommendation of the Chairman/Head of the Department in the subject of the School (by rotation, accordng to seniority); and

4. One teacher from the Department in each subsidiary subject of the School;

4.2 Subject to the approval of the Dean of University Instructon, the Board of Control shall be the authority to admit students and to remove students from the Honours School or class in accordance with the rules laid down by the Academic Council.

4.3 Subject to the approval of Dean of University Instruction, the Board of Control shall be the authority to remove a student from the Honours School, in case of misconduct.

4.4 The Board of Control shall make recommendations to the Syndicate in all matters concerning the Honours School Course including syllabi and the apointment of examiners.

However, recommendations concerning syllabi shall be routed through the Faculty and the Academic Council.

5. The syllabi and courses of reading for the B.Sc. Hons. School course shall be as approved by the Senate from time to time.

(i) Major subject

(ii) Subsidiary courses

(iii) English (during First Year)

(iv) Punjabi (during Second Year)

6. Each Board of Control may decide the number and type of subsidiary courses subject to the approval of Academic Council.

Hons. School Anthropology—Subsidiary Courses in Biochemistry, Geology, Geography, Sociology, Zoology or Botany-cum-Zoology, Economics, Mathematics, Physics, Chemistry, Microbiology & Biophysics.

Biochemistry—Fist Year : Chemistry Botany-cum-Zoology, Mathematics, Physics, Microbiology & Biophysics.

Second Year if Chemistry, Biophysics, Botany, Zoology, Microbiology, Human Anatomy and Botany-cum-Zoology.

Biophysics—First Year : Botany, Zoology, Mathematics, Physics and Chemistry.

Second Year—Biochemistry, Physics, Microbiology and Mathematics.

Botany—Zoology, Chemistry, Physics, Geology, Biochemistry, Biophysics, Microbiology and Anthropology.

Chemistry—Physics, Botany, Geology, Zoology and Mathematics.

Geology—Mathematics Physics, Chemistry, Geography, Botany, Zoology, Anthropology.

Mathematics—Physics, Chemistry, Geology Geography, Economics, Philosophy, Computational Techniques and Life Sciences.

Microbiology—First Year :

Chemistry, Botany-cum-Zoology, Mathematics and Physics. Second Year :

Biophysics, Biochemistry, Botany, Zoology and Anthropology.

Physics—Mathematics, Chemistry, Botany, Zoology, Biophysics, Computational Techniques and Geology.

Zoology—Botany, Chemistry, Geology, Biochemistry, Biophysics, Microbiology and Anthropology.

7. Every candidate for the B. Sc. Hons. School Examination shall send his application through the Chairman/Head of the Department accompained by the following certificates :

(a) of good moral character ;

(b) of having attended at least 66% of the total number of lectures and practicals separately in each *course ; and

(c) of having passed the earlier examinations.

(A course means a paper in theory or practicals).

The Board of Control is empowered to condone shortage in attendance of lectures and practicals to the extent of 10% lectures delivered in each course of theory and practicals.

8.1 The last dates by which admission forms and fees must reach the Controller of Examinations, without and with late fee shall be fixed by the Syndicate.

8.2 The amount of the admission fee for each year examination to be paid by a candidate shall be as fixed by the Syndicate.

9.1 Examination in theory/practical shall be held at the end of each year according to the scheme of eaxminations approved by the Academic Council.

9.2 The Scheme of Examinations will be as follows :

First Year Honours School	
Major Subject	400 marks
Subsidiary courses	400 marks
English	200 marks
Additional Subsidiary Course for basic Medical Sciences	200 marks
Second Year Honours School	
Major Subject	600 marks
Subsidiary courses	400 marks
Additional Subsidiary course for basic Medical Sciences	200 marks
Panjabi qualifying (marks will not be counted in deciding the division)	50 marks
Third Year Honours School	
Major subject	1000
(Total marks for B.Sc. Hons. School) : for subjects other than Basic Medical Sciences	3000
for Basic Medical Sciences	3400

The number of papers—Theory and Practicals as well as the distribution of marks amongst theory and practicals shall be given in the syllabus.

10. The examinations conducted on the dates prescribed by the Syndicate will be only in those courses which have been offered in 1st, 2nd and 3rd years as th ecase may be.

11. A student shall be permitted to the annual courses successively subject to the following conditions :

(i) The students are required to obtain 40% marks, in each paper of theory and practicals (Major, subsidiary, English or Panjabi) for a pass in that course.

(ii) The annual examination at the end of the academic session will carry 75% marks assigned to each paper of the given subject. In addition to the annual examination, there will be a House Test in the month of December which will carry 25% marks assigned to a given paper. The final award in each paper will be determined by the combined marks obtained by a student in the Annual Examination and December Test.

(iii) A student who appears in the annual examination and fails in one or more but not exceeding 33% of the total number of papers will be given re-appear chance in those papers and will be promoted to the next higher class. He will be entitled to two consequtive chances to clear the re-appears, failing which he will be reverted to the previous class. A supplementary examination will be held in the month of September/October or on such other dates as may be fixed by the University to enable a student to clear the re-appears in the papers in which he might have failed in the annual examination. If he fails to clear the re-appears he will be given another chance in the following annual examination. If he fails again to clear the re-appears in the two chances given above, he will be reverted to the previous class.

(iv) A student failing in more than 33% of the papers in the annual examination will be declared fail and may seek re-admission in the prevous class.

Explanation :

For the purpose of the above rules, 33% of 4 and 5 papers will be taken as 2 papers and of 7 and 8 papers will be taken as 3 papers and so on.

(v) For the purpose of determining the division, aggregate marks obtained by the candidate in all the examinations of the tree years in all the subjects—major, subsidiaries and English except Panjabi (qualifying)—shall be taken into account.

12.1 The Boards of Control in respective Departments may decide the nature and style of questions in the Question Papers whether Objective/Short answer type/Problem-based/Subjective/Essay type or any combination thereof. In case there are more than one persons teaching the course, the Board of Control shall decide one of them to be the Internal Examiner.

12.2 The setting of Question papers for the University examination will be by the external examiner only. For this purpose, the Board of Control/Board of Studies will prepare a panel of 3—5 or more examiners—any one of whom may be entrusted with the setting of the paper by the competent authority.

12.3 The paper setters will be provided with the prescribed syllabus and courses of reading alongwith (i) the detailed outlines of all the topics to be covered in the class with relative weightage given to each topic and the booklets from which the topics are to be taugh.. (ii) A model question paper and (iii) such instruction/information as the Board of Control may deem fit so that the Question paper encomposses the entire syllabus and is designed to test the students' knowledge and understanding of the subject.

12.4 The paper-setting and evaluation of the House Test will be the responsibility of the teacher teaching the given course. The marked answer books may be shown to the students.

12.5 The evaluation of the answer books of the Annual Examination will be done independently by the External and Internal examiners. If the difference in the awards is upto 15%, the average of the two will be the final award. If the marks differ by more than 15%, the answer-book will be got evaluated by the third examiner. The final award will be average of the two of the best awards favouring the student.

12.6 The examination in the practical papers will be conducted by one External Examiner and one or more Internal Examiners as may be decided by Board of Control in the subject concerned. The Board of Control may decide if

some percentage of the internal marks is to be based on the continuous assessment of a student's work in the laboratory throughout the year.

12.7 The re-evaluation of answer-book shall be permissible as per rules laid down by the University for re-evaluation from time to time. However, the re-evaluation will be appointed from the existing panel of examiners.

13 The successful candidates shall be classified into divisions as under :

(i) Those who obtain 75% or more of the total marks.—First Division with Distinction.

(ii) Those who obtain 60% or more but less than 75% of the total marks.—First Division.

(iii) Those who obtain 50% or more but less than 60% of the total marks.—Second Division.

(iv) Those who obtain 40% or more but less than 50% of the total marks.—Third Division.

14. The candidates shall be provided with the detailed marks cards of each year. The degree shall indicate the division in which the candidate has passed the examination. The date of entry and leaving the Honours School shall also be shown on the certificate.

M. Sc. (HONOURS SCHOOL) EXAMINATION
(ANNUAL SYSTEM)

1.1 The University shall undertake instruction for M.Sc. (Hons. School) courses in the following subjects :

(i) Anthropology

(ii) Botany

(iii) Chemistry

(iv) Geology

(v) Mathematics

(vi) Physics

(vii) Zoology

(viii) Biochemistry

(ix) Biophysics

(x) Microbiology.

The Syndicate shall, however, have authority to and or discontinue Honours School in any subject.

1.2 The duration of the course shall be two years.

The examination for the M. Sc. (Hons. School) will be held in two parts. Part I at the end of first year and Part II at the end of second year—once a year ordinarily in the month of April or on such dates as may be fixed by the Syndicate.

2.1 A person who has passed one of the following examinations in the concerned subject may be admitted to the M.Sc. (Hons. School) Course :

(i) B.Sc. (Hons. School) Examination of the Panjab University in the subject of M.Sc. (Hons. School) course.

(ii) B.Sc. (Pass or Honours) examination of the Panjab University or any other examination recognised by the Panjab University as equivalent therto, with the subject of the Hons. School course.

(iii) B.A. or B.Sc. Examination of the Panjab University or any other examination recognised by the Panjab University as equivalent thereto, for admission to M.Sc. (Hons. School) in Anthropology.

Provided that the admission of the eligible students in (ii) and (iii) above will be based on their merit in the entrance test conducted for this purpose/the fulfilment of such other requirements as may be laid down by the Syndicate.

2.2 A student who has passed M.Sc. (Hons. School) Part I in the subject concerned shall be eligible to join Part I (2nd Year) Class of that course.

3.1 The Board of Control appointed for the B.Sc. (Hons. School) shall act as the Board of Control for M.Sc. (Hons. School) also.

3.2 Subject to the approval of the Dean of University Instruction, the Board of Control shall be the authority to admit students and it shall also have the authority to remove students from the rolls in accordance with the rules laid down by the Academic Council.

3.3 Subject to the approval of the Dean of University Instruction, the Board of Control shall be the authority to remove a student from the Honours School in case of misconduct.

3.4 The Board of Control may make recommendations to the Syndicate in all matters concerning the Honours School course inluding syllabi and the appointment of examiners. However, recommendations concerning syllabi shall be routed through the Faculty and the Academic Council.

4. The syllabi and courses of reading for the M.Sc. (Hons. School) courses shall be as approved by the Senate from time to time.

5. The examination in Part I/II shall be open to a student who has passed one academic year previously the examination as laid down in Regulation 2 and whose name is sent to the Controller of Examinations by the Head of the University Department, he has most recently attended and who produces the following certificates signed by the Head of the Department concerned :

(a) of having been on the rolls of the University Department for the academic year preceding the examination ;

(b) of having good character ; and

(c) of having attended not less than (a) 66 per cent of the full course of lectures delivered to his class in each of the prescribed papers, and (b) 66 per cent of the periods assigned to each practical prescribed in the syllabus, and (c) in the case of dissertation or thesis, of having completed it as directed by the Head of the Department.

The candidate must submit his dissertation/thesis so as to reach the University at least 20 days before the commencement of Part II examination.

6. The M.Sc. (Hons. School) examination shall be by theory papers, practical field work or project report (if any), as determined by the Board of Control in each subject. The number of papers, theory and practicals, as well as the distribution of marks amongst theory and practicals, the field work or project, if any, shall be as given in the syllabus.

The total number of marks shall be as follows :

M.Sc. (Hons. School) Part I—1000

M.Sc. (Hons. School) Part II—1000.

7. The annual examination at the end of the academic session will carry 75% marks assigned to each paper of the given subject. In addition to the annual examination, there will be a House Test in the month of December which will carry 25% marks assigned to a given paper. The final award in each paper will be determined by the combined marks obtained by a student in the annual examination and December test.

Explanation : The 75% and 25% marks assigned to each paper may be rounded off to the nearest multiple of 5.

8.1 A student who appears in the annual examination and fails (i.e. his final award in a Paper is less than 40% marks assigned to that I Paper) in one or more but not exceeding 33% of the total number of papers, will be given re-appear chances in those papers and will be promoted to the next higher class. He will be entitled to two consecutive chances to clear the re-appear, failing which he will be reverted to the previous class.

8.2 A supplementary examination will be held in the month of September/October or on such other dates as may be fixed by the University to enable a student to clear the re-appears in the papers in which he might have failed in

the annual examination. If he fails to clear the re-appears, he will be given another chance in the following examination. If he fails again to clear the re-appears in the two chances given above, he will be reverted to the previous class.

8.3 A student failing in more than 33% of the papers in the annual examination will be declared fail and may seek re-admission in the previous class.

Explanation : For the purpose of the above rule, 33% of 4 and 5 papers will be taken as 2 papers, and of 7 and 8 papers will be taken as 3 papers, and so on.

9. The Boards of Control in respective Departments may, subject to the approval of the appropriate bodies, decide the nature and style of questions in the Question Papers—whether objective/short answer type/problem base/subjective/essay type or any combination thereof. In case there are more than on persons teaching a subject, the Board of Control shall appoint one of them to be the internal examiner.

10.1 The setting of Question Papers for the annual examination will be by the external examiner only. For this purpose, the Board of Control/Board of Studies will prepare a panel of 3-5 or more examiners, any one of whom may be entrusted with the setting of the Question Paper by the competent authority.

10.2 The Paper setters will be provided with the prescribed syllabus and courses of reading alongwith (i) the detailed outlines of all the topics to be covered in the class with relative weightage given to each topic and the books from which the topics are to be taught. (ii) A model question paper and (iii) such instruction/information as the Board of Control may deem fit so that the Question paper encompasses the entire syllabus and is designed to test the student's knowledge and understanding of the subject.

10.3 The paper-setting and evaluation of the House Test will be the responsibility of the teacher teaching the given course. The marked answer books may be shown to the students.

10.4 The evaluation of the answer-books of the annual examination will be done independently by the External and Internal examiners. If the difference in the awards is up to 15%, the average of the two will be the final award. If the marks differ by more than 15%, the answer books will be got evaluated by the third examiner. The final award will be the average of the two of the best awards favouring the student.

10.5 The examination in the practical papers will be conducted by one External Examiner and one or more Internal Examiners as may be decided by Board of Control in the subject concerned. The Board of Control may decide if some percentage of the internal marks is to be based on the continuous assessment of a student's work in the laboratory throughout the year.

11. The re-evaluation of answer-books shall be permissible as per rules laid down by the University for re-evaluation from time to time. However, the re-evaluators will be appointed from the existing panel of examiners.

12. In case of a student who is allowed the option of submitting the project report as a partial fulfilment of the requirements for the M.Sc. (Hons. School) degree, the project report as required to be followed by Examiners—External and Internal (Supervisor). However, the marks to be awarded by the two Examiners separately will be decided at the time of the viva voce examination which would be conducted by the Board of Examiners consisting of External, internal Examiner (Supervsor) and Head of the Department. In case, the Head of the Department happens to be the Internal Examiner for the project report then the senior-most teacher of the Department would be included for conducting the viva voce examination.

The candidate shall ordinarily submit the project report at the end of one year. Extension upto six months may be granted by the Dean of University Instruction, if required by the student and recommended by the Supervisor and the Chairman/Head of the Department. A further extension of six months will be given under exceptional circumstances.

13. The minimum marks required to pass the examination shall be 40 per cent in each paper theory, practical, field work or project, if any.

14. The successful candiadtes shall be classified in divisions as under :

(i) those who obtain 75% or more of the total marks—First Division with dinction.

(ii) those who obtain 60% or more but less than 75% of the total marks—First Division

(iii) those who obtain 50% or more but less than 60% of the total marks—Second Division.

(iv) those who obtain 40% or more but less than 50% of the total marks—Third Division.

15. The candidate shall be provide with Detailed Marks Certificate at each year. The degree shall indicate the division in which the candidate passed the examination. The date of entry and leaving the Honours School shall be shown on the certificate.

16. Notwithsanding anything contained in the above rule, the Closed Department, namely Chemistry, Geology, Mathematics and Physics, in view of the autonomy already granted to them in the matter, may adopt the following assessment systems in the Post-graduate courses :

(i) The paper-setting and evaluation will be wholly internal conducted by the teachers teaching the theory or laboratory courses.

(ii) There will be a House Test during the eriod November-Decemoer for the Theory Courses. It will carry 35% marks assigned to each paper. The paper-setting and evaluation of the House Test will be the responsibility of the teacher teaching the course. The marked answer scripts will be made available to the students for their persual.

Explanation : 35% marks assigned to each paper may be rounded off to nearest multiple of 5.

(iii) Each year of instruction will be followed by an annual examination which will carry 65% marks assigned to each paper of the given subject. The annual examination will be comprehensive and cover the entire portion of the course taught. However, the course covered up to the House Test and that covered after the House test will carry weightage approximately in the ratio 1 :2 in the question papers of the annual examination.

(iv) The structure of the question papers for the annual examination will be decided by the Board of Control in that subject. The paper setting and evaluation for the annual examinaion will be by internal examiners. The marked answer-scripts will be available for perusal by the students before the declaration of the results.

(v) The final award in each theory paper will be determined by the combined marks obtained by the students in the annual examination and the House Test.

(vi) It is expected that the teaching of theory courses will will be supplemnted by home assignments, quizzes, objective type class tests etc., evenly spaced during the year. This will not carry any weightage in terms of marks, but it should be impressed upon the students that these form an essential part of the teaching of the theory courses.

(vii) The examination in the laboratory courses will be entirely internal. There will be no House Test for the laboratory courses. The Board of Control may decide what percentage of marks, up to 50% is to be based on the continuous assessment of the students' work in the laboratory through out the year. The internal assessment may depend upon (i) the manner and skill of the student in doing the experiment (ii) viva of each experiment performed (iii) written report of experiment and (iv) regular attendance in the laboratory. After each experiment, the student may informed of the teacher's assessment. The annual examination will carry at least 50% marks.

31. Regulations for (i) Diploma Course in Slovak Language (w.e.f. the academic session 1993-94). (ii) Advanced Diploma Course in Slovak Language (w.e.f the academic session 1994-95).

1.1 The duration of the Diploma Course in Slovak shall be one academic year.

1.2 The examination shall be held once a year ordinarily in the month of May, on such dates as may be fixed by the Syndicate.

1.3 The dates of examinations and the last dates for the receipt of examination admission forms without and with late fee of Rs. 5, as fixed by the Syndicate, shall be notified by the Controller of Examinations.

2. A person who has passed one of the following examinations shall be eligible to join this course :

(a) Certificate in Slovak language of the Punjab University;

(b) Certificate in Slovak/Czech from any other recognised University/Board;

(c) any other examination of a University/Board recognised by the Syndicate as equivalent to (a) or (b).

3.1. A person who possesses the qualifications laid down in Regulation 2, and produces the following certificates signed by the Head of the Panjab University Russian Department, or the Principal of the College afficited for the Course, as the case may be, shall be eligible to appear in the examination :

(a) of good character;

(b) of having been on the rolls of the Department/College as the case may be, during the academic year preceding the examination; and

(c) of having attended not less than 66 per cent of the lectures in each paper delivered to the class.

3.2 A deficiency in the required number of lectures may be condoned :—

(i) upto 10 per cent of the total lectures delivered by the Head of the Department/Principal of the College as the case may be;

(ii) up to additional 5 per cent of the total lecturer delivered by the Dean of University Instruction, on the recommendation of the Head of the Department/Principal of the College, as the case may be.

3.3 A student who, having attended the prescribed number of lectures does not appear at the examination, or having appeared has failed may be permitted, on the recommendation of the Head of the Department Principal of the College, as the case may be, to appear in the examination as a private candidate, within a period of three years of completing the Course.

4. A person who possesses the qualification laid down in Regulation 2 may be allowed to appear in Diploma in Slovak examinaion as private candidate provided he is otherwise eligible under the Regulations for private candidates . Such a c[illegible] shall [illegible] t his admission form for the examination through the Head of the University Department/Principal of the College

5. The amount of exmination fee to be paid by a candidate shall be Rs. 35 or the fee fixed/revised by the Syndicate from time to time.

An additional fee of Rs. 10 shall be charged from a private candidate or the fee fixed/revised by the Syndicate from time to time.

6.1 The examination shall be held in accordance with the syllabus prescribed by the Academic Council.

6.2 The medium of examination shall be the Slovak language. The question-papers shall be set in the Slovak language and the candidates shall write their answers in Slovak language except the translation passage which may be in English.

7. The minimum number of marks required to pass the examination shall be—

(a) 40 per cent in each theory paper!

(b) 40 pr cent in Oral;

(c) 45 per cent in the aggregate.

8.1 Successful candidate shall be classified as under :—

(a) Those who obtain 75 per cent or more of the aggregate marks—Distinction

(b) Those who obtain 60 per cent or more but less than 75 per cent of the aggregate marks——First Divison.

(c) Those who obtain 50 per cent or more but less than 60% of the aggregate marks—Second Division.

(d) Those who obtain less than 50 per cent of the aggregate marks—Third Division.

8.2 The Controller of Examinations shall publish the result four weeks after the termination of the examination or as soon as possible.

8.3 Each successful candidate shall be granted a Diploma showing the division in which he has passed.

1.1. The duration of the Advanced Diploma Course in Slovak shall be one academic year.

1.2 The examination shall be held once a year ordinarily in the month of May, on such dates as may be fixed by the Syndicate.

1.3 The dates of commencement of the examination and the late date for receipt of examination admission forms without and with late fee shall be fixed by the Syndicate and the same will be notified by the Controller of Examinations.

2. A person who has passed the following examinations shall be eligible to join this course.

(a) B.A./B. Sc. examination from this University or an equivalent examination of another University;

AND

(b) Diploma Course in Slovak Language from the University, or an equivalent examination of another University.

3.1 A person who possesses the qualifications laid down in Regulation 2, and produces the following certificates signed by the Chairman/Head of the University Department of Russian or by the Principal of a College affiliated to the University for the course, shall be eligible to appear in the examination;

(a) of good character;

(b) of having been on the rolls of the Department/College as the case may be, during academic year preceding the examination; and

(c) of having attended not less than 66 per cent of the lectures in each paper delivered to the class,

3.2 Deficiency in the required number of lectures may be condoned—

(i) up to 10 per cent of the total lecturers delivered by the Head of the Department/Principal of the College as the case may be;

(ii) up to additional 5 per cent of the total lectures delivered by the Dean of University Instruction on the recommendation of the Head of the Department/Principal of the College, as the case may be.

3.3 A student who, having attended the prescribed number of lecturers does not appear in the examination or having appeared has failed may be permitted, on the recommendation of the Head of the Department/Principal of the College as the case may be, to appear in the examination as a private candidate within a period of three years of completing the course.

4. The amount of examination fee to be paid by a candidate shall be Rs. 40 or the fee fixed/revised by the Syndicate from tim to time.

An additional fee of Rs. 10 shall be charged from a private candidate or the fee fixed/revised by the Syndicate from time to time.

5.1 The examination shall be held in accordance with the syllabus prescribed by the Academic Council.

5.2 The medium of examination shall be the Language concern.

6. The minimum number of marks required to pass the examination shall be—

(a) 40 percent in each theory paper

(b) 40 per cent in Oral or Slovak; and

(c) 45 per cent in the aggregate.

7.1 Successful candidates shall be classified as under :

(a) Those who obtain 75 per cent or more of the aggregate marks—Distinction

(b) Those who obtain 60 per cent or more but less than 75 per cent of the aggregate marks.——First Divison.

(c) Those who obtain 50 per cent or more but less than 60% of the aggregate marks—Second Division.

(d) Those who obtain less than 50 per cent of the aggregate marks—Third Division.

7.2 The Controller of Examinations shall publish the result four weeks after the termination of the examination or as soon as possible.

7.3 Each successful candidate shall be granted a Diploma showing the divison in which he has passed.

32 Regulations for (i) Certificate Course in Functional Panjabi (from the academic session 1991-92, (ii) Diploma Course in Punjabi Language & Culture (from the academic session 1991-92). (iii) One Year Certificate Course in Bengali, (iv) Two Year Post-graduate Diploma in Hindi Journalism (Functional Hindi) from the admission of 1993. (v) M. Sc. (2 Year Course) (Semester System) in Biotechnology from the admission of 1991, as per Appendix.

REGULATIONS FOR CERTIFICATE COURSE IN

FUNCTIONAL PANJABI

(w.e.f. the session 1991-92)

1. The duration of the course shall be one academic year.

2. The examination shall be held once a year ordinarily in the month of May, on such dates as may be fixed by the Syndicate.

3. The dates of commencement of the examinations and the last dates for receipt of examination admission forms without and with late fees, as fixed by the Syndicate, shall be notified by the Controller of Examinations.

4. The candidates who have passed the following examinations, without having taken up the Panjabi subject, are eligible to join this course :—

+2 (Pass) examination of recognised Body/Council/Board/University.

OR

B.A. Ist year (Pass) examination of this University or Body/Council/Board/University whose examination has been recognised by this University.

OR

B.A. (Old) or its equivalent examination recognised by this University.

5. A person who possesses the qualification laid down in Regulation 4 above and produces the following Certificates signed by the Chairman, Department of Panjabi, Panjab University, Chandigarh/Head of the Institution concerned, shall be eligible to appear in the examination :—

(a) of good character;

(b) of having been the roll of the Department/Institute, during the academic year preceding the examination; and

(c) of having attended not less than 66 per cent of the lectures in each paper delivered to the class.

6. A deficiency of in the required number of lectures may be condoned :—

(i) Up to 10 per cent of the total lectures delivered by the Chairman of the Department/Head of the Institution, as the case may be.

(ii) Up to additional 5 per cent of the total lectures delivered by the Dean of University Instruction/Vice-Chancellor on the recommendation of the Chairman of the Department/Head of the Institution, as the case may be.

7. A student who, having attended the prescribed number of lectures, does not appear in the examination, or having appeared has failed, may be permitted, on the recommendation of the Chairman of the Department/Head of the Institution to appear in the examination as a late college student, within a period of three years of completing the course.

8. The examination fee to be paid by a candidate shall be Rs. 30 or the fee fixed/revised by the Syndicate from time to time.

An additional fee of Rs. 10 shall be charged from a private candidate or the fee fixed/revised by the Syndicate from time to time.

9 The examination shall be held in accordance with the syllabus prescribed by the Academic Council.

10. The medium of examination shall be Panjabi. The question papers shall be set in Panjabi and the candidates shall write their answers in Panjabi, except the translation passage which may be in English.

11. The minimum number of marks required to pass the examination shall be :—

(a) 40 per cent in each theory paper;

(b) 40 per cent in Oral, if any;

(c) 45 per cent in the aggregate.

12. Successful candidates shall be classified as under :—

(a) Those who obtain 60 per cent or more of the aggregate marks—First Division.

(b) Those who obtain 50 per cent or more but less than 60 per cent of aggregate marks. Second Division

(c) Those who obtain less than 50 per cent of the aggregate marks. Third Division.

13. The Controller of Examination shall publish the result four weeks after the termination of the examination or as soon as possible.

14. Each successful candidate shall be granted a Certificate showing the division in which he has passed.

REGULATIONS FOR DIPLOMA IN PANJABI LANGUAGE AND CULTURE

(w.e.f. the session 1991-92)

1. The duration of the Course for Diploma shall be one academic year.

2. The examination shall be held once a year ordinarily in the month of May, on such dates as may be fixed by the Syndicate.

3. The date of examinations and the last dates for receipt of examination admission forms without and with late fees, as fixed by the Syndicate, shall be notified by the Controller of Examinations.

4. A person who has passed one of the following examinations shall be eligible to join the course :

B A. (Pass)/B.Sc. (Pass) without Punjabi of this University or an equivalent examination recognised by this University.

OR

Pass in Certificate Course in Functional Panjabi of this University.

5. A person who possesses the qualifications laid down in Regulation 4. and produces the following certificates signed by the Chairman of the Panjabi Department, Panjab University/Head of the Institution affiliated for the Course, as the case may be, shall be eligible to appear in the examination :

(a) of good character;

(b) of having been on the rolls of the Department/Institute as the case may be during the academic year preceding the examination; and

(c) of having attended not less than 66 per cent of the lectures in each paper delivered to the class.

6. A deficiency in the required number of lectures my be condoned :—

(i) Up to 10 per cent of the total lectures delivered by the Chairman of the Department/Head of the Institution, as the case may be;

(ii) Up to additional 5 per cent of the total lectures delivered by the Dean of University Instruction/Vice-Chancellor on the recommendation of the Chairman of the Department/Head of the Institution, as the case may be.

7. A student who, having attended the prescribed number of lectures, does not appear in the examination, or having appeared has failed, may be permitted, on the recommendation of the Chairman of the Department/Head of the Institution, as the case may be, to appear in the examination as a late college student within a period of three years of completing the course.

8. The amount of examination fee to be paid by a candidate shall be Rs. 35 or the fee fixed/revised by the Syndicate from time to time.

9. An additional fee of Rs. 10 shall be charged from a private candidate, or the fee fixed/revised by the Syndicate from time to time.

10. The examination shall be held in accordance with the syllabus prescribed by the Academic Council.

11. The medium of examination shall be Panjabi. The question-papers shall be set in Panjabi and the candidates shall write their answers in Panjabi, except the translation passage which may be in English.

12. The minimum number of marks required to pass the examination shall be :—

(a) 40 per cent in each theory paper;

(b) 40 per cent in Oral, if any;

(c) 45 per cent in the aggregate.

13. Successful candidates shall be classified as under :—

(a) Those who obtain 75 per cent or more of the aggregate marks. .. Distinction

(b) Those who obtain 60 per cent or more but less than 75 per cent of the aggregate marks.

.. First Division

(c) Those who obtain 50 per cent or more but less than 60 per cent of the aggregate marks.

.. Second Division

(d) Those who obtain less than 50 per cent of the aggregate marks. .. Third Division

14. The Controller of Examinations shall publish the result four weeks after the termination of the examination or as soon as possible.

15. Each successful candidate shall be granted a Diploma showing the division in which he has passed.

REGULATION FOR CERTIFICATE COURSE IN BENGALI

1.1. The duration of the course for Certificate in Bengali shall be one academic year.

1.2. This examination shall be held once a year ordinarily in the month of May, on such dates as may be fixed by the Syndicate.

1.3. The date of examination and the last date for receipt of examination admission forms without and with late fee of Rs. 5. as fixed by the Syndicate, shall be notified by the Controller of Examinations.

2. A person who possesses one of the following minimum qualifications shall be eligible to join this course :

(a) 10+2 examination of the Board of School Education Punjab/Harvana or of the Central Board of Secondary Education, Delhi.

Or

(b) An examination of another University/Board/Body recognised by the Syndicate as equivalent to (a) above.

3.1. A person who possesses the qualification laid down in Regulation 2 and produces the following certificates signed by the Head of the Panjab University Bengali Department, shall be eligible to appear in the examination :

(a) of good character;

(b) of having been on the rolls of the Department during the academic year preceding the examination; and

(c) of having attended not less than 66 per cent of the lectures in each paper delivered to the class.

3.2. A deficiency in the required number of lectures may be condoned :—

(i) up to 10 per cent of the total lectures delivered by the Head of the Department/Principal of the College as the case may be.

(ii) up to additional 5 per cent by the Dean of University Instruction/Vice-Chancellor on the recommendation of the Head of the Department/Principal of the college as the case may be.

3.3. A person who possesses the qualification laid down in Regulation 2 and is permitted to appear in the examination as a private candidate under the regulations for such candidates appearing in the Pre-University (Humanities Group) examination, shall also be eligible to appear in this examination. Such a candidate shall submit his admission form for the examination through the Head of the University Department.

3.4. A student who, having attended the prescribed number of lectures, does not appear in the examination, or having appeared has failed may be permitted, on the recommendation of the Head of the Department to appear in the examination as a private candidate, within a period of three years of completing the course .

4. The amount of examination fee to be paid by a candidate shall be Rs. 30.

An additional fee of Rs. 10 shall be charged from a private candidate.

5.1. The examination shall be held in accordance with the syllabus prescribed by the Senate.

5.2. The medium of examination shall be Bengali. The question papers shall be set in Bengali and the candidates shall write their answers in Bengali except the translation passage which may be in English.

6. The minimum number of marks required to pass the examination shall be :—

(a) 40 per cent in each theory paper;

(b) 40 per cent in the Oral; and

(c) 45 per cent in the aggregate of (a) and (b).

7.1. Successful candidates shall be classified as under :—

(a) Those who obtain 60 per cent or more of the aggregate marks. .. First Division

(b) Those who obtain 50 per cent or more but less than 60 per cent of the aggregate marks. .. Second Division

(c) Those who obtain less than 50 per cent of the aggregate marks. .. Third Division

7.2. The Controller of Examinations shall publish the result four weeks after the termination of the examination or as soon as possible.

7.3. Each successful candidate shall be granted a certificate showing the division in which he has passed together with the marks obtained by him and the aggregate marks.

REGULATIONS FOR POSTGRADUATE DIPLOMA IN HINDI JOURNALISM

(FUNCTIONAL HINDI) EFFECTIVE FROM THE ADMISSIONS OF 1993.

1.1. The duration of the course for the Post-graduate Diploma in Hindi Journalism (Functional Hindi Scheme) shall be of two academic years.

1.2. This shall be a part-time course and the classes will be held in the morning and/or evening.

1.3. The examination for the Post-graduate Diploma in Hindi Journalism (Functional Hindi Scheme) shall be held in two parts—Part I at the end of the course of first year and Part II at the end of the second year.

14. The examination in Parts I and II shall ordinarily be held annually in the month of April or on such dates as may be fixed by the Syndicate.

15. The last date for receipt of admission from with and without late fee fixed by the Syndicate shall be notified to the Chairman/Head of the Department of Mass Communication by the Controller of Examinations.

1.6. The date of examination as fixed by the Syndicate shall be notified by the Controller of Examinations to the Chairman/Head of the Department of Mass Communication.

2.1. Admission to the course shall be made on the basis of an entrance test, according to the rules prescribed by the University.

2.2 A candidate who —

(a) is a graduate with Hindi as one of the subjects.

(b) possesses a qualification of another University recognised as equivalent to (a).

shall be eligible to join the first year (Part I) of the course.

3.1. The examination in Part-I shall be open to a student who —

(i) has been on the rolls of the University's Post-Graduate Diploma Course in Hindi Journalism during the academic year proceding the examination.

(ii) Produces the following certificates duly signed by the Chairman/Head of the Department of Mass Communication :

(a) of good character;

(b) of having attended not less than 66 per cent of the lectures in each paper delivered to the class during the academic year preceding the examination;

(c) of having obtained at least 40 per cent marks in Internal Assessment (marks to be awarded by the teachers on the basis of class tests/practical assignments carried out by a student up to the end of March of the academic year).

4.1. A student who has passed the Part I examination by securing 40 per cent marks in each paper and 50 per cent in the aggregate shall be eligible to join the second year (Part-II) class of the Diploma Course.

4.2. A candidate who obtains 50 per cent of the aggregate marks in Part-I, but fails in one paper only, obtaining not less than 25 per cent of the marks in that paper shall be eligible for admission to the second year (Part-II) class of the Diploma Course.

5. The examination in Part II shall be open to a student who has passed the Part I examination as laid down in Regulation 4.1 or is eligible under Regulation 4.2, and :

(i) has been on the rolls of the second year (Part-II) class of the Diploma Course during the academic year preceding the examination;

(ii) produces the following certificates duly signed by the Chairman/Head of the Department of Mass Communication; (a) of having attended not less than 66 per cent of the lectures in each paper delivered to the class during the academic year preceding the examination; (b) of having obtained at least 40 per cent marks in Internal Assessment (marks to be awarded by the teachers on the basis of class tests/practical assignments carried out by a student up to the end of March of the academic year).

6.1. The Chairman/Head of the Department shall have the authority to condone shortage in attendance of lectures to the extent of two lectures in each paper in Part I and II.

6.2 A student who having atended the prescribed number of lectures, does not appear at the examination or having appeared at the examination, has failed, may be permitted at the examination, as a private candidate, within a period of three years after completing the part concerned of the course. (This is applicable to Parts I and II of the Diploma Course).

7. The amount of examination admission fee to be paid by a candidate shall be Rs. 45/- for examination of eash part.

8. The medium of examination shall be Hindi.

9. The examinations for Parts I and II shall be held according to syllabi and course of reading duly prescribed by the Academic Council.

10.1. The minimum marks required to pass the Diploma in Hindi Journalism examination shall be 40 per cent in each paper and 50 per cent in the aggregate of each of Part I and II.

10.2. Successful candidates who obtain 60 per cent of the marks or more in the aggregate shall be placed in the first division and all others in the second division.

10.3 A candidate who obains 50 per cent of the aggregate marks in each of Parts I and II, but fails in one paper only, obtaining not less than 25 per cent of the marks in the paper lay, at his option, be admitted to a subsequent examination or examinations in that paper and if he passes in that paper, he shall be deemed to have passed the examination provided that such a candidate shall have to clear the compartment paper within three consecutive examinations from the date of his first failing in that paper.

10.4. Four weeks after the termination of the examination or as soon thereafter as possible, the Controller of Examinations shall publish the result of the examination.

10.5. Each successful candidate shall be granted a Diploma stating the division in which he has passed.

11. The Board of Control of the Department of Mass Communication and the Board of Studies in Mass Communication will govern the Diploma in Hindi Journalism course.

REGULATION FOR M. SC. (2 YEAR SEMESTER SYSTEM)

Bio-technology

(To be made effective from the admission of 1991 for the session 1991-92 (First Year and 1992-93 (Second Year).

1. duration of the course for the M. Sc. in Bio-technology shall be of two academic years (four semesters).

2. A person with the following qualifiatiens from the Panjab University or any other University/Institution recognised by the Panjab University shall be eligible to joi the course.

Bachelor's degree (under 10+2+3 patterns of education) in physical, biological, pharmaceutical, agricultural, veterinary or fishery science or Bachelor degree in engineering technology, medicine (MBBS), from any University/Institute recognised by the Panjab University. The candidate must have obtain 55% marks at the Bachelor's degree level.

3. The addition to the course shall be on the basis of an entrance test and/or other procedures laid down by the Syndicate from time to time.

4 The examination shall be held in accordance with the syllabi approved from time to time.

5 A person who possesses the qualifications laid down in Regulation 2 above and produces the followilng certificates signed by the Chairman Co-ordinator of the Centre, shall be eligible to appear in the final examination :

(a) of good character;

(b) of having been on the rolls of the centre during the academic year preceding the examination;

(c) of having attended not less than 66% of lectures delivered to the class in each paper and practicals held separately.

6. The open and continuous system of evaluation of courses will be followed. The schedule of teaching and examinations will be approved by the Syndicate before commencement of the session. The awards and answer-books for each examination, after showing to the students, will immediately be submitted to the Controller of examinations by the Co-ordinator of the Centre.

7. There shall be a Board of Control in Biotechnology constitution by the syndicate for the purpose of coordinating the activities of the Centre for Biotechnology. The Chairman of the Board of Control and the Co-ordinator of the Centre will be appointed by the vice Chancellor, the Co-ordinator of the Centre will act as Convener of the Board of Control.

8. A deficiency in the required number of lectures up to 5% in paper may be condoned by the Board of Control.

9. The examination fee will be charged in the beginning of each semester alongwith other dues.

10. The medium of instructions and examinations shall be English.

11. The minimum number of marks to pass the examination shall be 50 in each written papers, practical and viva voce and sessionals (Based on the assessment of regular lab./class work, research performance etc.) separately.

12. There shall be no grace marks.

13. The result of the candidate shall be either pass or fail only. However, in exceptional cases (e.g. on medical grounds, the Board of Control may allow re-examination in not more than one paper in each semester. This examination will be allowed at the time of the next regular examination. No special examination will be held.

14. The successful candidates shall be classified as under :

(a) Those who obtain 75% or more of the aggregate Marks.—First Division with Distinction.

(b) Those who obtain 60% or more but less than 75% of the aggregate marks.—First Division.

(c) Those obtain 50+ or more but letss than 60% of the aggregate marks.—Second Division.

15. The result of the examination shall be published by the Controller of Examinations by compiling all the awards received during the tenure of the course.

16. Every successful candidate shall be granted a degree indicating the awards in Theory and Practicals, seperately and the Distinction/Division in which he has passed.

33. Regulation 12 and 19 for the Degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Law at pages 373-74 of the Calendar, Volume II, 1988 :

Present Regulations	*Revised Regulations*
12. Every candidate shall, before submitting his thesis pursue whole time research work for three years from the date of his enrolment. Provided that the requirement regarding whole time research shall not apply to a candidate who is teaching Law in any University Law Department, Faculty or in a College affiliated to any University. He would, however, pursue the research work for the required period of three years.	12. Every candidate shall, before submitting his thesies pursue whole time research work for three years from the date of his enrolment. Provided that the requirement regarding whole time research shall not apply to a candidate who is teaching Law in any University Law Department, Faculty, a Law College affiliated to any University or in any Govt. or Semi-Govt. institution or who is doing research in any University or recognised Institution or who is Judicial Officer, practising advocate, or a Law Officer. He would, however, pursue the research work for the requisite period of three years.
Provided further that the Faculty may on the recommendation made by the Head of the Department of Laws in consultation with the Supervisor, grant for reasons to be recorded, exemption for a period not exceeding one year.	Provided further that the requirement regarding whole time research shall also not apply to a candidate who is otherwise eligible for doing Ph.D. but is not covered in any of the categories mentioned above. He would, however, be required to pursue research work for the requisite period of five years. Provided further that the faculty may on the recommendation made by the Head of the Department of Laws in consultation with the Supervisor, grant for reasons to be recorded, exemption for a period not exceeding one year.
19. A candidate who is unable to complete his thesis within three years of enrolment may apply through the supervisor and the Head of the Department for grant of extension. Extesion may be granted by the Faculty of Law up to a maximum of two years, i.e. every candidate must submit his thesis on the expiry of a total period of five years from the date of his enrolment.	19. A candidate who is unable to complete his thesis within three/five years, as the case may be from the date of enrolment, may apply through the Supervisor and the Head of the Deptt. for grant of extension Extension may be granted by the Faculty or Law up to a maximum of two years, i.e. every candidate must submit his thesis on the expiry of the total period of five/seven years from the date of enrolment.

S. K. SHARMA
Deputy Registrar (General)

Sealed in my presence with the common seal of Panjab University this day, the 30th of August, 1995.

S. P. DHAWAN
Registrar

Chandigarh-160014
Dated : 30-8-1995

No. 6-95/G.R.—The Central Government, Ministry of Human Resource Development (Department of Education) have accorded approval vide their letter No. F. 3-1/93-U.I., dated 24-2-1995 to the following Regulations :—

1. **Regulation 4 at pages 65-66 of the P. U., Calendar, Volume I, 1989 :**

4. The Board of Studies and their Conveners in the following subjects shall be nominated by the Syndicate :

(1 to XLV) xxx xxx xxx

(i) The Dean of the Faculty concerned shall be ex-officio member of the Boards XIX to XXXIII, XLII and XLV.

(ii) Head of the University Teaching Department of Chemical Engineering shall be an ex-officio member of the Board of Studies concerned.

(iii) *The Principals of the Engineering Colleges shall be ex-officio members of all the Boards of Studies, except Chemical Engineering.*

2. Regulation 21 for B.A./B.Sc. (General & Honours) examinations :

21. The minimum pass marks for the B.A./B.Sc. (Hons.) shall be 45 per cent in the General papers as well as Honours papers of the subject concerned on the combined result of Second Year and Third Year Examinations.

Provided that this percentage shall be required separately in the written examination and external assessment of Practical/s including Map-work in the case of Geography. The marks obtained by a candidate in the Second Year examination shall be communicated to the Principal of the College concerned.

The over-all result of B.A./B.Sc. (Hons.) course shall be determined on the basis of the marks obtained in the General papers of the subject offered for Honours of B.A./B. Sc. Second & Third Year examinations plus marks obtained in Honours papers of B.A./B. Sc. Second & Third Year examinations.

Provided further that a candidate who obtains qualifying marks in the Honours papers, but fails to get the same in the subject of General papers in which he offers Honours, may be given grace marks up to 1% of the total marks in the subject of Second Year and Third year examinations in the General Course in order to enable him to qualify in the Honours examination.

3. Regulation 8.1 for Master of Arts at pages 114 and Regulation 13 for Master of Arts/Science examination (Semester System) at page 122 of Calendar, Volume II, 1988 (effective from the current session 1991-92) in anticipation of the approval of the Senate/Govt. of India :

8.1 The medium of examination shall be as under :—

For Sanskrit—

Sanskrit, Hindi, Panjabi or English, at the option of the candidate.

A candidate shall have the option to answer any paper in any of the above media.

For Persian—

Persian, Urdu or English at the option of the candidate.

For Arabic—

Urdu or English at the option of candidate.

For Hindi—

Hindi

For Panjabi—

Panjabi

For Urdu—

Urdu

For Music—

English or Hindi or Panjabi or Urdu

For Tamil—

Tamil

For other subjects English *or Hindi* or *Panjabi.*

Provided that in the case of Essay papers in Sanskrit, Persian, English, Hindi or Panjabi or Urdu, the medium of examination shall be the language of the subject concerned.

13. The medium of examination shall be English or *Hindi* or *Panjabi.*

4. Regulation 3 for Bachelor of Engineering examinations at page 381 and Regulation 2 for Bachelor of Architecture examinations at page 540 of the P.U., Calendar, Vol. II, 1988 :

3. *The admission to the First semester Course in any Branch will be open to a candidate* :

(a) *who has passed 10+2 (Science Stream) Examination with English, Physics, Chemistry and Mathematics or its equivalent Examination conducted by a recognised Board/University/Council;*

(b) *has qualified the Entrance Test conducted for admission to the course securing the minimum pass percentage prescribed in the rules for the Test. The cut off point for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe and all other reserved categories of candidates shall be 2/3 of the cut off point in the open categories;*

(c) *the merit ranking in the Entrance Test shall be only basis for admission.*

Provided that in case of students belonging to Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes (excluding economically backward classes) the requirement of 50% marks shall be reduced by 5% provided they have obtained minimum pass marks prescribed by Regulations.

Regulation 2 for Bachelor of Architecture examination :—

2. (a) *Candidates who have passed 10+2 (Science Stream) examination with English/Physics, Chemistry and Mathematics or an examination equivalent thereto conducted by a recognised Board/University/Council shall be eligible for admission to the course in Architecture.*

(b) *The candidates shall have to qualify the Entrance Test for admission to the Course and the merit in the Entrance Test shall only be the basis for admission to the Architecture Course.*

5. Regulations for Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B.B.S) at page 423 of P.U. Calendar, Volume II, 1988 :

7.1 The Controller of Examinations shall publish the result two weeks after the termination of the examination or as soon as possible.

7.2 Successful candidates who obtain 75 per cent marks in any subject shall be declared to have passed "with distinction" in that subject provided he passes in all the subjects of the examination at one and the same time.

7.3 *Distinction shall be awarded to a candidate when all the four examiners revalue the answer-books and jointly conduct the viva-voce examination of the candidate.*

7.4 M.B.B.S. Degree with "Honours" shall be awarded to a candidate who :

(a) has completed the course in the minimum period; and

(b) has passed each of the First, Second and *Final Part I and Final Part II* examinations in the First attempt obtaining not less than 70% of the marks in each of the subject of every examination.

7.5 A successful candidate of the First/Second/*Final Part I* examination shall be granted a certificate.

A successful candidate of the Final M.B.B.S. *Part II* examination shall be granted the degree after he has completed the Post-examination training prescribed in Regulation 8.

6. Change of Nomenclature of the Directorate of Correspondence Courses and amendment of regulations thereof appearing at pages 551–554 of the

Calendar, Volume II, 1988 :

CORRESPONDENCE STUDIES

1.1 There shall be a Panjab University *Department of Correspondence Studies* at Chandigarh. Instruction shall be provided by post for such examinations and in such subjects as the Syndicate may, from time to time, decide.

1.2 Admission to the *Department of Correspondence Studies* shall be open to any Indian National who resides in any part of India, temporarily stays in a foreign country, and who satisfies the admission requirements. The Syndicate may also permit a person residing in another country to take admission in this Department taking into account the coordinative guidelines of the University Grants Commission.

1.3 A person desirous of receiving instruction through this Department shall get himself/herself enrolled with it and shall pay the fees as prescribed from time to time.

1.4. (i) If an applicant is not enrolled because he/she has not paid full or part of his/her fee by the prescribed date, the amount paid by him/her, if any, shall not be refunded.

(ii) If an applicant is not enrolled because he has not submitted the required certificates by last date fixed for the purpose or submits bogus or forged documents, his fee shall not be refunded.

(iii) If a student drops out in the middle of the course, the fees paid by him, shall not be refunded.

(iv) If an applicant is not enrolled because he is found ineligible the fee paid by him shall be refunded after a deduction of 25 per cent of the fee paid by him.

(v) wherever refund is permissible, the application must be made within three months of the date of issue of the letter by this Department in this behalf, failing which the request will not be entertained.

2.1 A student enrolled with the *Department of Correspondence Studies* shall be required to submit to the *Chairman/Chairperson* —

(a) such forms, documents and certificates as may be prescribed; and

(b) answers of at least 20% of assignments/response sheets sent to him by such dates as may be fixed by the *Chairman/Chairperson*. If he/she fails to submit his/her assignment/response sheets, he/she shall not be eligible to appear in the examination.

2.2 He/she shall submit to the Chairman/Chairperson, Department of Correspondence Studies his/her application form for admission to the respective University examination alongwith examination fee as may be prescribed from time to time.

2.3 The last date for receipt of admission form and fee with and without late fee as fixed by the Syndicate shall be notified by the Controller of Examinations.

2.4 *A candidate's admission form and fee may be accepted after the last date* —

(i) *up to* 10 *days with a late fee of Rs.* 5 *and up to December* 31 *of the preceding year with a late fee of Rs.* 30;

(ii) *up to January* 31 *with a late fee of Rs.* 105/-.

3.1 All the regulations and syllabi and courses of reading prescribed for the examination for regular students of affiliated colleges/*teaching Departments of Panjab University* shall be applicable to students of the *Department of* Correspondence *Studies* with the exception of —

(a) attendance requirement;

(b) requirement of qualifying the college house examination.

3.2 In the case of B.Com. examination, the marks for internal assessment shall not be reserved and the marks obtained by a student in each paper, shall be increased proportionately.

4. A student registered with the *Department of* Correspondence Studies who is certified by the Chairman/Chairpersons to have completed the requirements prescribed for a course may be allowed to appear in the examination as a student of this Department. Every student will appear for the examination at the centre fixed by the University.

5. A student on the rolls of the Department of Correspondence Studies who fails to appear or having appeared fails in the concerned Univesity examination may be allowed to continue his/her enrolment for a period of one year in case of B.Com. examinations, two years in case of Diploma examinations and three years in case of other examinations immediately succeeding the year in which he/she completed the requirements of Regulation 4, on payment of a fee of Rs. 10 every year, and to appear in the University examination as an ex-student of the Depatment of Correspondence Studies.

Provided that a student on the rolls of the Department of Correspondence *Studies*, who appears in the M.A. (Semester System) Examination and is eligible to repeat a course(s), may be allowed to continue his/her enrolment till the completion of the M.A., course on payment of a fee of Rs. 10 to the Department every time when he/she applies for admission to the examination in the course/s as an ex-student.

6. Such foreign students who had already passed B.A./B.Com. Part I or II or M.A. Part I Examination from this University as students of the *Department* of Correspondence *Studies*, shall be allowed to complete the remaining parts of these integrated courses through the *Department* even while staying in their respective countries, subject to the number of chances available in the respective examinations as provided in the Regulations.

7. Regulation 6.2 for Prak Shastri and Shastri examinations:

6.3 A candidate who has failed in one paper only, obtaining not less than 20% marks and has also obtained atleast 33% *marks in the aggregate of Prak Shastri Examination*, shall be permitted to re-appear in that paper in the next two examinations, on payment of the same fee on each occassion, as for the whole examination and if he passes in that paper in either of those examinations he shall be deemed to have passed the examination.

6.4 A candidate who has failed in one paper only obtaining not less than 20% marks and has obtained atleast 40% *marks in the aggregate of Shastri examination*, shall be permitted to re-appear in that paper in the next two examinations, on payment of the same fee on each occasion, as for the whole examination and if he passes in that paper in either of those examinations he shall be deemed to have passed the examination.

Provided that the Syndicate may extend this period in the case of a member of the regular armed foces, who is unable, owing to defence exigencies to avail himself of a chance within this time.

10. Regulations 31 and 32.1 for B.A./B.Sc. (General & Honours) examinations under new scheme:

31. A person who has qualified for the award of the B.A./B.Sc. (Gen.) or B.A./B.Sc. (Hons.) degree from the Panjab University may be allowed to re-appear as a private candidate in a subjects() in which he appeared earlier with a view to improving his previous performance. He may re-appear in the First, Second and Third Year examination or any of the examinations.

For this purpose, he may apear in *April September (as the case may be)* in the academic year immediately following the year of his passing Third Year examination as under :—

(i)	First Year . . .	in the supplementary examination
(ii)	Second and/Third Year . . .	in the annual examination

32.1 A person who has passed the B.A./B.Sc. (Gen.) or B.A./B.Sc. (Hons.) examination from this University may appear as a private candidate at any subsequent B.A./B.Sc. (Gen.) or B.A./B.Sc. (Hons.) examination in any one or more subjects prescribed for the examination except the subjects in which he has already passed the examination.

Provided that in the case of a Science subject/s the candidates shall study in an affiliated college and produce a certificate from the Principal of the college that he has completed the prescribed course.

For this purpose, he shall have to take First, Second and Third Year examinations as under :—

(a) B.A./B.Sc. (General;—		
(i) First Year . . .	in the	supplementary examination
ii)) Second and/ Third Year . . .	in the	Annual examination
(b) B.A./B.Sc. (Honours) ;— Second and Third Year simultaneously	in the	Annual examination

9. Regulation 23(b) for B. Com. (General & Honours) examinations under new scheme :

50% marks in the *aggregate of Honours papers with a minimum of* 40% *marks in each paper.*

10. Regulation 19.6 for B. A./B. Sc. examinations at page 79, Regulation 18(d) for B. Com. (Honours) at page 305. Regulations 3, 4 and 12 for Certificate Course in Library Science (Through Correspondence) course at pages 100-101 and Regulations 4.2, 5.8, 9, and 10 for Diploma in Office Organisation and Procedures at pages 346-348 of the Cal. Volume II, 1988 and Regulations 4, 5, 6, 7, 10 and 11 for one year Diploma Course in Population Education, Regulations 1, 2 and 10 for One Year Diploma Course in Statistics, and Regulation 22 for B A./ B. Sc. (General & Honours) examination, consequent upon the change of nomenclature of the Directorate of Correspondence Courses to the Department of Correspondence Studies.

B.A./B. Sc.

19.6 A candidate from the Deptt. of Correspondence Studies for B. A. Honours in Geography examination shall produce a certificate from a teacher incharge of an institution affiliated to a recognised University for teaching this subject or an institution approved for the purpose by the Board of Studies in Geography/Academic Council concerned to the effect that he/she has completed the course prescribed for practical work in this subject.

B. Com. (Hons).

18.(a) 10 per cent marks in each paper shall be reserved for internal assessment on the basis of tutorial work.

(b) Internal assessment awards shall be submitted to the Controller of examinations at least two weeks before the commencement of the examination.

(c) The basis on which the internal assessment marks have been awarded shall be recorded by the College in a Register, duly countersigned by the Principal and shall be available for inspection, if needed by the University up to six months from the date of declaration of the result.

(d) There shall be no internal assessment in the case of late college students or the students of the Department of Correspondence Studies and the aggregate marks in each subject shall be increased proportionately.

Certificate Course in Library Science (Through Correspondence)

3. A person desirous of receiving instruction in this course shall get himself enrolled with the Department of Correspondence Studies and shall pay the following fees—

(a) Enrolment fee—Rs. 10/-

(b) & (c) xxx xxx

(d) Library fee—Rs. 20/- per annum.

4. A student who fails to appear or having appeared fails in the examination, may be allowed to continue his enrolment for a period of three years immediately succeeding the year in which he completed the course on payment of a fee of Rs. 10/- every year and to appear in the examination as an ex-student of the Correspondence Studies.

12. To ensure maintenance of proper standard of instruction and evaluation, there will be a Co-ordination Committee comprising the following for Certificate Course in Library Science (through Correspondence) :—

1. Professor of Library Science, Panjab University (Ex-Officio).

2. Chairman, Department of Correspondence Studies, Panjab University (Ex-Officio)

(Convener)

3. One member of the University Library Staff

4. One teacher from the department of Correspondence Studies.

5. One member of the Faculty from Allied Fields.

} To be nominated by the Vice-Chancellor

The Co-ordination Committee shall be responsible for—

(a) Admission policy.

(b) Instructional Programme including recommendation of a panel of writers and reviewers of syllabi and to advise for acquisition of books in Library Science and Audiovisual aids.

(c) Evaluation of the programme.

One Year Diploma Course in Statistics

1. The Department of Correspondence Studies, Panjab University, shall undertake instruction for the Diploma in Statistics Course. The duration of the Course shall be one academic year.

2. The Board of Studies in Statistics (Post Graduate) of the Department of Statistics will function as the Board of Studies for this Diploma. One representative of the Department of Correspondence Studies, duly qualified in the subject of Statistics, will be co-opted as a member of the said Board whenever required for the purpose.

10. Each student will be sent two response sheet assignments per paper which should be submitted for evaluation to the Dept. of Correspondence Studies within one month of the despatch (grace period of 14 days will be allowed to the students residing abroad). The internal assessment shall be based on the score on the response sheet assignments alone. The Chairman of the Department of Correspondence studies shall forward internal assessment marks to the Controller of Examinations before the commencement of the Examination.

Diploma in Office Organisation & Procedures

4.2 A person desirous of receiving instruction through Correspondence Studies shall pay the fees as prescribed from time to time.

5. The admission to the course shall be open to any person who has obtained —

(a) (i) xxx xxx

(ii) xxx xxx

*(b) is employed in one of the following Offices :

(i) Offices of the Central and State Governments/ Local Bodies and Semi Govt. Organisation.

(ii) Statutory Universities and Boards of Secondary Education.

(iii) Public Undertakings of Central and State Govdary Education.

(iv) Public Limited Companies, Private Limited Companies and Public Trusts.

*(c) is an ex-army person and produces release certificate.

8. 40% marks in each paper shall be assigned for Internal Assessment. The Head of the Department of Commerce & Business Management/Principal of affiliated colleges shall forward these marks on the basis of periodical tests/written assingments/oral discussion etc. to the Registrar at least two weeks before the commencement of the examination. The record on the basis of which the Internal Assessment Awards have been prepared will be preserved for inspection, if needed by the University up to six months from the declaration of the result. This shall not, however, apply to the students of Department of Correspondence Studies.

*This shall apply to the students of Department of Correspondence Studies only.

9. The examination shall be open to a student whose name has been sent by the Head, University Department of Commerce and Business Management/Principal of the affiliated college/Chairman, Department of Correspondence Studies, as the case may be, and who :

(i) has been on the rolls of the University Department of Commerce and Business Management/affiliated college, Department of Correspondence Studies, as the case may be, during one academic year preceding the examination,

(ii) has sent at least 40 percent of the response sheets to the Department of Correspondence Studies for evaluation,

(iii) has attended not less than 66 per cent of lectures/ seminars etc. delivered to his class for each subject provided that a deficiency up to 10 per cent may be condemned by the Head of the Department of Commerce and Business Management/Principal of the affiliated college, and

*(iv) has completed the prescribed practical training of two months during the academic year preceding the examination.

*These shall not apply to the students of Department of Correspondence Studies.

10. (a) A candidate who has been on the rolls of the University Department of Commerce & Business Management/affiliated college/Department of Correspondence Studies and has completed the prescribed course of lectures and practical training but is (i) unable to appear in the examination or (ii) unable to pass, may be admitted to the examination on the recommendation of the Head of the Department of Commerce & Business Management/Principal of the affiliated college/Chairman of the Department of Correspondence Studies during the next two consecutive years without attending the course again.

(b) A candidate who has been on the rolls of the Department of Correspondence Studies and fails to appear or having appeared fails in the examination may be allowed to continue his enrolment for a period of two years immediately succeeding the year in which he completed the course on payment of a fee of Rs. 20 every year and to appear in the examination as an ex-student of the Correspondence Studies.

One Year Diploma Course in Population Education

4. The examination fee to be paid by the candidate shall be Rs. 77/- or as may be prescribed from time to time.

6. Every student admitted to the Diploma course shall be on the rolls of the Department and shall pay such fee(s) to the University as the Syndicate may prescribe from time to time.

7. There shall be an Advisory Committee for the Department which will be appointed by the Vice-Chancellor every alternate year. This will function as Board of Studies. It will include the Chairman of Department of Correspondence Studies, and 4/5 members, one each from the major departments to be nominated by the Vice-Chancellor.

10. The examination shall be open to a student whose name has been sent by the Chairman, Department of Correspondence Studies, and who—

(i) has been on the rolls of the Department of Correspondence Studies, during one academic year preceding the examination ; and

(ii) has sent atleast 40 per cent of the response sheets to the Department of Correspondence Studies, for evaluation.

11. A candidate who has been on the rolls of the Department of Correspondence Studies and fails to appear or having appeared fails in the examination, may be allowed to continue his enrolment for a period of two years immediately succeeding the year in which he completed the course on payment of continuation fee of Rs. 20/- every year, in addition to the examination fee, and to appear in the examintion as an ex-student of the Department of Correspondence Studies.

B.A./B.Sc. (General & Honours)

22. A candidate from the Department of Correspondence Studies for B.A. Hons. in Geography examination shall produce a certificate from the teacher incharge of an institution affiliated to a recognised University for teaching this subject or an institution approved for the purpose by the Board of Studies in Geography/Academic Council, duly countersigned by the Head of that institution to the effect that he had completed the course prescribed for practical work in this subject.

11. Regulations 15 & 5 for Bachelor of Engg. in Aeroneutical, Chemical, Civil, Computer Science & Engg., Electrical, Electronics & Electrical Communications, Mechanical, Metallurgical and Production and Master of Engineering in Chemical, Civil, Electrical, Mechanical and Electronics at pages 384 and 395 of the P.U. Calendar, Volume II, 1988 (effective from January, 1992) :

15. Separate examination admission forms for subjects belonging to different semesters are to be filled in by the candidate indicating subject/s offered for each semester exam. Fee for appearing in each semester will be Rs. 100/- for appearing in full subjects and Rs. 50/- for each subject/sessional improvement for re-appear candidates, subject to a maximum of Rs. 100/-.

For Master of Engineering Exam.

5. The amount of admission fee to be paid by a candidate shall be :—

(i) Rs. 100/- for each semester; and

(ii) Rs. 200/- for the thesis.

Regulation 4.2 for B.A./B.Sc. (General & Honours) examinations and Regulation 3(d) for B. Com. (General & Honours) examination :

4.2 A candidate who has been placed under compartment in the +2 examination conducted by a Board/Body/Council/University in India shall be eligible to seek admission to the First Year of B.A./B.Sc. Course, provided he fulfils the following conditions :—

(i) He should have been placed in compartment in one subject only ;

(ii) He should have obtained at least 20% marks in the subject in which he had been placed in compartment; and

(iii) He should have obtained the requisite percentage of marks in the aggregate of the examination as laid down in the relevant regulations.

Provided that :—

(i) A candidate joining the B A. First Year class should have obtained at least 33% marks in the aggregate of all the subjects (including the marks obtained by him in the subject of compartment, Theory & Practical/s taken together) taken up by him at the +2 examination.

(ii) A candidate joining the B.Sc. First Year class should have obtained at least 40% marks in the aggregate of all the subjects (including the marks obtained by him in the subject of compartment, Theory & Practical/s taken together) taken up by him at the +2 examination.

3(D) A candidate who has been placed under compartment in the +2 examination conducted by a Board/Body/Council/University in India shall be eligible to seek admission to the First Year of B.Com. course, provided he fulfils the following conditions :—

(i) He should have been placed in compartment in one subject only ;

(ii) He should have obtained at least 20% marks in the subject in which he had been placed in compartment; and

(iii) He should have obtained the requisite percentage of marks in the aggregate of the examination as laid down in the relevant regulations.

CHANDIGARH :
Dated : 1-9-1995

S. K. SHARMA
Dy. Registrar (General)

Sealed in my presence with the common seal of Panjab University, this day 1st of Sept. 1995.

S. P. DHAWAN
Registrar

No. 7-95/G.R.—The Central Government, (Ministry of Human Resource Development, Department of Education) have accorded approval vide their letter No. F. 3-2/95-U.I., dated 25-5-1995 to the following Regulations :

1. Proviso (i) to Regulation 3 relating to Faculteis at pages 53—55 of the P.U. Cal., Vol. I, 1994.

3. The Fellows assigned to each Faculty may add to their number, according to the procedure laid down in the regulations, persons residing within the territorial jurisdiction of the University who fulfil the following qualifications :—

(a) to (f) xxx xxx.

Provided that—

(i) the number of persons so added to the Faculty shall not exceed half the number of Fellows assigned to that Faculty and no person shall be eligible to be an Added Member or an Ex-officio member of more than one Faculty. An ex-officio Member of a Faculty shall also not be eligible to seek election as an Added Member to any other Faculty.

If proposals for election of a person as Added Member to more than one Faculties are received and if he is elected to more than one Faculties, he shall retain one Faculty of his choice and resign the other Faculty/Faculties.

Provided further that whenever there be any fraction while calculating the number of Added Members in a Faculty, it shall be raised to the next higher full number e.g. one half of 11 be taken as 6 Added Members instead of 5 as at present and so on.

2. Deletion of Regulations as contained in Chapter V(D) relatin to 'Principals of Colleges maintained by the University' at page 130 of the Panjab University Calendar, Volume I, 1994.

3. Regulation 15.2 relating to 'Conditions of Service at page 148 of the P.U. Cal., Vol. I, 1994.

15.2 The service rendered by an employee under the Central Govt./State Govt./State Autonomous Body, recognised Universities/other recognised educational institutions including institutions deemed to be Universities, shall, in his/her absorption in University service count for gratuity, subject to the following conditions :—

*Central Autonomous Body or

(i) If he was borne on pensionable establishment, the service rendered by him shall be allowed to be counted towards gratuity under the Universtiy irrespective of the fact whether he was temporary or permanent in the previous organisation. The previous organisation shall discharge its gratuity liability by paying in lumpsum as one time payment the pro-rata gratuity/service gratuity, Death gratuity and Retirement gratuity for the service up to the date of absorption in University service, pro-rata gratuity being determined with reference to the communication table prescribed under Regulation 7.2. The lump-sum payable on communication shall be calculated in accordance with the table that may be prescribed as per Punjab Govt. rules from time to time.

(ii) If he was enjoining C.P. Fund Benefits under the previous organisation, he will have the option either to receive C.P. Fund benefits which have accrued to him from the previous organisation and start service afresh under the University or choose to count his previous service for gratuity under the Universtiy by foregoing employer's share of C.P. Fund with interest received from the previous organisation which shall stand transferred to the University.

4. Regulation 3.14 at page 207 under the Chapter Panjab University Employees (Pension), P.U. Cal. Vol. I, 1994

3.14. The service rendered by an employee under the Central Govt./Central Autonomous Body or State Govt./State Autonomous Body recognised Universities/other recognised educational institutions including Institutions deemed to be Universities. shall, on his/her absorption in Universitv, service count for pension, subject to the following conditions :—

(i) xxx xxx xxx

(ii) xxx xxx xxx

5. Regulation 11(v) for B.Sc. (Hons. School) Course at page 93, P.U. Cal. Vol. II, 1988 and be given effect from the admissions 1993.

11(v) Having obtained 92 or more credits (108 or more in the case of students of Basic Medical Sciences) in the B.Sc. (Honours School) and having cleared all subsidiary subjects, a candidate may seek the award of the B.Sc. Pass Degree in case he wishes to discontinue the Honours School after completing three years of studies for B.Sc. (Honours Schools).

The division in the case of such candidates shall be determined by the regulations as for the Honours School students taking into account the best of the 12 credits which he has obtained. The date of entry and leaving the Honours School shall be shown on the certificate of the Degree awarded to such candidates.

6. Addition on to Regulation 2 for Bachelor of Library and Information Science (Semester System) at page 102 of the P.U. Cal., Vol. II, 1988, and be given effect to from the admissions of 1993.

2. A person who possesses any of the following qualifications shall be eligible to join the course :

(a) Bachelor's degree with at least 50 per cent marks in the aggregate from this University or from any other University the Bachelor's degree of which has been recognised by the Syndicate; or

(b) Master's degree from this University or from any other University the Master's degree of which has been recognised by this University; or

(c) B.A. degree of the University through O.T./Modern Indian Language (M.I.L.) and English only examinations, in which case the aggregate of 50 per cent marks shall be calculated or taking into account the marks obtained in English and the elective subjects taken together.

(d) Any other qualification recognised by the Syndciate is equivalent to (a) or (b) or (c).

7. Regulation 2.1 for Master of Arts Examination at page 106 of P.U. Cal., Vol. II, 1988 and be given effect to from the academic session 1994-95 :

2.1 The examination for the degree of Master of Arts shall be held in the following subjects and a candidate shall offer any one of them.

(i) A Language, i.e. English, Sanskrit, Persian, Arabic, Hindi, Punjabi, Urdu, French, Bengali, Tamil.

(ii) History;

(iii) Economics;

(iv) Political Science;

(v) Mathematics;

(vi) Philosophy;

(vii) Psychology;

(viii) Geography;

(ix) Sociology;

(x) Music

(xi) Ancient Indian History, Culture and Archaeology;

(xii) Public Administration;

(xiii) Statistics;

(xiv) History of Art;

(xv) Fine Arts;

(xvi) Indian Classical Dance;

(xvii) Indian Theatre;

(xviii) Gandhian and Peace Studies;

(xix) Defence and Strategic Studies.

8. Addition to Regulation 3.1 for admission to First Year (Part I) class of Master of Arts examination at pages 107—110 of the P.U. Cal., Vol. II, 1988.

3.1 A person who has passed one of the following examinations from this University, or from the Panjab University at Lahore before 1948, or from any other University whose examination has been recognised as equivalent to the corresponding examination of this University shall be eligible to join the first year (Part I) class of the M.A. Course :

(i) to (ix) xxx xxx xxx.

Provided that—

(a) to (k) xxx xxx xxx.

*(1) For M.A. Sanskrit Part-I Course, a person who has passed 'Shastri' Examination either under 3-year (10+2+3) Degree Course New Scheme or under the Old Science (10+2+3) Degree Course.

*This would be applicable w.e.f. the academic session 1992-93 instead of 1991-92.

9. Regulations 1.1, 2.1, 9.4 for Master of Arts (M.A.) Examinations at pages 106 and 115 of the P.U. Cal. Vol. II, 1988.

1.1 The duration of the course of instruction for the Master of Arts examination shall be two years and the examination shall be held in two parts, viz.—Part I at the end of the course of first year and Part-II at the end of the course of second year.

The examinations in Parts I and II shall ordinarliy be held annually in the month of April on the dates fixed by the Syndicate.

For candidates who have to take partial re-examination, a supplementary examination will be held normally in the month of September/October or on such other dates as may be fixed by the University to enable a student to clear the re-appear/s in the course in which he might have failed in the annual examination. If he fails to clear the re-appear/s, he will be given another chance in the following annual examination. If he fails again to clear the re-appear/s in the two consecutive chances as given above, he will be reverted to the previous lower class.

A student failing in more than 33% of the papers in the annual examination will be declared fail and may seek re-admission in the previous class.

2.1 The examination for the degree of Master of Arts shall be held in the following subjects and a candidate shall offer any one of them :

(i) A language, i.e. English, Sanskrit, Persian, Arabic, Hindi, Punjabi, Urdu, French, Bengali, Tamil;

(ii) History;

(iii) Economics;

(iv) Political Science;

(v) Mathematics;

(vi) Philosophy;

(vii) Psychology;

(viii) Geography;

(ix) Music;

(x) Ancient Indian History, Culture and Archaeology;

(xi) Public Administration;

(xii) Statistics;

(xiii) History of Art;

(xiv) Fine Arts;

(xv) Indian Classical Dance;

(xvi) Indian Theatre;

(xvii) Gandhian and Peace Studies.

9.4 A candidate shall be allowed to take partial re-examination in not more than 33% papers of M.A. Part I/II if he obtains an aggregate of 45% marks in the remaining papers. For the purpose of clearing papers in which he failed or could not appear, he shall be given two consecutvie chances. A candidate shall be required to obtain 33% marks in order to clear the papers of partial re-examination.

Provided further that a candidate for M.A. Part I examination who is allowed to take partial re-examination in the papers in which he failed, shall be eligible to join M.A. Part II class provisionally subject to his clearing the re-examination paper in next two consecutive chances, failing which his candidature and result for M.A. Part II examination shall stand cancelled.

Explanation.—For the purpose of these Regulations, 33% of four/five/six papers shall be taken as two papers.

10. Regulation 2.1 and 3.1 relating to Master of Engineering (M. Engg.) Chemical, Civil, Electrical, Mechanical and Electronics (Revised) at pages 393-394 of the P.U. Cal. Vol. II, 1988 and be given effect to from January 1994 in anticipation of the approval of the Regulations Committee/Syndicate Senate/Govt. of India/publication of Gazette Notification by the Government.

Master of Engineering in Chemical, Civil, Computer Integrated Manufacturing (M.I.M.), Electrical, Electronics and Mechanical.

2.1 The examination for the degree of Master of Engineering (Chemical, Civil, C.I.M., Electrical, Electronics and

Mechanical) shall have two semesters in a year. The examination for each semester shall be held in November/December and April/May or on such other date(s) as fixed by the Syndicate.

3.1 A person holding the following qualifications shall be eligible for admission to the course for the degree of Master of Engineering :—

(i) Bachelor of Engg. Degree with at least 50% marks in the aggregate in the branch selected for the Master of Engineering Degree course from the Panjab University.

Provided that for M.E. (C.I.M.) course, the admission is open to all who obtain Bachelor of Engg. Degree of this University in any branch or any other equivalent qualification recognised by the University as equivalent thereto with aggregate of 50% marks obtained in the examination.

11. Regulation 9.1 for Bachelor of Pharmacy examination at page 508 of the P.U. Cal., Vol. II, 1988.

9.1 The successful canddiates shall be classified as under on the aggregate marks obtained by them in the First Second, Third and Final examinations taken together :

(a) Those who obtain 80% or more of the aggregate marks—First Division with distinction.

(b) Those who obtain 60% or more of the aggregate marks—First Division.

(c) Those who obtain 50% or more marks but below 60% of the aggregate—Second Division.

12. Regulations 4.5 and 7 for Bachelor of Pharmacy examination at page 507 of the P.U. Cal., Vol. II, 1988.

4.5 A candidate shall have to pass each paper independently. However, a candidate who has failed or does not appear in one or two paper/papers, carrying 200 marks, of a course/courses at the First Second Third B. Pharm. examination, shall be eligible to appear in such a paper/papers as also in the Second/Third/Final examination as the case may be, subject to fulfilling the requirements as laid down in regulation 4.1. The result of the higher examination shall not be declared till the candidate has cleared all the papers of the lower examination.

7. The minimum marks required to pass an examination shall be 50% of the marks of each paper.

13. Transitory Regulation 1.3 for B.A./B.Sc./B.Com. (General & Honours) examinations :

1.3 A candidate who has either passed B.A./B.Sc./B.Com. Part II (Old Scheme) or has failed in B.A./B.Sc./B.Com. Part III (Old Scheme examination of this University, provided he/she has passed B.A./B.Sc./B.Com. Part II (Old Scheme) examination be allowed to join B.A./B.Sc./B.Com. Second Year (New Scheme) Course as the case may be if he/she is otherwise eligible and also subject to the condition that he/she shall have to clear the deficient subject/s of B.A./B.Sc./B.Com. Part I (New Scheme) examination only within the permissible chances as per University rules/regulations failing which his/her admission to the B.A./B.Sc./B.Com. Second Year 10+2+3 (New Scheme) Course shall stand cancelled.

14. Addition to Transitory Regulation for B.A./B.Sc. (General & Honours) Examinations :

A candidate who has passed his Ist Year and/or 2nd Year examination of B.A./B.Sc. course conducted by a college affiliated to another University in India under specific authorisation by the University concerned, be allowed to migrate to a college affiliated to this University/Department of Evening Studies/Department of Correspondence Studies in the 2nd Year/3rd Year class of the respective course on the condition that such a candidate will have to clear the deficient subjects, if any, within the permissible chances as prescribed under the Regulations and his results will be computed after taking into account the total marks secured by him in the subjects offered by him in this University i.e. the marks secured by the candidate in the college examination plus the marks secured in the deficient subjects at this University .

15. Addition to Transitory Regulations for B.Com. (General & Honours) Examinations :

1.3 A candidate who has passed his Ist year and/or 2nd year examination of B.Com. Course conducted by a college affiliated to another University in India under specific authorisation by the University concerned, be allowed to migrate to a college affiliated to this University/Department of Evening Studies Department of Correspondence Studies in the 2nd Year/3rd Year class of the respective course on the condition that such a candidate will have to clear the deficient subjects, if any, within the permissible chances as prescribed under the Regulations and his results will be computed after taking into account the total marks secured by him in the subjects offered by him in this University i.e. the marks secured by the candidate in the college examination plus the marks secured in the deficient subjects at this University.

16. Regulations 9.2 and 11 for B.Sc. (Hons. School) and amendment of Regulations 6.7, 8.1, 8.2, 8.3 and additions of Regulations 8.4 and 8.5 for M.Sc. (Hons. School) (Annual System) and given effect to from the admissions of 1992-1993 in anticipation of the approval of the various academic bodies of the University and Government of India and its notification by the Government of India in its gazette :

9.2 The Scheme of Examinations will be as follows :

First Year Honours School

		Credits
Major Subjects	400 marks	16
Subsidiary courses	400 marks	16
English	200 marks	8
Additional Subsidiary Course for basic Medical Sciences	200 marks	8

Second Year Honours School

		Credits
Major Subject	600 marks	24
Subsidiary courses	400 marks	16
Additional Subsidiary Course for basic Medical Sciences	200 marks	8
Panjabi qualifying (marks will not be counted in deciding the division)	50 marks	2

Third Year Honours School

		Credits
Major subject	1000	40
(Total marks for B.Sc. Hons. School) : for subject other than Basic Medical Sciences for Basic Medical Sciences.	3000 3400	120 136

The number of papers—

Theory and Practicals as well as the distribution of marks amongst theory and practicals shall be given in the syllabus.

Note : 25 marks mean one credit.

11. A student shall be admitted to the annual courses successively subject to the following conditions :

(i) The students are required to obtain 40% marks, in in each paper of theory and practicals (Major subsidiary, English or Panjabi) for a pass in that course.

(ii) The annual examination at the end of the academic session will carry 75% marks/credits assigned to each paper of the given subject. In addition to Annual Examination, there will be a House Test to be ordinarily held in the month of December which will carry 25% marks/credits assigned to a given paper.

The final award in each paper will be determined by the combined marks obtained by a student in the annual examination and December Test.

(iii) (a) A student who appears in the Annual Examination of the First year of B.Sc. (Hons. Sch.), but earns a minimum of 24 credits for subjects other than Basic Medical Sciences (a minimum of 28 credits in the case of Basic Medical Sciences) will be given re-appear chance in those papers in which he fails, and he will be promoted to the second year B.Sc. (Hons. Sch.) class.

(b) A student will be admitted to Third year of B.Sc. (Honours School) Class only if he has earned a minimum of 56 credits in the first two years i.e. first and second year together for subjects other than Basic Medical Sciences (64 credits in the case of students of Basic Medical Sciences).

(c) To enable a student to clear the Re-appear(s) in the paper(s) in which he has failed, a supplementary examination will be held in the month of Sept./Oct. or on such dates as may be fixed by the University.

In addition, he may also appear in those papers when annual examination is held for those papers for regular students.

(d) A student failing to earn 24 credits in the B.Sc. (Hons. Sch.) first year examination for the subjects other than Basic Medical Sciences (28 credits in the case of Basic Medical Sciences) and less than 56 credits in the B.Sc. (Hons. Sch.) first year and second year examinations together for subjects other than Basic Medical Sciences (64 credits in the case of Basic Medical Sciences) will be declared fail in B.Sc. (Hons. Sch.) first year and B.Sc. (Hons. Sch.) second year examinations respectively. However, such a student may seek re-admission in B.Sc. (Hons. Sch.) first year or second year as the case may be as a failed candidate.

(iv) Notwithstanding the above conditioins, no student shall be allowed to spend more than a maximum of 5 years in the entire B.Sc. (Hons. Sch.) course. He must clear all the re-appears and earn the stipulated number of credits for the ward of B.Sc. (Hons. Sch.) degree viz., 120 for subject other than Basic Medical Sciences and 136 for Basic Medical sciences within the maximum period of five years. A student failing to do so, will be declared fail and will be required to leave the B.Sc. (Hons. Sch.).

Explanation :

For the purpose of the above rules, 33% of 4 and 5 papers will be taken as 2 papers and of 7 and 8 papers will be taken as 3 papers and so on. } Deleted

(v) For the purpose of determining the division aggregate marks obtained by the candidate in all the examinations of the three years in all the subjects—major, subsidiaries and English except Panjabi (Qualifying)—shall be taken into account.

(vi) The students are required to pass the theory and practical papers separately and students should secure pass marks in each of these papers separately.

(vii) The students who absent themselves for one reason or the other or for improvement of scores shall be allowed to re-appear in the annual examinations only.

6. The M.Sc. Hons. School examination shall be by theory papers, practicals field or project report (if any), as determined by the Board of Council in each subject. The number of papers, theory and practicals, as well as the distribution of marks amongst theory and practicals, the field work or project, if any, shall be as given in the syllabus.

The total number of marks/credits shall be as follows :

M.Sc. (Hons. Sch.) Par I—1000 40 credits.
M.Sc. (Hons. Sch.) Part II—1000 40 credits.

7 The annual examination at the end of the academic session will carry 75% marks/credits assigned to each paper of the given subject. In addition to the annual examination, there will be a House Test to be ordinarily held in the month of December which will carry 25% marks/credits assigned to a given paper. The final award in each paper will be determined by the combined marks/credits obtained by a student in the annual examination and December test.

Explanation : The 75% and 25% marks/credits assigned to each paper may be rounded off to the nearest multiple of 5 marks or equivalent credit thereof.

8.1. A student who appears in the annual examination in M.Sc. (Hons. Sch.) Part I but earns a minimum of 24 credits will be given a re-appear chance in those papers in which he fails; and he will be promoted to M.Sc. (Hons. Sch.) Part II class.

8.2. A student failing to earn 24 credits in the M.Ss. (Hons. School) Part I in the annual examination will be declared fail and may seek re-admission in the same class.

Deleted

8.3. To enable a student to clear the re-appears in the papers in which he has failed, a supplementary examination will be held in the month of Sept./October or on such dates as may be fixed by the University. In addition, he may also appear in those papers when annual examination is held for those papers for regular students.

Notwithstanding the above conditions, no student shall be allowed to spend more than a maximum of three years period in the M.Sc. (Hons. Sch.) course. He must clear all the re-appears and earn the stipulated number of credits for the award of M.Sc. (Hons. Sch.) degree i.e. 80 credits. A student failing to do so, will be declared fail and will be required to leave the M.Sc. (Hons. Sch.) course.

8.4. The students are required to pass the theory and practical papers separately and studen should secure pass marks in each of these papers separately.

8.5. The students who absent themselves for one reason or the other or for improvement of scores shall be allowed to re-appear in the Annual Examinations only.

17. Deletion of Regulation 3.3 for Master of Arts Examination at page 111 of P.U. Cal. Vol. II, 1988, keeping in view the provision of Regulation 3.1 (iv) at pages 107-108.

3.3 A candidate who has passed Honours in Sanskrit (Shastri)/Honours in Persian (Munshi Fazil)/Honours in Arabic (Maulvi Fazli)/Honours in Hindi (Prabhakar)/Honours in Panjabi (Giani)/and Honours in Urdu (Adib Fazil) examination of the Panjab University or an examination of another University, which has been recognised as equivalent thereto by the University, shall be allowed to seek admission to M. A. Sanskrit/Persian/Arabic/Hindi/Panjabi or Urdu as the case may be provided he has passed the B.A. Part II and Part III examination in the subject of English."

"3.1. A person who has passed one of the following examinations from this University or from the Panjab University at Lahore before 1948, or from any other University whose examination has been recognised as equivalent to the corresponding examination of this University shall be eligible to join the first year (Part I) class of the M.A. course :—

(i) to (iii) xxx xxx xxx xxx

(iv) obtained B.A. degree, after passing examination in an Oriental Classical Language or a Modern Indian Language with at least 45 per cent marks (out of the aggregate excluding the additional paper) at the Honours in Oriental Titles or Modern Indian Languages examination, in the subject of Post-graduate course;

(v) to (ix) xxx xxx xxx xxx

18. Regulations 6.1 and 6.3 for M.D./M.S. examinations at pages 431-432 and 440-441 respectively of P.U. Cal. Vol. II 1988 and be given effect from the admission of 1993

6.1. A candidate shall apply within nine months of registration to the Registrar for approval of subject of his thesis. Such applications shall be considered by the Faculty of Medical Sciences four times a year in the months of March, July, October and December.

(a) From January 1 to 15
(b) From April 1 to 15
(c) From July 1 to 15
(d) From October 1 to 15

} Deleted

6.3. The thesis shall conform to the requirements laid down in this Regulation and should be submitted at least three months before the commencement of the examination and accepted before the declaration of the final result. The consent of the external examiners appointed for evaluation of the thesis should be obtained sufficiently well in advance to avoid delay in evaluation.

S. K. SHARMA
Dy. Registrar (General)

Chandigarh-160 014
Dated : 1-9-1995

Sealed in my presence with the common seal of Panjab University, this 1st day of Sept., 1995.

S. P. DHAWAN
Registrar

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1995
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1995.